वित्त अधिनियम, 2015 - उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ परिपत्र संख्या 19/2015 [एफ.सं.142/14/2015-टीपीएल] , दिनांक 27-11-2015

अनुभाग / अनुसूची	*विवरण/पैराग्राफ संख्या*
	वित्त अधिनियम, 2015
पहली अनुसूची	दर संरचना, *3.1 - 3.4*
	आयकर अधिनियम, 1961
2	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था, *34.1 - 34.7;* आयकर अधिनियम में धर्मार्थ उद्देश्य की परिभाषा का युक्तिकरण , *4.1 - 4.5;* आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों के साथ सरकारी अनुदानों के कराधान से संबंधित प्रावधानों का सरेखण, *5.1 - 5.3;* म्यूचुअल फंड की समान योजनाओं के विलय पर कर तटस्थता, *18.1-18.4;* ग्लोबल डिपॉजिटरी प्राप्तियों (जीडीआर) से संबंधित संशोधन, *32.1-32.10।*
6	भारत में रहने की अवधि की गणना करने के लिए तरीके और प्रक्रिया निर्धारित करने की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की शक्ति, 6.1-6.4 *;* कंपनियों के संबंध में निवास की स्थिति निर्धारित करने के लिए शर्तों में संशोधन, 7.1-7.7।
9	अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधानों से संबंधित स्पष्टता, *8.1-8.5;* कुछ मामलों में अनिवासी द्वारा प्राप्त ब्याज के संबंध में स्रोत नियम के बारे में स्पष्टता; *9.1-9.8।*
9ए	भारत में फंड मैनेजर्स ऑफशोर फंड्स के साथ व्यावसायिक संबंध नहीं बनाएंगे, *10.1-10.11.*
10	सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत बालिकाओं के लिए धारा 80सी के अंतर्गत कर लाभ, *20.1-20.4;* स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि के लिए कर लाभ *, 27.1-27.5;* क्लियरिंग कॉरपोरेशनों के कोर सेटलमेंट गारंटी फंड (एसजीएफ) की आय में छूट, *11.1-11.4;* श्रेणी-I और श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधियों को पास-थ्रू दर्जा, *35.1-35.7;* रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था, *34.1-34.7।*
11	धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं द्वारा आय संचयन से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों का युक्तिकरण , *12.1 -12.4.*
13	धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं द्वारा आय संचयन से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों का युक्तिकरण , *12.1 -12.4.*
32	शेष 50% अतिरिक्त मूल्य ह्रास की अनुमति, *13.1-13.3;* आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए प्रोत्साहन, *14.1-14.4।*
32ई.	आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए प्रोत्साहन: अतिरिक्त निवेश भत्ता, *14.1-14.2.4.*
35	अनुमोदित आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधा द्वारा लेखाओं के रखरखाव, लेखापरीक्षा आदि से संबंधित निर्धारित शर्तें पूरी की जाएंगी, *15.1 -15.3.*
36	पूंजीकरण और खराब ऋणों की कटौती के दावे से संबंधित प्रावधानों को आईसीडीएस के प्रावधानों के साथ सरेखित करना , 16.i - *16.6;* सहकारी चीनी मिलों द्वारा सरकार द्वारा या सरकार के अनुमोदन से निर्धारित मूल्य पर गन्ना खरीदने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती, *17.1-17.4।*
47	अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधानों से संबंधित स्पष्टता, *8.1-8.5;* म्यूचुअल फंड की समान योजनाओं के

	विलय पर कर तटस्थता, *18.1-18.4।*
49	अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधानों से संबंधित स्पष्टता, *8.1-8.5;* वैश्विक डिपॉजिटरी प्राप्तियों (जीडीआर) से संबंधित संशोधन, *32.1-32.10;* म्यूचुअल फंड की समान योजनाओं के विलय पर कर तटस्थता, *18.1-18.4;* परिणामी कंपनी के हाथों में पूंजीगत परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत वह लागत होगी जिसके लिए अलग की गई कंपनी ने पूंजीगत परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया था *; 19.1-19.3।*
80 डिग्री सेल्सियस	सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत बालिकाओं के लिए धारा 80सी के अंतर्गत कर लाभ, *20.1-20.4.*
80सीसीसी	*21.1 - 21.3* के अंतर्गत कटौती की सीमा बढ़ाना।
80सीसीडी	*22.1 - 22.3* के अंतर्गत अतिरिक्त कटौती।
80डी	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती से संबंधित धारा 80डी में संशोधन, *23.1 - 23.5.*
80डीडी	दिव्यांगता और गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए धारा 80डीडी और 80यू के तहत कटौती की सीमा बढ़ाना, *24.1 - 24.8.*
80डीडीबी	*25.1-25.6* के अंतर्गत कटौती की सीमा बढ़ाना।
80 जी	स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि के लिए कर लाभ, *27.1-27.5;* नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि के लिए सौ प्रतिशत कटौती, *26.1-26.3।*
80जेजेएए	नये कामगारों के रोजगार के लिए कटौती, *28.1-28.5.*
80 यू	दिव्यांगता और गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए धारा 80डीडी और 80यू के तहत कटौती की सीमा बढ़ाना, *24.1 - 24.8.*
92बीए	निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के लिए सीमा को बढ़ाकर *29.1-29.3 करना।*
95	सामान्य कर परिहार रोधी नियम ("जीएएआर") से संबंधित प्रावधानों का आस्थगन, *30.1 - 30.5.*
111ए	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था, *34.1 - 34.7.*
115 क	गैर-निवासियों के मामले में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क के रूप में आय पर कर की दर में कमी, *31.1 31.3.*
115एसीए	ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों (जीडीआर) से संबंधित संशोधन, *32.1-32.10.*
115जेबी	*33.1.-33.6* के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना।
115यू	श्रेणी-I और श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधियों को स्थिति प्रदान करना, *35.1-35.7.*
115यूए	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था, *34.1 -34.7.*
अध्याय XII-FB जिसमें धारा 115UB शामिल है	श्रेणी-I और श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधियों को स्थिति प्रदान करना, *35.1-35.7.*
132बी	निपटान आयोग, *49.1 - 49.13.*
139	आयकर अधिनियम की धारा 10 (23सी) में निर्दिष्ट कुछ विश्वविद्यालयों और अस्पतालों द्वारा आय का रिटर्न प्रस्तुत करना , 36.1-36. 4; आय का रिटर्न विदेशी परिसंपत्ति के 'लाभार्थी' या 'लाभार्थी' द्वारा दाखिल किया जाना है, *37.1-37.5;* श्रेणी-I और श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधियों को पास-थ्रू स्थिति, *35.1-35.7.*
151	पुनर्मूल्यांकन हेतु नोटिस जारी करने के लिए अनुमोदन व्यवस्था का सरलीकरण, *38.1 - 38.3.*
153सी	उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की आय का आकलन जिसके मामले में तलाशी शुरू की गई है या खाता बही, अन्य दस्तावेज या संपत्ति मांगी गई है, *39.1 -39.3।*
154	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का

	युक्तिकरण , *47.1-47.20।*
156	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण , *47.1-47.20।*
158एए	जब विधि का समरूप प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो तो राजस्व द्वारा अपील की प्रक्रिया, *40.1 -40.6.*
192	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण , *47.1-47.20।*
192ए	कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफएस) के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तंत्र का सरलीकरण, *41.1-41.8।*
194ए	युक्तिकरण (प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा), *42.1-42.11.*
194सी	ट्रांसपोर्टरों को किए गए भुगतान से कर कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण, *43.1-43.9.*
194-आई	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था, *34.1-34.7।*
194एलबीए	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था, *34.1-34.7।*
194एलबीबी	श्रेणी-I और श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधियों को पास-थ्रू स्थिति, *35.1-35.7,*
194एलडी	आयकर अधिनियम, *44.1-44.4 की धारा 194एलडी के अंतर्गत रियायती कर दर की पात्र अवधि का विस्तार।*
195	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण , *47.1-47.20।*
197ए	जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत किए गए भुगतान के लिए फॉर्म 15जी/15एच दाखिल करने की सुविधा, *45.1-45.4.*
200	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण , *47.1-47.20।*
200ए	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण , *47.1-47.20।*
203ए	कटौतीकर्ताओं के लिए टैन प्राप्त करने की आवश्यकता में ढील , *46.1-46.3.*
206सी	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण , *47.1-47.20।*
206सीबी	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण , *47.1-47.20।*
220	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण , *47.1-47.20।*
234बी	के मामले में अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज और जहां धारा 245सी, *48.1-48.7* के तहत निपटान आयोग के समक्ष अतिरिक्त आय का खुलासा किया जाता है।
245ए	निपटान आयोग, *49.1-49.13.*
245डी	निपटान आयोग, *49.1-49.13.*
245एच	निपटान आयोग, *49.1-49.13.*
245एचए	निपटान आयोग, *49.1-49.13.*
245के	निपटान आयोग, *49.1-49.13.*
245-0	अग्रिम निर्णय प्राधिकरण *(एएआर) में विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता, 50.1-50.3.*
246ए	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का

	युक्तिकरण , *47.1-47.20*।
253	धारा 10 के खंड (23सी) के उपखंड (vi) और (via) के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य बनाए गए, *51.1-51.4*।
255	आईटीएटी की एकल सदस्यीय पीठ द्वारा तय किए जाने वाले मामलों की आय-सीमा बढ़ाना, *52.1-52.3.*
263	आदेश का संशोधन जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह राजस्व के हितों के लिए हानिकारक है, *53.1-53.3.*
269एसएस	कुछ ऋण, जमा और निर्दिष्ट राशि लेने या स्वीकार करने का तरीका और ऋण या जमा और निर्दिष्ट अग्रिमों की चुकौती का तरीका, *54.1-54.6*।
269टी	कुछ ऋण, जमा और निर्दिष्ट राशि लेने या स्वीकार करने का तरीका और ऋण या जमा और निर्दिष्ट अग्रिमों की चुकौती का तरीका, *54.1-54.6*।
271	*55.1-55.5* की उपधारा (1) के खंड (iii) के अंतर्गत आय छिपाने के लिए दंड के प्रयोजनों हेतु अपवंचित की जाने वाली कर की राशि।
271डी	कुछ ऋण, जमा और निर्दिष्ट राशि लेने या स्वीकार करने का तरीका और ऋण या जमा और निर्दिष्ट अग्रिमों की चुकौती का तरीका, *54.1-54.6*।
271ई	कुछ ऋण, जमा और निर्दिष्ट राशि लेने या स्वीकार करने का तरीका और ऋण या जमा और निर्दिष्ट अग्रिमों की चुकौती का तरीका, *54.1-54.6*।
271एफएबी	भारत में फंड मैनेजर्स ऑफशोर फंड्स के साथ व्यावसायिक संबंध नहीं बनाएंगे, *10.1-10.11.*
271जीए	अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधानों से संबंधित स्पष्टता, *8.1-8.5.*
271-1	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण , *47.1-47.20*।
272ए	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण , *47.1-47.20*।
273बी	भारत में फंड मैनेजर्स ऑफशोर फंड्स के साथ व्यावसायिक संबंध नहीं बनाएंगे, *10.1-10.11.*
285ए	अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधानों से संबंधित स्पष्टता, *8.1-8.5.*
288	कुछ लेखाकारों को रिपोर्ट/प्रमाणपत्र नहीं देने होंगे,56.1-56.5 .
295	बोर्ड को विदेशी कर क्रेडिट देने के लिए नियमों को अधिसूचित करने में सक्षम बनाना, *57.1-57.3.*
	संपत्ति-कर अधिनियम, 1957
3	संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के तहत संपत्ति कर की वसूली को समाप्त करना, *58.1-58.6.*
	वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004
97	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था, 34.1 - *34.7.*
98	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था, 34.1 - *34.7.*
100	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था, 34.1 - *34.7.*
101	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था, 34.1 - *34.7.*

1 परिचय

1.1 वित्त अधिनियम, 2015 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 14 मई, 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे 2015 के अधिनियम संख्या 20 के रूप में अधिनियमित किया गया। यह परिपत्र प्रत्यक्ष करों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के सार को स्पष्ट करता है।

2. अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तन

2.1 अधिनियम में-

(*मैं*) कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर की दरें तथा आयकर की दरें निर्दिष्ट की गई हैं जिनके आधार पर स्रोत पर कर की कटौती की जानी है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अग्रिम कर का भुगतान किया जाना है।

(*ii*) संशोधित धाराएँ 2, 6, 9, 10, 11, 13, 32, 35, 36, 47, 49, 80सी, 80सीसीसी, 80सीसीडी, 80डी, 80डीडी, 80डीडीबी, 80जी, 80जेजेएए, 80यू, 92बीए, 95, 111ए, 115ए, 115एसीए, 115जेबी, 115यू, 115यूए, 132बी, 139, 153सी, 154, 156, 192, 194ए, 194सी, 1941, 194एलबीए, 194एलडी, 195, 197ए, 200, 200ए, 203ए, 206सी, 220, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी, 245ए, 245डी, 245एच, 245एचए, 245के, 2450, 246ए, 253, 255, 263, 269टी, 271, 271डी, 271ई, 272ए, 273बी, 288 और 295;

(*iii*) धारा 151 और 269एसएस के स्थान पर नई धाराएं प्रतिस्थापित की गईं;

(*iv*) आयकर अधिनियम, 1961 में नई धाराएं 9ए, 32एडी, 158एए, 192ए, 194एलबीबी, 206सीबी, 271एफएबी, 271जीए, 271-आई और 285ए जोड़ी गई;

(*वी*) आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115यूबी से युक्त अध्याय XII-एफबी अंतःस्थापित;

(*छठी*) संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 को निरस्त कर दिया;

(*सात*) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 की धारा 97, 98, 100 और 101 में संशोधन किया गया।

3. दर संरचना

3.1 निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर योग्य आय के संबंध में आयकर की दरें

3.1.1 निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर-देय सभी श्रेणियों के करदाताओं की आय के संबंध में , आयकर की दरें अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग I में निर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्धारित दरों के समान हैं, जो "अग्रिम कर" की गणना, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कुछ मामलों में देय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए हैं।

उक्त भाग-I में निर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

3.1.2 व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति। -

प्रथम अनुसूची के भाग 1 का पैराग्राफ ए प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (सहकारी समिति, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी के अलावा) के मामले में आयकर की दरें निम्नानुसार निर्दिष्ट करता है : -

कर योग्य आय	आयकर की दर		
	व्यक्ति (वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिक को छोड़कर), एचयूएफ , व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय और कृत्रिम विधिक व्यक्ति।	भारत में निवास करने वाला व्यक्ति जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक किन्तु अस्सी वर्ष से कम हो। (वरिष्ठ नागरिक)	भारत में रहने वाला व्यक्ति जो अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का हो (अति वरिष्ठ नागरिक)
2,50,000 रुपये तक	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*
रु. 2,50,001 - रु. 3,00,000	*10%*		
रु. 3,00,001 - रु. 5,00,000		*10%*	
रु. 5,00,001 - रु. 10,00,000	20%	20%	20%
10,00,000 रुपये से अधिक	30%	30%	30%

एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्ति के मामले में, इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में दस प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाएगा। हालाँकि, सीमांत राहत उपलब्ध होगी, इसलिए एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर , अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा।

उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की आय 1,01,00,000 रुपये है और आयकर की गणना 28,55,000 रुपये है। ऐसे कर पर 10% की दर से आयकर पर अधिभार 2,85,500 रुपये है। इस प्रकार सीमांत राहत प्रदान किए बिना अधिभार सहित कुल आयकर 31,40,500 रुपये है। सीमांत राहत प्रदान करने पर अधिभार सहित आयकर 29,55,000 रुपये तक सीमित होगा। फिर 29,55,000 रुपये पर दो प्रतिशत का शिक्षा उपकर गणना किया जाना है जो 59,100 रुपये होता है। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर की राशि को आयकर पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर नामक एक अतिरिक्त उपकर द्वारा भी बढ़ाया जाएगा जो ऐसे आयकर के एक प्रतिशत की दर से है 29,55,000 रुपये का कुल योग 29,550 रुपये होता है। इस प्रकार, जहाँ कर की गणना 29,55,000 रुपये है, वहाँ दो प्रतिशत शिक्षा उपकर 59,100 रुपये और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर 29,550 रुपये है। इस स्थिति में कुल उपकर 88,650 रुपये (*अर्थात* 59,100 रुपये + 29,550 रुपये) होगा । ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3.1.3 सहकारी समितियाँ

प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में, आयकर की दरें अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के पैराग्राफ 'बी' में निर्दिष्ट की गई हैं। दरें इस प्रकार हैं:-

कर योग्य आय	**दर**
10,000 रुपये तक	10%
10,001 रुपये से 20,000 रुपये तक	20%
20,000 रुपये से अधिक	30%

एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाली सहकारी समिति के मामले में, इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में ऐसे आयकर पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाएगा। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर , अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा।

उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3.1.4 फर्में-

प्रत्येक फर्म के मामले में, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के पैरा सी में तीस प्रतिशत की आयकर दर निर्दिष्ट की गई है।

एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाली फर्म के मामले में, इस प्रकार गणना की गई आयकर राशि में दस प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाएगा। हालाँकि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर , अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा।

उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3.1.5 स्थानीय प्राधिकरण - प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के मामले में, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के पैराग्राफ डी में आयकर की दर तीस प्रतिशत निर्दिष्ट की गई है।

यदि किसी स्थानीय प्राधिकरण की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, तो इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में ऐसे आयकर पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाएगा। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर , अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा।

उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3.1.6 कंपनियां-

कंपनी के मामले में, आयकर की दर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के पैराग्राफ ई में निर्दिष्ट की गई है।

घरेलू कंपनी के मामले में, आयकर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत है। यदि ऐसी घरेलू कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक परंतु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो कर की गणना में पाँच प्रतिशत का अधिभार जोड़ा जाएगा। यदि कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

घरेलू कंपनी के अलावा किसी कंपनी के मामले में, 31-3-1961 के बाद लेकिन 1-4-1976 से पहले किए गए अनुमोदित समझौते के तहत सरकार या भारतीय चिंता से प्राप्त रॉयल्टी पर पचास प्रतिशत कर लगाया जाएगा। इसी तरह, 29-2-1964 के बाद लेकिन 1-4-1976 से पहले किए गए अनुमोदित समझौते के तहत सरकार या भारतीय चिंता से ऐसी कंपनी द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर पचास प्रतिशत कर लगाया जाएगा। ऐसी कंपनी की कुल आय के शेष पर कर की दर चालीस प्रतिशत होगी। गणना किए गए कर में दो प्रतिशत का अधिभार बढ़ाया जाएगा, जहां ऐसी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यदि घरेलू कंपनी के अलावा कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो पांच प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

तथापि, प्रत्येक कंपनी के मामले में सीमांत राहत की अनुमति दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि (i) एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से एक करोड़ रुपए से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी, (यदि) दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से दस करोड़ रुपए से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

प्रत्येक कंपनी के मामले में, आयकर पर शिक्षा उपकर , गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा, जिसमें अधिभार भी शामिल है। साथ ही, कर और अधिभार की ऐसी राशि में आयकर पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर नामक एक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा, जो गणना की गई कर राशि पर एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा, जिसमें अधिभार भी शामिल है। शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3.2 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुछ आय से स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें।

3.2.1 प्रत्येक मामले में जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 193, 194, 194ए, 194बी, 194बीबी, 194डी, 194एलबीए और 195 के प्रावधानों के तहत लागू दरों पर कर काटा जाना है, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 की पहली अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट दरों के समान ही बनी रहेंगी, सिवाय इसके कि गैर-निवासियों (कंपनी के अलावा) या किसी विदेशी कंपनी को धारा 115ए में निर्दिष्ट तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के रूप में आय की प्रकृति में भुगतान के मामले में, दर ऐसी आय का पच्चीस प्रतिशत के बजाय दस प्रतिशत होगी।

3.2.2 अधिभार -

निम्नलिखित मामलों में स्रोत पर कटौती किए गए कर को नीचे दर्शाए गए संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा : -

(*मैं*) प्रत्येक अनिवासी व्यक्ति जो कंपनी नहीं है, के मामले में अधिभार की दर कर का बारह प्रतिशत है, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली आय या ऐसी आय का कुल योग तथा कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है।

(*ii*) विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों के मामले में, अधिभार की दर ऐसे आयकर का दो प्रतिशत है, जहाँ भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली संभावित आय या ऐसी आय का कुल योग एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। ऐसे मामले में जहाँ किसी विदेशी कंपनी को भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली संभावित आय या ऐसी आय का कुल योग दस करोड़ रुपये से अधिक है और कटौती के अधीन है, अधिभार की दर पाँच प्रतिशत है।

(*iii*) किसी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकरण, फर्म, निवासी या घरेलू कंपनी के मामले में स्रोत पर कर कटौती पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

3.2.3 शिक्षा उपकर -

संघ के प्रयोजनों के लिए, आयकर और अधिभार, यदि कोई हो, के दो प्रतिशत की दर से आयकर पर शिक्षा उपकर लगाया जाता रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी विदेशी कंपनी की आय 1,20,00,000 रुपये है और ऐसी विदेशी कंपनी से 10 प्रतिशत की दर से 12,00,000 रुपये का कर काटा जाता है, तो ऐसे काटे गए कर पर दो प्रतिशत की दर से अधिभार 24,000 रुपये होगा। काटे गए कर और अधिभार की ऐसी राशि पर शिक्षा उपकर (12,00,000 रुपये + 24,000 रुपये = 12,24,000 रुपये) 24,480 रुपये होगा।

इसके अतिरिक्त, काटे गए कर और अधिभार की राशि में, ऐसे सभी मामलों में आयकर पर एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार जोड़ा जाएगा। इस प्रकार , उपरोक्त उदाहरण में, जहाँ काटे गए कर की राशि 12,00,000 रुपये है, अधिभार 24,000 रुपये है, उक्त माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर की गणना 12,24,000 रुपये पर एक प्रतिशत की दर से की जाएगी, जो 12,240 रुपये होगा। इस प्रकार, इस मामले में

कुल उपकर 36,720 रुपये (अर्थात, 24,480 रुपये + 12,240 रुपये) होगा।

3.3 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आयकर की कटौती, "अग्रिम कर" की गणना और विशेष मामलों में आयकर वसूलने की दरें।

3.3.1 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 'वेतन' से स्रोत पर आयकर की कटौती और अग्रिम कर की गणना हेतु दरें अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान चालू आय पर आयकर लगाने के लिए भी लागू हैं, जहाँ त्वरित मूल्यांकन किया जाना है, *जैसे,* भारत में अनिवासियों को होने वाले शिपिंग लाभों का अनंतिम मूल्यांकन, उस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन, कर से बचने के लिए संपत्ति हस्तांतरित करने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन, अल्पावधि के लिए गठित निकायों का मूल्यांकन, आदि। दरें इस प्रकार हैं:-

3.3.2 व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति -

प्रथम अनुसूची के भाग III का पैराग्राफ 'क' प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (सहकारी समिति, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी को छोड़कर) के मामले में आयकर की दरें निर्दिष्ट करता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए मूल छूट सीमा, कर की दरें और आय के स्लैब वित्तीय वर्ष 2014-15 के समान ही रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कर की दरें इस प्रकार हैं:-

कर योग्य आय	आयकर की दर		
	व्यक्ति (वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिक को छोड़कर), एचयूएफ, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय और कृत्रिम विधिक व्यक्ति।	भारत में निवासी व्यक्ति जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक किन्तु अस्सी वर्ष से कम हो (वरिष्ठ नागरिक)	में रहने वाला व्यक्ति , जिसकी आयु अस्सी वर्ष या उससे अधिक हो (अति वरिष्ठ नागरिक)
2,50,000 रुपये तक	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*
रु. 2,50,001 - रु. 3,00,000	*10%*		
रु. 3,00,001 - रु. 5,00,000		*10%*	
रु. 5,00,001 - रु.10,00,000	20%	20%	20%
10,00,000 रुपये से अधिक	30%	30%	30%

इस प्रकार गणना की गई आयकर की राशि में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दस प्रतिशत की दर के स्थान पर, एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्ति के मामले में ऐसे आयकर पर बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपए से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर , अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक एक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा , जो अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3.3.3 सहकारी समितियाँ

प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में, आयकर की दरें अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैराग्राफ 'ख' में निर्दिष्ट की गई हैं। दरें इस प्रकार हैं-

कर योग्य आय	**दर**
10,000 रुपये तक	10%
10,001 रुपये से 20,000 रुपये तक	20%
20,000 रुपये से अधिक	30%

इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाली सहकारी समिति के मामले में, ऐसे आयकर पर बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा, जबकि पहले यह दर प्रतिशत होती थी।

हालाँकि, सीमांत राहत उपलब्ध होगी। तदनुसार, एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये

की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर और आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर , अधिभार सहित गणना की गई आयकर राशि पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3.3.4 फर्में-

प्रत्येक फर्म के मामले में, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा सी में तीस प्रतिशत की आयकर दर निर्दिष्ट की गई है।

इस प्रकार गणना की गई आयकर की राशि में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाली फर्म के मामले में, ऐसे आयकर पर बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा, जबकि सामान्यतः यह दर प्रतिशत होती है।

हालाँकि, सीमांत राहत उपलब्ध होगी। तदनुसार, एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर , अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक एक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा , जो अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3.3.5 स्थानीय प्राधिकरण-

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैराग्राफ डी में आयकर की दर तीस प्रतिशत निर्दिष्ट की गई है।

इस प्रकार गणना की गई आयकर की राशि में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दस प्रतिशत की दर के स्थान पर, एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाले स्थानीय प्राधिकरण के मामले में, ऐसे आयकर पर बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

हालाँकि, सीमांत राहत उपलब्ध होगी। तदनुसार, एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर और आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर , आयकर और अधिभार की राशि पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3.3.6 कंपनियाँ-

कंपनी के मामले में, आयकर की दर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैराग्राफ ई में निर्दिष्ट की गई है।

घरेलू कंपनी के मामले में, आयकर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत है। यदि ऐसी घरेलू कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए पाँच प्रतिशत की दर के स्थान पर, कर की गणना में सात प्रतिशत का अधिभार लगाया जाएगा। यदि कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दस प्रतिशत की दर के स्थान पर बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

घरेलू कंपनी के अलावा किसी कंपनी के मामले में, 31-3-1961 के बाद लेकिन 1-4-1976 से पहले किए गए अनुमोदित समझौते के तहत सरकार या भारतीय चिंता से प्राप्त रॉयल्टी पर पचास प्रतिशत कर लगाया जाएगा। इसी तरह, 29-2-1964 के बाद लेकिन 1-4-1976 से पहले किए गए अनुमोदित समझौते के तहत सरकार या भारतीय चिंता से ऐसी कंपनी द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर पचास प्रतिशत कर लगाया जाएगा। ऐसी कंपनी की कुल आय के शेष पर कर की दर चालीस प्रतिशत होगी। जहां ऐसी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, वहां गणना किए गए कर में दो प्रतिशत का अधिभार बढ़ाया जाएगा। यदि घरेलू कंपनी के अलावा कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो पांच प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

हालांकि, प्रत्येक कंपनी के मामले में सीमांत राहत की अनुमति दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि (i) एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी, [ii] दस करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि दस करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से दस करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर और आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर , अधिभार सहित संगणित आयकर राशि पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3.4 अतिरिक्त आयकर पर अधिभार

जहां आयकर अधिनियम की धारा 115-0 या धारा 115-क्यूए या धारा 115आर की उपधारा (2) या धारा 115टीए के अंतर्गत अतिरिक्त आयकर का भुगतान किया जाना है, अर्थात घरेलू कंपनियों द्वारा लाभांश के वितरण पर या शेयरधारकों से शेयरों की पुनर्खरीद पर किसी कंपनी द्वारा आय के वितरण पर या किसी म्यूचुअल फंड द्वारा अपने यूनिट धारकों को आय के वितरण पर या किसी प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट द्वारा अपने निवेशकों को आय के वितरण पर, इस प्रकार देय अतिरिक्त कर में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अक्सर प्रतिशत की दर के स्थान पर ऐसे कर के बारह प्रतिशत का अधिभार जोड़ा जाएगा।

4. आयकर अधिनियम में धर्मार्थ उद्देश्य की परिभाषा का युक्तिकरण

4.1 आयकर अधिनियम की धारा 11 धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट से संबंधित है। उक्त धारा के अंतर्गत किसी न्यास या संस्था को छूट प्रदान करने की प्राथमिक शर्त यह है कि न्यास के अधीन रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय का उपयोग भारत में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। 'धर्मार्थ उद्देश्य' को अधिनियम की धारा 2(15) में परिभाषित किया गया है। धारा 2 के खंड (15) का पहला परंतुक , अन्य *बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु की उन्नति धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगी, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की कोई गतिविधि, या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय से संबंधित कोई सेवा प्रदान करने की गतिविधि,* उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए, ऐसी गतिविधि से प्राप्त आय के उपयोग या अनुप्रयोग, या प्रतिधारण की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना, शामिल है। हालाँकि, दूसरे परंतुक के अनुसार, यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा यदि ऊपर उल्लिखित गतिविधियों से प्राप्तियों का कुल मूल्य पिछले वर्ष में पच्चीस लाख रुपये या उससे कम है।

4.2 वे संस्थाएं जो वास्तविक धर्मार्थ गतिविधियों के भाग के रूप में पुस्तकें प्रकाशित करने या योग पर कार्यक्रम आयोजित करने या धर्मार्थ प्रकृति के उद्देश्यों को वास्तविक रूप से पूरा करने के भाग के रूप में अन्य कार्यक्रम आयोजित करती हैं, उन्हें धारा 2(15) के प्रथम और द्वितीय प्रावधान के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

4.3 योग गतिविधि वर्तमान समय में प्रमुख क्षेत्रों में से एक रही है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्रदान की गई है। इसलिए , शिक्षा की तर्ज पर, धर्मार्थ उद्देश्य की परिभाषा में 'योग' को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में शामिल करने के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

4.4 दान की आड़ में व्यावसायिक गतिविधि को रोकने के उद्देश्य और साथ ही ट्रस्ट या संस्था के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के एक भाग के रूप में वास्तविक संगठन द्वारा की गई गतिविधियों की सुरक्षा के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए, आयकर अधिनियम में 'धर्मार्थ उद्देश्य' की परिभाषा में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को आगे बढ़ाना धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में कोई गतिविधि करना, या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय से संबंधित कोई सेवा प्रदान करने की गतिविधि शामिल है, उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए, ऐसी गतिविधि से आय के उपयोग या अनुप्रयोग या प्रतिधारण की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना, जब तक कि, -

(*मैं*) ऐसी गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की ऐसी उन्नति के वास्तविक कार्यान्वयन के दौरान की जाती है; और

(*ii*) वर्ष की ऐसी गतिविधि या गतिविधियों को करने वाले ट्रस्ट या संस्था की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

4.5 ***प्रयोज्यता*** : - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

5.1 सरकारी अनुदानों के कराधान से संबंधित प्रावधानों को आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों के साथ संरेखित करना।

5.1 आयकर अधिनियम की धारा 145 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी भी वर्ग के करदाताओं या किसी भी वर्ग की आय के लिए आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) अधिसूचित कर सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद 31 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या एसओ 892 (अ) के जरिए आईसीडीएस-I से आईसीडीएस-X को अधिसूचित किया । सरकारी अनुदानों से संबंधित आईसीडीएस-VII में प्रावधान है कि मूल्यह्रास योग्य संपत्ति से संबंधित को छोड़कर सभी सरकारी अनुदानों को उक्त आईसीडीएस के प्रावधानों के अनुसार आय के रूप में मान्यता दी जाएगी। आयकर अधिनियम की धारा 43 के खंड (2) के *स्पष्टीकरण* 10 के मौजूदा प्रावधानों में पहले से ही किसी संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित सरकारी अनुदानों के उपचार के लिए मार्गदर्शन शामिल था। आईसीडीएस के लिए सार्वजनिक परामर्श के दौरान, हितधारकों ने सुझाव दिया कि इस मामले में भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए, आयकर अधिनियम में इन सरकारी अनुदानों को आय मानने का विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए। आईसीडीएस का मसौदा तैयार करने वाली लेखा मानक समिति ने भी सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों की जाँच की है और सुझाव दिया है कि इस मामले में निश्चितता लाने के लिए विधायी संशोधन के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। इस मामले में भविष्य में किसी भी मुकदमेबाजी और विवाद से बचने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (24) के अंतर्गत आय की परिभाषा में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आय में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण या निकाय या एजेंसी द्वारा करदाता को नकद या वस्तु के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी या अनुदान या नकद प्रोत्साहन या शुल्क वापसी या छूट या रियायत या प्रतिपूर्ति (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के रूप में सहायता शामिल होगी, जो आयकर अधिनियम की धारा 43 के खंड (2)

के *स्पष्टीकरण 10* के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्ति की वास्तविक लागत के निर्धारण के लिए गणना में ली जाने वाली सब्सिडी या अनुदान या प्रतिपूर्ति के अलावा होगी ।

5.2 जैसा कि 5 मई, 2015 की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है , आय की संशोधित परिभाषा किसी व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में प्राप्त एलपीजी सब्सिडी या किसी अन्य कल्याणकारी सब्सिडी पर लागू नहीं होगी, न कि उसके द्वारा किए जा रहे व्यवसाय या पेशे के संबंध में।"

5.3 प्रयोज्यता: - यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

6. भारत में प्रवास की अवधि की गणना करने के तरीके और प्रक्रिया को निर्धारित करने की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की शक्ति

6.1 आयकर अधिनियम की धारा 6 का खंड (1) उन शर्तों का प्रावधान करता है जिनके तहत किसी व्यक्ति को भारत का निवासी माना जाता है। उक्त खंड, *अन्य बातों के साथ-साथ,* यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को किसी पूर्व वर्ष में भारत का निवासी तब कहा जाता है जब वह उस वर्ष से पहले के चार वर्षों के भीतर कुल तीन सौ पैंसठ दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भारत में रहा हो, और उस वर्ष में कुल साठ दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भारत में रहा हो। हालाँकि, किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत का नागरिक होते हुए किसी भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में किसी पूर्व वर्ष में भारत छोड़ता है, साठ दिनों की उपर्युक्त शर्त को एक सौ बयासी दिन तक बढ़ा दिया जाता है।

6.2 विदेश जाने वाले जहाजों के मामले में, जहां यात्रा का गंतव्य भारत से बाहर है, ऐसे जहाजों के चालक दल के सदस्यों, जो भारतीय नागरिक हैं, के लिए भारत में ठहरने की अवधि के निर्धारण के तरीके और आधार के संबंध में अनिश्चितता थी।

6.3 उपर्युक्त के मद्देनजर, आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत का नागरिक है और भारत छोड़ने वाले विदेशी जहाज के चालक दल का सदस्य है, ऐसी यात्रा के संबंध में भारत में ठहरने की अवधि या अवधियों का निर्धारण आयकर नियम, 1962 में निर्धारित तरीके और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा। 17 अगस्त, 2015 के एसओ संख्या 2240[ई) द्वारा अधिसूचित आयकर नियम, 1962 के नियम 126 में भारत में ठहरने की अवधि के निर्धारण का तरीका निर्धारित किया गया है।

6.4 *प्रयोज्यता* : - यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2015-16 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

7. कंपनियों के संबंध में निवास स्थिति निर्धारित करने की शर्तों में संशोधन

7.1 आयकर अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान उन शर्तों का प्रावधान करते हैं जिनके तहत किसी व्यक्ति को पिछले वर्ष भारत में निवासी कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति के कंपनी होने के संबंध में, शर्तें उक्त अधिनियम की धारा 6 के खंड (3) में निहित हैं। उक्त खंड के तहत, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, किसी कंपनी को किसी पिछले वर्ष भारत में निवासी कहा जाता था, यदि-

(*मैं*) यह एक भारतीय कंपनी है; या

(*ii*) उस वर्ष के दौरान, इसके मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से भारत में स्थित है।

7.2 इस शर्त के कारण कि संपूर्ण नियंत्रण और प्रबंधन भारत में ही होना चाहिए, और वह भी पूरे वर्ष के लिए, यह शर्त व्यावहारिक रूप से लागू नहीं होती। कोई भी कंपनी भारत के बाहर बोर्ड मीटिंग आयोजित करके आसानी से निवासी बनने से बच सकती है। इससे ऐसी शेल कंपनियाँ बनने में मदद मिल सकती है जो बाहर निगमित तो होती हैं लेकिन भारत से नियंत्रित होती हैं।

7.3 'प्रभावी प्रबंधन का स्थान' (POEM) किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में निगमित कंपनी के निवास के निर्धारण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अवधारणा है। भारत द्वारा की गई अधिकांश कर संधियाँ, दोहरे कराधान से बचाव हेतु एक टाई-ब्रेकर नियम के रूप में, कंपनी के निवास के निर्धारण हेतु 'प्रभावी प्रबंधन के स्थान' की अवधारणा को मान्यता देती हैं । कई देश कंपनी के निवास के निर्धारण हेतु POEM परीक्षण को उपयुक्त परीक्षण मानते हैं। POEM के सिद्धांत को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा भी मान्यता प्राप्त है और स्वीकार किया गया है।
मॉडल कन्वेंशन पर ओईसीडी की टिप्पणी में प्रभावी प्रबंधन के स्थान की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि यह वह स्थान है जहां प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक निर्णय लिए जाते हैं, जो समग्र रूप से इकाई के व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं।

7.4 प्रभावी प्रबंधन की अवधारणा को शामिल करके कंपनी के संबंध में निवास की शर्तों में संशोधन, अधिनियम के प्रावधानों को भारत द्वारा अन्य देशों के साथ किए गए दोहरे कराधान परिहार समझौतों (डीटीएए) के अनुरूप बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी होगा। यह भारत के बाहर बनाई गई, लेकिन भारत से नियंत्रित और प्रबंधित, फर्जी कंपनियों के मामलों से निपटने का भी एक उपाय होगा।

7.5 उपर्युक्त के मद्देनजर, आयकर अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि कोई व्यक्ति जो कंपनी है, किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी कहा जाएगा, यदि-

(*मैं*) यह एक भारतीय कंपनी है; या

(*ii*) उस वर्ष इसके प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में है।

7.6 इसके अतिरिक्त, "प्रभावी प्रबंधन का स्थान" से तात्पर्य ऐसे स्थान से है, जहां किसी इकाई के समग्र रूप से व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक निर्णय लिए जाते हैं।

7.7 ***प्रयोज्यता*** : - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

8. अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधानों से संबंधित स्पष्टता

8.1 आयकर अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान उन आय के मामलों से निपटते हैं जिन्हें भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाता है। उक्त धारा की उपधारा (*l*) एक कानूनी कल्पना बनाती है कि कुछ आय भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाएंगी। उक्त उपधारा (1) का खंड (*i*) परिस्थितियों का एक समूह प्रदान करता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय भारत में कर योग्य है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि भारत में किसी भी व्यावसायिक संबंध के माध्यम से या उससे, या भारत में किसी संपत्ति के माध्यम से या उससे, या भारत में किसी परिसंपत्ति या आय के स्रोत के माध्यम से या उससे, या भारत में स्थित पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या उत्पन्न होने वाली सभी आय भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाएगी।

8.2 वित्त अधिनियम, 2012 ने धारा 9 के प्रावधानों में कुछ स्पष्टीकरणात्मक संशोधन सम्मिलित किए थे। इन संशोधनों में, अन्य *बातों के साथ-साथ,* धारा 9(*l*)(*i*) में 1.04.1962 से *स्पष्टीकरण 5 को* सम्मिलित करना शामिल था । स्पष्टीकरण 5 *में* स्पष्ट किया गया था कि कोई परिसंपत्ति या पूंजीगत परिसंपत्ति, जो भारत के बाहर पंजीकृत या निगमित किसी कंपनी या संस्था में कोई शेयर या हित है, भारत में स्थित मानी जाएगी यदि शेयर या हित का मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में स्थित परिसंपत्तियों से पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है।

8.3 इन संशोधनों के दायरे और प्रभाव के संबंध में विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार करते हुए, संशोधनों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा डॉ. पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी।

8.4 विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया और कई सिफारिशों (पूर्णतः या आंशिक संशोधनों सहित) को अधिनियम में संशोधन करके या समय रहते स्पष्टीकरण परिपत्र जारी करके कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया। सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए, अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित धारा 9 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि:-

(*मैं*) किसी विदेशी कंपनी या इकाई के शेयर या हित का मूल्य भारत में स्थित परिसंपत्तियों (चाहे मूर्त या अमूर्त) से काफी हद तक प्राप्त माना जाएगा, यदि निर्दिष्ट तिथि पर, भारतीय परिसंपत्तियों का मूल्य,-

(ए) राशि प्रायः करोड़ रुपये से अधिक होती है; और

(*बी*) कंपनी या इकाई के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों के मूल्य का कम से कम पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।

(*ii*) किसी परिसंपत्ति के मूल्य का अर्थ परिसंपत्ति के संबंध में देयताओं, यदि कोई हो, में कटौती किए बिना ऐसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य होगा।

(*iii*) मूल्यांकन की निर्दिष्ट तिथि वह तिथि होगी जिस दिन कंपनी या इकाई की लेखा अवधि, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरण की तिथि से पहले समाप्त होती है।

(*iv*) तथापि, यदि हस्तांतरण की तिथि पर कंपनी की परिसंपत्तियों का बही मूल्य हस्तांतरण की तिथि से पहले की अंतिम बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों के बही मूल्य से कम से कम 15% अधिक है, तो ऊपर (*iii*) में उल्लिखित तिथि के बजाय, हस्तांतरण की तिथि मूल्यांकन की निर्दिष्ट तिथि होगी।

(*वी*) विदेशी कंपनी की वैश्विक परिसंपत्तियों की तुलना में भारतीय परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य के निर्धारण का तरीका नियमों में निर्धारित किया जाएगा।

(*छठी*) भारत में स्थित परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले शेयर या ब्याज के हस्तांतरण से होने वाले लाभों पर कराधान आनुपातिक आधार पर होगा। आनुपातिकता के निर्धारण की विधि नियमों में निर्धारित की जाएगी।

(*सात*) यह छूट किसी अनिवासी को किसी विदेशी कंपनी या इकाई के शेयर या हित को भारत के बाहर स्थानांतरित करने से उपलब्ध होगी, यदि ऐसी विदेशी कंपनी या इकाई भारत में स्थित परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष रूप से स्वामी है और हस्तांतरणकर्ता अपने संबद्ध उद्यमों के साथ, स्थानांतरण की तारीख से पहले के बारह महीनों में किसी भी समय,

(ए) ऐसी कंपनी या इकाई के संबंध में नियंत्रण या प्रबंधन का अधिकार नहीं रखता है,

(*बी*) न ही विदेशी कंपनी या इकाई में कुल मतदान शक्ति या कुल शेयर पूंजी या कुल हित के पांच प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति या शेयर पूंजी या हित रखता है।

(*आठ*) यदि हस्तांतरण किसी विदेशी कंपनी या इकाई में शेयरों या हित का है जो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय परिसंपत्तियों को रखती है, तो छूट

हस्तांतरणकर्ता को उपलब्ध होगी यदि वह अपने संबद्ध उद्यमों के साथ, हस्तांतरण की तारीख से पहले 12 महीनों में किसी भी समय,-

(ए) ऐसी कंपनी या इकाई के संबंध में प्रबंधन या नियंत्रण का अधिकार नहीं रखता है,

(*बी*) न ही ऐसी कंपनी या इकाई में या उसके संबंध में कोई अधिकार रखता है जो उसे प्रत्यक्ष होल्डिंग कंपनी या इकाई के नियंत्रण या प्रबंधन के अधिकार का हकदार बनाता है, न ही ऐसी कंपनी या इकाई में मतदान शक्ति, या शेयर पूंजी या हित का ऐसा प्रतिशत रखता है जो उसे प्रत्यक्ष होल्डिंग कंपनी या इकाई में मतदान शक्ति, या शेयर पूंजी या पांच प्रतिशत से अधिक हित का हकदार बनाता है।

(*9*) में, कुछ शर्तों के अधीन, किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के किसी हस्तांतरण के संबंध में छूट उपलब्ध होगी , जो किसी विदेशी कंपनी का शेयर है, जिसका मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समामेलित विदेशी कंपनी द्वारा समामेलित विदेशी कंपनी को धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयर या शेयरों से पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है।

(*एक्स*) छूट, कुछ शर्तों के अधीन, किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में उपलब्ध होगी, जो किसी विदेशी कंपनी का शेयर है, जिसका मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, परिणामी विदेशी कंपनी को, विलीन विदेशी कंपनी द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयर या शेयरों से पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है।

(*ग्यारहवीं*) भारतीय प्रतिष्ठान पर रिपोर्टिंग का दायित्व होगा, जिसके माध्यम से या जिसके माध्यम से भारतीय संपत्तियाँ विदेशी कंपनी या संस्था द्वारा धारण की जाती हैं। भारतीय संस्था उस अपतटीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगी जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय कंपनी या संस्था के स्वामित्व ढांचे या नियंत्रण में परिवर्तन करने का हो। इस संबंध में भारतीय प्रतिष्ठान की ओर से किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में धारा 271GA के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकेगा। जुर्माना इस प्रकार होगा -

(ए) उस लेनदेन के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि जिसके संबंध में ऐसी विफलता हुई है, यदि ऐसे लेनदेन का प्रभाव भारतीय प्रतिष्ठान के संबंध में प्रबंधन या नियंत्रण के अधिकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरित करने का था; और

(*बी*) किसी अन्य मामले में पांच लाख रुपये की राशि।

8.5 ***प्रयोज्यता:*** - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

9. कुछ मामलों में अनिवासी द्वारा प्राप्त ब्याज के संबंध में स्रोत नियम के बारे में स्पष्टता

9.1 आयकर अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान कुल आय पर कर लगाने के उद्देश्य से उसकी सीमा निर्धारित करते हैं। अनिवासी व्यक्ति के मामले में, भारत में आय की करयोग्यता स्रोत नियम के आधार पर होती है जिसके तहत कुछ श्रेणियों की आय भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाती है। धारा 9 के प्रावधान उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं जिनके तहत आय भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाती है। धारा 9(1) (v) विशेष रूप से ब्याज आय से संबंधित है। उक्त खंड में प्रावधान है कि ब्याज के रूप में आय भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाती है यदि वह निम्नलिखित द्वारा देय हो-

(ए) सरकार; या

(*बी*) ऐसा व्यक्ति जो निवासी है, सिवाय इसके कि जहां ब्याज किसी ऐसे ऋण के संबंध में देय है, या उधार ली गई और उपयोग की गई धनराशि, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए या भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई आय अर्जित करने या कमाने के प्रयोजनों के लिए ली गई है; या

(*सी*) वह व्यक्ति जो अनिवासी है, जहां भारत में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए लिए गए किसी ऋण, या उधार ली गई और उपयोग की गई धनराशि के संबंध में ब्याज देय है।

9.2 उक्त अधिनियम की धारा 90 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार दोहरे कराधान से राहत प्रदान करने के लिए अन्य बातों के अलावा, भारत के बाहर किसी भी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार के साथ समझौता कर सकती है। भारत ने 90 से अधिक देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव के समझौते (डीटीएए) किए हैं। इसके अतिरिक्त, धारा की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि ऐसे करदाता के संबंध में , जिस पर ऐसा डीटीएए लागू होता है, अधिनियम के प्रावधान उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक वे उसके लिए अधिक लाभकारी हों। इसलिए, करदाता आयकर अधिनियम के प्रावधानों से राहत पाने का हकदार है यदि डीटीएए के तहत ऐसी राहत उपलब्ध है और उस सीमा तक आयकर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

9.3 इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 9(1)(i **)** में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत में किसी अनिवासी की व्यावसायिक गतिविधि से आय कर योग्य है यदि उसका भारत में व्यावसायिक संबंध है और केवल ऐसी आय कर योग्य है जो व्यावसायिक संबंध के कारण है। इसी तरह, डीटीएए के तहत, किसी अनिवासी के मामले में व्यावसायिक गतिविधि से आय केवल तभी कर योग्य होगी यदि ऐसे अनिवासी का भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) है और केवल ऐसी आय कर योग्य है जो पीई के कारण है। पीई की अवधारणा लगभग व्यावसायिक संबंध के समान ही है, अलग-अलग डीटीएए के अनुसार इसमें भिन्नताएं हैं। डीटीएए पीई के कारण आय की गणना का तरीका भी प्रदान करता है। यह प्रावधान किया गया है कि आय की गणना के प्रयोजन के लिए, पीई को एक स्वतंत्र

उद्यम माना जाएगा डीटीएए के तहत, बैंकिंग कंपनी के मामले में, पीई द्वारा अपने मुख्यालय और अन्य शाखाओं को दिए गए ब्याज को ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान को एक स्वतंत्र उद्यम मानकर कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है।

9.4 सीबीडीटी ने अपने परिपत्र संख्या 740 दिनांक 17/4/1996 में स्पष्ट किया था कि भारत में विदेशी कंपनी की शाखा आयकर अधिनियम के तहत कराधान के उद्देश्य से एक अलग इकाई है और तदनुसार, टीडीएस प्रावधान गैर-निवासी के मुख्यालय या अन्य शाखाओं को भुगतान किए गए ब्याज के अलग कराधान के साथ लागू होंगे, जो भारत में कर के लिए प्रभार्य होगा।

9.5 इस संदर्भ में कुछ न्यायिक निर्णयों ने माना है कि हालांकि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को ब्याज का भुगतान घरेलू कानून के तहत गैर-कटौती योग्य है, क्योंकि यह स्वयं को भुगतान है, हालांकि, डीटीएए के तहत प्रदान की गई गणना तंत्र के कारण ऐसा ब्याज कटौती योग्य है लेकिन यह बैंक के हाथों में कर योग्य नहीं है, क्योंकि यह स्वयं से उत्पन्न आय है। सीबीडीटी परिपत्र में व्यक्त दृष्टिकोण को इन न्यायिक निर्णयों में समर्थन नहीं मिला है। यदि संधि के तहत बनाई गई कानूनी कल्पना को सीमित प्रभाव वाला माना जाता, तो इससे आधार क्षरण होता। स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा प्रधान कार्यालय या अन्य शाखा आदि को दिया गया ब्याज भारत में प्राप्त ब्याज भुगतान है और भारत में स्रोत नियम के तहत कर योग्य है। यह स्थिति हमारे कुछ डीटीएए में भी मान्यता प्राप्त है , विशेष रूप से अनुच्छेद 14 (3) इंडो-यूएसए डीटीएए जो निम्नानुसार है : -

> "संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी बैंकिंग कंपनी के मामले में, भारत में ऐसी कंपनी के स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा मुख्यालय को दिया गया ब्याज, इस अभिसमय के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत लगाए जाने वाले कर के अतिरिक्त भारत में कर के अधीन हो सकता है, जिसकी दर अनुच्छेद 11 (ब्याज) के पैराग्राफ 2(ए) में निर्दिष्ट दर से अधिक नहीं होगी।"

9.6 सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन [136 आईटीडी- 66 टीबीओएम] के मामले में आईटीएटी की विशेष पीठ ने उल्लेख किया था कि ऐसे कई अन्य देश हैं जो अपने घरेलू कानून में विशिष्ट प्रावधान प्रदान करते हैं जो किसी स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा अपने मुख्यालय और अन्य शाखाओं को दिए गए ब्याज पर कर देयता की अनुमति देते हैं। पीठ ने आयकर अधिनियम में ऐसे किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव की ओर भी ध्यान दिलाया था। यह देखते हुए कि इस मुद्दे पर कई विवाद लंबित हैं और भविष्य में भी उठने की संभावना है, यह आवश्यक था कि आयकर अधिनियम में आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता प्रदान की जाए।

9.7 तदनुसार, आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि बैंकिंग व्यवसाय में लगे किसी अनिवासी व्यक्ति के मामले में, भारत में ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा प्रधान कार्यालय या किसी स्थायी प्रतिष्ठान या भारत के बाहर ऐसे अनिवासी के किसी अन्य भाग को देय कोई ब्याज भारत में उपार्जित या उत्पन्न माना जाएगा और भारत में स्थायी प्रतिष्ठान को होने वाली किसी भी आय के अतिरिक्त कर के लिए उत्तरदायी होगा। भारत में स्थायी प्रतिष्ठान को उस अनिवासी व्यक्ति से पृथक और स्वतंत्र व्यक्ति माना जाएगा जिसका वह स्थायी प्रतिष्ठान है और कुल आय की गणना, कर निर्धारण और संग्रहण एवं वसूली से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। तदनुसार, भारत में स्थित प्राथमिक संस्था भारत के बाहर अनिवासी के प्रधान कार्यालय या किसी अन्य शाखा या प्राथमिक संस्था आदि को देय किसी भी ब्याज पर स्रोत पर कर काटने के लिए बाध्य होगी। इसके अलावा, कटौती न करने पर पीई द्वारा व्यय के रूप में दावा किए गए ब्याज को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार ब्याज और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

9.8 ***प्रयोज्यता:*** - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

10. भारत में फंड मैनेजरों का विदेशी फंडों से व्यावसायिक संबंध नहीं होगा

10.1 आयकर अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान उन आयों से संबंधित हैं जो भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाती हैं। धारा 9(1)(i) कुछ परिस्थितियों का विवरण देती है जिनमें आय भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाती है और भारत में कर योग्य होती है। किसी अनिवासी की आय भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाने की एक शर्त भारत में उसका व्यावसायिक संबंध होना है। एक बार ऐसा व्यावसायिक संबंध स्थापित हो जाने पर, व्यावसायिक संबंध बनाने वाली गतिविधियों से प्राप्त आय भारत में कर योग्य हो जाती है। इसी प्रकार, दोहरे कराधान परिहार समझौतों (DTAAs) के अंतर्गत, यदि अनिवासी का उस देश में स्थायी प्रतिष्ठान (PE) है, तो स्रोत देश कुछ आय पर कराधान के अधिकार ग्रहण कर लेता है।

10. 2 इसके अलावा, अधिनियम की धारा 6 उन शर्तों का प्रावधान करती है जिनके तहत किसी व्यक्ति को भारत का निवासी कहा जाता है। किसी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, परीक्षण उसके "नियंत्रण और प्रबंधन" के स्थान पर निर्भर करता है।

10.3 अपतटीय निधियों के मामले में, उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत, भारत में निधि प्रबंधक की उपस्थिति अपतटीय निधि का भारत के साथ पर्याप्त संबंध स्थापित कर सकती है और भारत में व्यावसायिक संबंध स्थापित कर सकती है, भले ही निधि प्रबंधक एक स्वतंत्र व्यक्ति ही क्यों न हो। इसी प्रकार, यदि भारत में स्थित निधि प्रबंधक किसी अपतटीय निधि के लिए भारत के बाहर निवेश के संबंध में निधि प्रबंधन गतिविधि करता है, तो ऐसे निवेशों से निधि द्वारा अर्जित लाभ भारत में कर योग्य हो सकता था, क्योंकि निधि प्रबंधक भारत में स्थित है और ऐसे लाभ का श्रेय अपतटीय निधि की ओर से निधि प्रबंधक द्वारा की गई गतिविधि को दिया जाता है। इसलिए, निधि प्रबंधक द्वारा निधि प्रबंधन गतिविधि के लिए शुल्क के रूप में प्राप्त आय पर कराधान के अलावा, भारत के बाहर के देशों में किए गए निवेश से अपतटीय निधि की आय पर भी भारत में कर लग सकता था, क्योंकि भारत में और भारत से की गई ऐसी निधि प्रबंधन गतिविधि एक व्यावसायिक

संबंध बनाती है। इसके अतिरिक्त, कुछ परिस्थितियों में निधि प्रबंधक की उपस्थिति के कारण अपतटीय निधि को भारत में उसका नियंत्रण और प्रबंधन होने के आधार पर भारत में निवासी माना जा सकता था।

10.4 बड़ी संख्या में ऐसे फंड मैनेजर हैं जो भारतीय मूल के हैं और विभिन्न देशों में अपतटीय फंडों के निवेश का प्रबंधन कर रहे हैं। अन्य क्षेत्राधिकारों में किए गए अपतटीय फंडों के निवेश से होने वाली आय के संबंध में उपरोक्त कर परिणामों के कारण इन व्यक्तियों को भारत में रहने से हतोत्साहित किया जा रहा था।

10.5 भारत में अपतटीय निधियों के निधि प्रबंधकों के स्थान को सुगम बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आयकर अधिनियम में एक विशिष्ट व्यवस्था प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि निधि और निधि प्रबंधक द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन,-

(*मैं*) भारत में निवेश से निधि को होने वाली आय के संबंध में कर देयता इस तथ्य से तटस्थ होगी कि निवेश सीधे निधि द्वारा किया गया है या भारत में स्थित निधि प्रबंधक की नियुक्ति के माध्यम से किया गया है; तथा

(*ii*) भारत के बाहर निवेश से प्राप्त निधि की आय भारत में केवल इस आधार पर कर योग्य नहीं होगी कि ऐसे निवेशों के संबंध में निधि प्रबंधन गतिविधि भारत में स्थित निधि प्रबंधक के माध्यम से की गई है।

10.6 यह व्यवस्था प्रदान करती है कि पात्र निवेश निधि के मामले में, ऐसे निधि की ओर से कार्य करने वाले पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से की गई निधि प्रबंधन गतिविधि, उक्त निधि का भारत में व्यावसायिक संबंध नहीं मानी जाएगी।

10.7 इसके अतिरिक्त, यह प्रावधान किया गया है कि किसी पात्र निवेश निधि को केवल इसलिए भारत में निवासी नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसकी ओर से निधि प्रबंधन गतिविधियाँ करने वाला पात्र निधि प्रबंधक भारत में स्थित है। अपतटीय निधियों और उसकी ओर से की जाने वाली निधि प्रबंधन गतिविधियों के व्यावसायिक संबंध और 'निवासी स्थिति' के निर्धारण हेतु सामान्य नियमों से यह विशिष्ट अपवाद निम्नलिखित के अधीन है:-

(1) अपतटीय निधि को पात्र निवेश निधि होने के लिए प्रासंगिक वर्ष के दौरान निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा:

(*मैं*) निधि भारत में निवासी व्यक्ति नहीं है;

(*ii*) निधि किसी ऐसे देश या निर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है जिसके साथ धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90ए की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समझौता किया गया है;

(*iii*) भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधि में कुल भागीदारी या निवेश निधि की कुल राशि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है;

(*iv*) निधि और इसकी गतिविधियां उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में लागू निवेशक संरक्षण विनियमों के अधीन हैं जहां यह स्थापित या निगमित है या निवासी है;

(*वी*) निधि में कम से कम पच्चीस सदस्य होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं होते हैं;

(*छठी*) निधि के किसी भी सदस्य या उससे जुड़े हुए व्यक्ति की निधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दस प्रतिशत से अधिक भागीदारी नहीं होगी।

(*सात*) निधि में दस या उससे कम सदस्यों तथा उनसे जुड़े व्यक्तियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुल भागीदारी हिस्सेदारी पचास प्रतिशत से कम होगी।

(*आठ*) किसी इकाई में निधि द्वारा निवेश निधि की कुल राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(*9*) निधि द्वारा अपनी सहयोगी इकाई में कोई निवेश नहीं किया जाएगा;

(*एक्स*) निधि की मासिक औसत राशि एक सौ करोड़ रुपए से कम नहीं होगी और यदि निधि पिछले वर्ष में स्थापित या निगमित की गई है, तो निधि की औसत राशि ऐसे पिछले वर्ष के अंत में एक सौ करोड़ रुपए से कम नहीं होगी;

(*ग्यारहवीं*) निधि भारत में या भारत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कारोबार नहीं करेगी, नियंत्रित या प्रबंधित नहीं करेगी;

(*बारह*) न तो यह निधि किसी ऐसी गतिविधि में संलग्न है जो भारत में व्यावसायिक संबंध स्थापित करती हो, न ही इसकी ओर से कोई ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है जिसकी गतिविधियां भारत में व्यावसायिक संबंध स्थापित करती हों, सिवाय उन गतिविधियों के जो पात्र निधि प्रबंधक द्वारा इसकी ओर से की जाती हों।

(*तेरह*) निधि द्वारा अपनी ओर से की गई निधि प्रबंधन गतिविधि के संबंध में पात्र निधि प्रबंधक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक ऐसी गतिविधि की अनुमानित कीमत से कम नहीं है।

(2) पात्र निधि प्रबंधक होने के लिए निधि प्रबंधक व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा:

(*मैं*) वह व्यक्ति पात्र निवेश निधि का कर्मचारी या निधि से जुड़ा व्यक्ति नहीं है;

(*ii*) व्यक्ति निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार फंड मैनेजर या निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत है;

(*iii*) व्यक्ति अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में एक फंड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा है;

(*iv*) वह व्यक्ति तथा उसके संबद्ध व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे निधि प्रबंधक के माध्यम से निधि द्वारा किए गए लेन-देन से पात्र निवेश निधि को प्राप्त होने वाले या उत्पन्न होने वाले लाभ के बीस प्रतिशत से अधिक के हकदार नहीं होंगे।

10.8 यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 10.7 की मद (*v*), (*vi*) और (*vii*) में उल्लिखित शर्तें सरकार या किसी विदेशी राज्य के केंद्रीय बैंक या संप्रभु निधि या ऐसे अन्य निधि द्वारा स्थापित निवेश निधि के मामलों में लागू नहीं होंगी, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है।

10.9 यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पात्र निवेश निधि, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नब्बे दिनों के भीतर, निर्धारित आयकर प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें उपरोक्त शर्तों की पूर्ति से संबंधित जानकारी या कोई भी निर्धारित सूचना या दस्तावेज़ शामिल होगा। निर्धारित सूचना, दस्तावेज़ या विवरण प्रस्तुत न करने की स्थिति में, निधि पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा (धारा 271FAB)। नई धारा 9A के प्रावधानों को ऐसे दिशानिर्देशों और तरीके के अनुसार लागू किया जाएगा जैसा कि CBDT इस संबंध में निर्धारित कर सकता है।

10.10 यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस व्यवस्था का पात्र निवेश निधि की किसी भी आय की कर-देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कर-योग्य होती, भले ही पात्र निधि प्रबंधक की गतिविधि भारत में उस निधि के व्यावसायिक संबंध का गठन करती हो या नहीं। इसके अतिरिक्त, नई व्यवस्था का पात्र निधि प्रबंधक के मामले में कुल आय के दायरे या कुल आय के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10.11 ***प्रयोज्यता:*** - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

11. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के कोर सेटलमेंट गारंटी फंड (एसजीएफ) की आय में छूट

11.1 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिसूचित प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) विनियम, 2012 (एसईसीसी) के प्रावधानों के तहत, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के प्रत्येक खंड के लिए कोर सेटलमेंट गारंटी फंड (कोर एसजीएफ) नामक एक फंड स्थापित करने का अधिकार दिया गया है ताकि एक्सचेंज के संबंधित खंडों में निष्पादित ट्रेडों के निपटान की गारंटी दी जा सके।

11.2 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों या भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों या किसी डिपॉजिटरी द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण निधि में अंशदान के माध्यम से प्राप्त आय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कराधान से मुक्त है।

11.3 इसी प्रकार, कोर एसजीएफ की आय (क) निर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त अंशदान; (ख) निधि द्वारा किए गए निवेश, तथा (ग) मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा लगाए गए जुर्माने से उत्पन्न आय को कराधान से छूट दी गई है, जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज या डिपॉजिटरी द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण निधि के मामले में प्रदान की गई समान शर्तों के अधीन है ।

11.3.1 तथापि, जहां निधि के खाते में जमा कोई राशि, जिस पर किसी पूर्व वर्ष के दौरान आयकर नहीं लगाया गया है, निर्दिष्ट व्यक्ति के साथ पूर्णतः या आंशिक रूप से साझा की जाती है, वहां इस प्रकार साझा की गई पूरी राशि उस पूर्व वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें ऐसी राशि साझा की गई थी और तदनुसार उस पर आयकर लगेगा।

11.3.2 इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम से है जो कोर निपटान गारंटी निधि की स्थापना और रखरखाव करता है, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से है जो ऐसे मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम में शेयरधारक है या कोर निपटान गारंटी निधि में योगदानकर्ता है और किसी समाशोधन सदस्य से है जो कोर निपटान गारंटी निधि में योगदान करता है।

11.4 ***प्रयोज्यता:*** - यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

12. धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं द्वारा आय संचयन से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों का युक्तिकरण

12.1 आयकर अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के तहत, ऐसे ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय के संबंध में ट्रस्ट या संस्था को छूट देने के लिए प्राथमिक शर्त यह है कि ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय को भारत में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू किया जाना चाहिए। जहां इस तरह की आय पिछले वर्ष के दौरान लागू नहीं की जा सकती है, इसे अनुभाग में प्रदान की गई विभिन्न शर्तों के अनुसार ऐसे उद्देश्यों के लिए संचित और लागू किया जाना चाहिए। जबकि आय का 15% ट्रस्ट या संस्था द्वारा अनिश्चित काल के लिए संचित किया जा सकता है, 85% आय केवल 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए संचित की जा सकती है, इस शर्त के अधीन कि ऐसा व्यक्ति इस संबंध में मूल्यांकन अधिकारी को निर्धारित फॉर्म 10 जमा करता है और संचित या अलग रखी गई धनराशि को निर्दिष्ट रूपों या तरीकों से निवेश या जमा किया जाता है।

12.2 करदाता द्वारा फॉर्म 10 जमा करने की आवश्यक अवधि के संबंध में अस्पष्टता को दूर करने और उपरोक्त शर्तों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि फॉर्म 10, किसी भी निधि या संस्थान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत निर्दिष्ट आयकर रिटर्न जमा करने की नियत तिथि से पूर्व जमा किया जाएगा। यदि फॉर्म इस तिथि से पहले जमा नहीं किया जाता है, तो संचय

का लाभ उपलब्ध नहीं होगा और ऐसी आय पर लागू दर से कर लगेगा। इसके अतिरिक्त, यदि आयकर रिटर्न जमा करने की नियत तिथि से पहले आयकर रिटर्न जमा नहीं किया जाता है, तो संचय का लाभ भी उपलब्ध नहीं होगा ।

12.3 आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ट्रस्ट के अधीन रखी गई और धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई संपत्ति से आय पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त आय के 85% से इस कारण से कम हो जाती है कि उस वर्ष के दौरान आय प्राप्त नहीं हुई है या कोई अन्य कारण है, तो आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पहले लिखित रूप में ट्रस्ट/संस्था द्वारा विकल्प का प्रयोग करने पर, ऐसी आय को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए लागू किया गया माना जाएगा। विकल्प का प्रयोग करने के लिए कोई मानक प्रारूप नहीं था। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट/संस्था द्वारा विकल्प के प्रयोग के लिए एक प्रारूप निर्धारित करने के लिए धारा 11 के प्रावधानों को भी संशोधित किया गया है।

12.4 ***प्रयोज्यता:*** - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

13. शेष 50% अतिरिक्त मूल्यह्रास की छूट

13.1 विनिर्माण और बिजली क्षेत्र द्वारा संयंत्र या मशीनरी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 32(1)(iia) के मौजूदा प्रावधानों के तहत सामान्य मूल्यह्रास भत्ते के अलावा अधिग्रहित और स्थापित नए संयंत्र या मशीनरी की लागत का 20% अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति है। सामान्य मूल्यह्रास की अनुमति की तर्ज पर, धारा 32(l)(ii) का दूसरा प्रावधान *अन्य बातों के साथ* यह प्रावधान करता है कि अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए भत्ता 50% तक सीमित होगा यदि करदाता द्वारा अधिग्रहित और स्थापित नए संयंत्र या मशीनरी को पिछले वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम की अवधि के लिए व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। वर्ष की दूसरी छमाही में अधिग्रहित और स्थापित संयंत्र या मशीनरी के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए पूर्ण 100% भत्ते की अनुपलब्धता करदाता को अगले वर्ष में अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए पूर्ण 100% भत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसे निवेश को अगले वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

13.2 180 दिनों से कम समय के लिए उपयोग किए गए संयंत्र या मशीनरी और 180 दिनों या उससे अधिक समय के लिए उपयोग किए गए संयंत्र या मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति देने के तरीके में भेदभाव को दूर करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 32(l](*ii*) में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 180 दिनों से कम समय के लिए अधिग्रहित और उपयोग किए गए नए संयंत्र या मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ते का शेष 50%, जिसे ऐसे संयंत्र या मशीनरी के अधिग्रहण और स्थापना के वर्ष में अनुमति नहीं दी गई है, पिछले वर्ष के तुरंत बाद की अनुमति दी जाएगी।

13.3 प्रयोज्यता: - यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

14. आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए प्रोत्साहन

14.1 विनिर्माण क्षेत्र किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल जैसे पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 32एडी जोड़ी गई है और साथ ही, निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है :

14.2 अतिरिक्त निवेश भत्ता

14.2.1 आयकर अधिनियम में धारा 32एडी को शामिल किया गया है ताकि करदाता द्वारा अर्जित और स्थापित नई परिसंपत्ति की लागत के 15% के बराबर राशि का अतिरिक्त निवेश भत्ता प्रदान किया जा सके , यदि-

(ए) वह 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य या बिहार राज्य या तेलंगाना राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य के किसी अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए कोई उपक्रम या उद्यम स्थापित करता है; और

(*बी*) उक्त उपक्रम या उद्यम के प्रयोजनों के लिए नई परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और स्थापना 1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की गई है।

14.2.2 यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 32AC के तहत उपलब्ध मौजूदा कटौती के अतिरिक्त उपलब्ध होगी। तदनुसार, यदि कोई कंपनी आंध्र प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, तेलंगाना राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में कोई उपक्रम स्थापित करती है, तो वह आयकर अधिनियम की धारा 32AC के मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ आयकर अधिनियम की इस नई जोड़ी गई धारा 32AD के तहत भी कटौती का दावा करने के लिए पात्र होगी, बशर्ते वह धारा 32AC में प्रदत्त शर्तों (जैसे एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक निवेश) के साथ-साथ धारा 32AD में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हो।

14.2.3 वाक्यांश "नई परिसंपत्ति" को संयंत्र या मशीनरी के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसमें शामिल नहीं हैं-

(*मैं*) कोई संयंत्र या मशीनरी जो करदाता द्वारा स्थापित किए जाने से पहले भारत के भीतर या बाहर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाती थी;

(*ii*) किसी कार्यालय परिसर या किसी आवासीय आवास में स्थापित कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसमें अतिथि गृह की प्रकृति का आवास भी शामिल है;

(*iii*) कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कोई भी कार्यालय उपकरण;

(*iv*) कोई भी वाहन;

(*वी*) कोई जहाज या विमान; या

(*छठी*) कोई भी संयंत्र या मशीनरी, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत किसी भी पिछले वर्ष के "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में कटौती के रूप में दी गई है (चाहे मूल्यह्रास के रूप में या अन्यथा)।

14.2.4 यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रोत्साहन का लाभ उठाकर स्थापित की जाने वाली विनिर्माण इकाइयाँ उचित अवधि तक विनिर्माण गतिविधियाँ चलाकर इन पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में वास्तव में योगदान दें, संयंत्र या मशीनरी के हस्तांतरण को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित करने हेतु उपयुक्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। हालाँकि, यह प्रतिबंध विलय या विभाजन या व्यावसायिक पुनर्गठन के मामले में विलय करने वाली या विभाजन करने वाली कंपनी या पूर्ववर्ती कंपनी पर लागू नहीं होगा , बल्कि विलय करने वाली कंपनी या परिणामी कंपनी या उत्तराधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, पर लागू होता रहेगा।

14.3 35% की दर से अतिरिक्त मूल्यह्रास

14.3.1 नए संयंत्र या मशीनरी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए , आयकर अधिनियम की धारा 32(1)(iia) के मौजूदा प्रावधानों के तहत, कुछ करदाताओं द्वारा अधिग्रहित और स्थापित संयंत्र या मशीनरी की लागत के संबंध में 20% का अतिरिक्त मूल्यह्रास अनुमत है। यह मूल्यह्रास भत्ता आयकर अधिनियम की धारा 32(1)(ii) के तहत सामान्य मूल्यह्रास के लिए अनुमत कटौती के अतिरिक्त दिया जाता है।

14.3.2 आंध्र प्रदेश राज्य या बिहार राज्य या तेलंगाना राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य में अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण और स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 32(एल)(आईआईए) में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद उक्त राज्यों के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में विनिर्माण उपक्रम या उद्यम की स्थापना के लिए किसी करदाता द्वारा अधिग्रहित और स्थापित नई मशीनरी या संयंत्र (जहाज और विमान के अलावा) की वास्तविक लागत के संबंध में 35% (20% के बजाय) की दर से उच्च अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रदान किया जा सके।

14.3.3 यह उच्चतर अतिरिक्त मूल्यह्रास, 1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ होकर 1 अप्रैल, 2020 से पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त उपक्रम या उद्यम के प्रयोजनों के लिए किसी भी नई मशीनरी या संयंत्र के अधिग्रहण और स्थापना के संबंध में उपलब्ध होगा। इस प्रयोजन के लिए पात्र मशीनरी या संयंत्र में वे मशीनरी या संयंत्र शामिल नहीं होंगे जो वर्तमान में आयकर अधिनियम की धारा 32(*l*)(iia) के विद्यमान प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए पात्र नहीं हैं।

14.4 प्रयोज्यता: - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

अनुमोदित आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधा द्वारा खातों के रखरखाव, लेखा परीक्षा आदि से संबंधित निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाना है

15.1 आयकर अधिनियम की धारा 35(2AB) के तहत, जैव प्रौद्योगिकी के व्यवसाय में लगी कंपनी या किसी भी वस्तु या चीज (अनुसूची-XI में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर) के विनिर्माण को एक अनुमोदित इन-हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा में किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय (किसी भी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति में व्यय नहीं) के लिए 200% की भारित कटौती की अनुमति है। इस भारित कटौती का लाभ उठाने के लिए, कंपनी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के सचिव के साथ एक समझौते में प्रवेश करने और उनकी मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। DSIR के सचिव को निर्धारित फॉर्म में DGIT (छूट) को अनुमोदन के बारे में रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता होती है, जिनके पास आमतौर पर करदाता कंपनी पर अधिकार क्षेत्र नहीं होता है । इसके अलावा, कंपनी को अनुमोदित R&D सुविधा के लिए खाते की अलग-अलग पुस्तकों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अपनी रिपोर्ट में इस भारित कटौती की निगरानी से संबंधित प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है।

15.2 आयकर अधिनियम की धारा 35 (2AB) के अंतर्गत अनुमत भारित कटौती हेतु एक बेहतर एवं सार्थक निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 35(2AB) के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त धारा के अंतर्गत कटौती तभी दी जाएगी जब कंपनी ऐसे अनुसंधान एवं विकास सुविधा में सहयोग के लिए विहित प्राधिकारी के साथ समझौता करती है और खातों के रखरखाव एवं लेखापरीक्षा के संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करती है तथा निर्धारित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम की धारा 35(2AA) और धारा 35(2AB) में

प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त का संदर्भ सम्मिलित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उसमें संदर्भित रिपोर्ट प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त को भी भेजी जा सके।

15.3 प्रयोज्यता: - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

16. ब्याज के पूंजीकरण और खराब ऋणों की कटौती के दावे से संबंधित प्रावधानों को आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों के साथ संरेखित करना

16.1 उधार लागतों से संबंधित आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस)-IX, परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उस तिथि तक, जब परिसंपत्ति का उपयोग शुरू किया जाता है, वहन की गई उधार लागतों के पूंजीकरण का प्रावधान करता है। आयकर अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के प्रावधान में, मौजूदा व्यवसाय के *विस्तार हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उस तिथि तक, जब परिसंपत्ति का उपयोग शुरू किया जाता है, वहन की गई उधार लागतों के* पूंजीकरण का प्रावधान है। हालाँकि, आईसीडीएस-IX के प्रावधान व्यवसाय के विस्तार या अन्यथा के लिए अर्जित परिसंपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं।

16.2 इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के परंतुक के प्रावधानों और ICDS-IX के प्रावधानों के बीच एक असंगति थी। उधार लागत के पूंजीकरण के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए वहन की गई उधार लागत का पूंजीकरण उस तिथि तक किया जाना चाहिए, जिस तिथि तक परिसंपत्ति का उपयोग शुरू किया जाता है, बिना इस बात का भेद किए कि परिसंपत्ति का अधिग्रहण मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए किया गया है या नहीं। लेखा मानक समिति, जिसने ICDS का मसौदा तैयार किया था, ने भी सिफारिश की थी कि आयकर अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के परंतुक के प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें सामान्य पूंजीकरण सिद्धांतों के साथ संरेखित किया जा सके।

16.3 उपर्युक्त के मद्देनजर, आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रावधान को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए किए गए उधार की लागत को उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाएगा , जब परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है, इस बारे में कोई भेद किए बिना कि क्या परिसंपत्ति मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई है या नहीं।

16.4 सीडीएस के प्रावधान आय की गणना के लिए लागू हैं, न कि लेखा-बही के रखरखाव के लिए। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ सीडीएस के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय की गणना के लिए आय को लेखा-बही में दर्ज किए बिना ही मान्यता दे दी जाती है और ऐसी आय को आईसीडीएस के प्रावधानों के अनुसार उलटना पड़ सकता है। अशोध्य ऋण का दावा करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार, *अन्य बातों के साथ-साथ,* यह आवश्यक है कि राशि को करदाता के खातों से बट्टे खाते में डाल दिया जाए ।

16.5 इसलिए, आईसीडीएस के प्रावधानों के अनुसार आय का प्रत्यावर्तन इस आधार पर स्वीकार्य नहीं हो सकता है कि उसे आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार खातों में नहीं लिखा गया है। इसके मद्देनजर, आयकर अधिनियम की धारा 36(l)(vii) में एक प्रावधान डाला गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 36(l)(vii) के तहत कटौती का दावा करने के लिए, वह आय जिसे खातों में रिकॉर्ड किए बिना आईसीडीएस के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी गई है और जिसे आईसीडीएस के प्रावधानों के अनुसार अप्राप्य के रूप में लिखा जाना आवश्यक है , उसे खातों में अप्राप्य के रूप में लिखा गया माना जाएगा।

16.6 प्रयोज्यता: - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

17. सहकारी चीनी मिलों द्वारा सरकार द्वारा या उसके अनुमोदन से निर्धारित मूल्य पर गन्ना क्रय करने के लिए किए गए भुगतान हेतु कटौती।

17.1 भारत के कुछ राज्यों में सहकारी क्षेत्रों में कार्यरत चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों को अंतिम राशि का भुगतान करती हैं, जिसे प्रायः अंतिम गन्ना मूल्य (एफसीपी) कहा जाता है, जो गन्ना नियंत्रण आदेश, 1996 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) के अतिरिक्त होता है। एफसीपी का निर्णय विशेष कारखाने के कार्य परिणामों के आधार पर किया जाता है, जिसमें कारखाने द्वारा अर्जित सभी राजस्व और व्यय को ध्यान में रखा जाता है।

17.2 सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद के लिए एसएमपी के अतिरिक्त एफसीपी का भुगतान करने के परिणामस्वरूप कर संबंधी मुकदमेबाजी हुई। सहकारी चीनी मिलों ने इस अतिरिक्त भुगतान को व्यावसायिक व्यय के रूप में दावा किया था, जबकि मूल्यांकन में इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि एसएमपी के अतिरिक्त गन्ने की खरीद के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त कीमत लाभ के विनियोग/वितरण की प्रकृति की है और इसलिए इसमें कटौती स्वीकार्य नहीं है।

17.3 इस मामले में निश्चितता प्रदान करने और चीनी क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) में एक नया खंड (xvii) जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि चीनी के विनिर्माण में लगी सहकारी समितियों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित या उसके अनुमोदन से निर्धारित मूल्य के बराबर या उससे कम कीमत पर गन्ने की खरीद के लिए भुगतान की गई राशि को चीनी सहकारी कारखानों की व्यावसायिक

आय की गणना के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। इसलिए, आकलन वर्ष 2016-17 और उसके बाद के आकलन वर्षों के लिए चीनी के विनिर्माण के व्यवसाय में लगी सहकारी समिति की व्यावसायिक आय की गणना के प्रयोजनों के लिए, गन्ने की खरीद के लिए भुगतान की गई कीमत, जिसे सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित किया गया है, को आयकर अधिनियम की धारा 36(*l*)(*xvii*) *के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी, भले ही वह एसएमपी से अधिक हो।*

17.4 प्रयोज्यता: - यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

18. म्यूचुअल फंड की समान योजनाओं के विलय पर कर तटस्थता

18.1 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) म्यूचुअल फंडों को समान विशेषताओं वाली विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ताकि योजनाओं की संख्या सरल और कम हो। हालाँकि, ऐसे विलय/समेकन को हस्तांतरण माना जाता है और आयकर अधिनियम के तहत यूनिटधारकों पर पूंजीगत लाभ लगाया जाता है।

18.2 निवेशकों के हित में म्यूचुअल फंड की ऐसी योजनाओं के समेकन को सुगम बनाने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 47 में संशोधन करके, म्यूचुअल फंड योजनाओं के समेकन या विलय पर यूनिट धारकों को कर तटस्थता प्रदान की गई है, बशर्ते कि समेकन इक्विटी उन्मुख फंड की दो या अधिक योजनाओं का हो या इक्विटी उन्मुख फंड के अलावा किसी फंड की दो या अधिक योजनाओं का हो। आयकर अधिनियम की धारा 49 में भी संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि म्यूचुअल फंड की समेकित योजना में यूनिटों के अधिग्रहण की लागत समेकन योजना में यूनिटों की लागत होगी और समेकित योजना की यूनिटों को धारण करने की अवधि में वह अवधि शामिल होगी जिसके लिए समेकित योजनाओं में यूनिटें करदाता द्वारा धारण की गई थीं ।

18.3 समेकन योजना को म्यूचुअल फंड की उस योजना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार म्यूचुअल फंड की योजनाओं के समेकन की प्रक्रिया के अंतर्गत विलयित होती है और समेकित योजना से तात्पर्य उस योजना से है, जिसके साथ समेकन योजना का विलय होता है या जो ऐसे विलय के परिणामस्वरूप बनती है।

18.4 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

19. परिणामी कंपनी के हाथों में पूंजीगत परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत वह लागत होगी जिसके लिए अलग की गई कंपनी ने पूंजीगत परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया था

19.1 आयकर अधिनियम की धारा 47 के खंड (vib) के अंतर्गत, विलीनीकरण योजना के अंतर्गत विलीन कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को हस्तांतरित किसी भी पूंजीगत परिसंपत्ति को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा, यदि परिणामी कंपनी एक भारतीय कंपनी है। ऐसे मामलों में, परिणामी कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्ति की लागत, विलीन कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्ति की लागत के बराबर होनी चाहिए, जिसमें विलीन कंपनी या परिणामी कंपनी द्वारा किए गए सुधार लागत, यदि कोई हो, को जोड़ा गया हो। इसके अतिरिक्त, परिणामी कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्ति की धारिता की अवधि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए, जिसके दौरान परिसंपत्ति विलीन कंपनी के पास थी।

19.2 हालाँकि, वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इस आशय का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (e) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि परिणामी कंपनी द्वारा अर्जित परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत वह लागत होगी जिस पर विलीन कंपनी ने पूंजीगत परिसंपत्ति अर्जित की थी, जिसमें विलीन कंपनी या परिणामी कंपनी, जैसा भी मामला हो, द्वारा किए गए सुधार की लागत को जोड़ा जाएगा, और परिणामी कंपनी के हाथों में पूंजीगत परिसंपत्ति धारण करने की अवधि में वह अवधि शामिल होगी जिसके लिए परिसंपत्ति विलीन कंपनी द्वारा धारण की गई थी।

19.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

20. सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत बालिकाओं के लिए धारा 80सी के अंतर्गत कर लाभ

20.1 जुलाई 2014 में बजट घोषणा के अनुसरण में, बालिकाओं के कल्याण के लिए सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 के अंतर्गत एक विशेष लघु बचत साधन शुरू किया गया है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना में निम्नलिखित कर लाभों की परिकल्पना की गई है:-

(*मैं*) इस योजना में किए गए निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र होंगे।

(*ii*) ऐसे खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज आयकर से मुक्त होगा।

(*iii*) उक्त योजना के नियमों के अनुसार उक्त योजना से निकासी पर कर से छूट होगी।

20.2 तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (11ए) जोड़ा गया है, जो यह प्रावधान करता है कि सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 के अंतर्गत बनाए गए सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 के अनुसार खोले गए खाते से किया गया कोई भी भुगतान करदाता की कुल आय में शामिल नहीं किया

जाएगा । परिणामस्वरूप, उक्त खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज और योजना के अंतर्गत ऐसे किसी भी खाते से की गई निकासी कर मुक्त होगी।

20.3 यह योजना आयकर अधिनियम की धारा 80सी की उपधारा (2) के खंड (*viii) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 9/2015 एसओ210 (ई),* एफ.सं. 178/3/2015-आईटीए-I दिनांक 21.01.2020 के तहत अधिसूचित की गई है। यह प्रावधान करने के उद्देश्य से कि धारा 80सी के तहत कटौती बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आयकर अधिनियम की धारा 80सी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी व्यक्ति की बालिका के नाम पर या किसी बालिका के नाम पर, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति कानूनी अभिभावक है, योजना में वर्ष के दौरान भुगतान की गई या जमा की गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र होगी।

20.4 ***प्रयोज्यता:*** *-ये* संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2015-16 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

21. 80सीसीसी के तहत कटौती की सीमा बढ़ाना

21.1 आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीसी की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, एक करदाता , एक व्यक्ति होने के नाते, उसकी कुल आय की गणना में एक लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति थी , जो उसके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी पेंशन योजना के तहत स्थापित निधि से पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी वार्षिकी योजना के लिए अनुबंध को प्रभावी बनाने या लागू रखने के लिए भुगतान की गई या जमा की गई राशि थी।

21.2 सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, धारा 80सीसीसी की उप-धारा (1) में संशोधन किया गया है, जिससे धारा 80सीसीई में प्रदान की गई समग्र सीमा के भीतर धारा 80सीसीसी के तहत कटौती की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपये कर दी गई है।

21.3 ***प्रयोज्यता:*** - यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

22. 80सीसीडी के अंतर्गत अतिरिक्त कटौती

22.1 आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी की उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के तहत, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, यदि कोई व्यक्ति, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा नियोजित था, या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित था, या कोई अन्य करदाता जो एक व्यक्ति है, ने किसी अधिसूचित पेंशन योजना के तहत अपने खाते में पिछले वर्ष कोई राशि का भुगतान या जमा किया है, तो कर्मचारी के मामले में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक और किसी अन्य व्यक्ति के मामले में सकल कुल आय के दस प्रतिशत से अनधिक राशि की कटौती की अनुमति है। इसी प्रकार, पेंशन योजना के तहत व्यक्ति के उक्त खाते में केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान भी धारा 80सीसीडी की उप-धारा (2) के तहत कटौती के रूप में अनुमत है, उस सीमा तक जो पिछले वर्ष व्यक्ति के वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है। धारा 80सीसीडी की उपधारा (1एजे) में प्रावधान है कि उपधारा (1) के तहत कटौती की राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। आज तक, धारा 80सीसीडी के तहत, केवल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

22.2 लोगों को एनपीएस में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, धारा 80सीसीडी की उप-धारा (1ए) को हटा दिया गया है। धारा 80सीसीडी की उप-धारा (1) के अनुसार किए गए योगदान के संबंध में धारा 80सीसीई के तहत एक लाख पचास हजार रुपये की समग्र सीमा लागू होगी। धारा 80 सीसीडी(1) के तहत सीमा में वृद्धि के अलावा, धारा 80सीसीडी में एक नई उप-धारा (आईबी) डाली गई है ताकि एनपीएस के तहत किसी भी व्यक्तिगत करदाता द्वारा किए गए योगदान के लिए पचास हजार रुपये तक की किसी भी राशि के संबंध में अतिरिक्त कटौती प्रदान की जा सके। 50,000/- रुपये की अतिरिक्त कटौती उपलब्ध होगी चाहे धारा 80सीसीडी की उप-धारा (1) के तहत कोई दावा किया गया हो या नहीं।

धारा 80सीसीडी की उपधारा (3) और उपधारा (4) में भी परिणामी संशोधन किए गए हैं।

22.3 ***प्रयोज्यता:*** - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

23. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती से संबंधित धारा 80डी में संशोधन

23.1 आयकर अधिनियम की धारा 80डी में निहित प्रावधान, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करते थे -

(ए) करदाता को , जो एक व्यक्ति है, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में पंद्रह हजार रुपये तक की कटौती , जो करदाता या उसके परिवार के स्वास्थ्य पर बीमा लागू करने या उसे लागू रखने के लिए नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से भुगतान किया जाता है या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या किसी अन्य अधिसूचित योजना में किया गया कोई अंशदान या करदाता या उसके परिवार की निवारक

स्वास्थ्य जांच के लिए किया गया कोई भुगतान ; और

(*बी*) करदाता को उसके माता-पिता या माता-पिता के स्वास्थ्य पर बीमा लागू करने या उसे जारी रखने के लिए पंद्रह हजार रुपए की अतिरिक्त कटौती ।

23.2 हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को भी अपने किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य बीमा को प्रभावी बनाने या उसे जारी रखने के लिए नकद के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में इसी प्रकार की कटौती का लाभ मिलता है। इस धारा में दोनों ही मामलों में बीस-बीस हज़ार रुपये की कटौती का भी प्रावधान है, यदि बीमित व्यक्ति साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का वरिष्ठ नागरिक है।

23.3 वित्त अधिनियम, 2008 के तहत धारा 80डी के तहत व्यक्तियों और एचयूएफ को स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर दी जाने वाली कटौती की राशि 15,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 20,000 रुपये निर्धारित की गई थी। चिकित्सा व्यय में निरंतर वृद्धि को देखते हुए, धारा 80डी में संशोधन करके कटौती की सीमा पंद्रह हजार रुपये से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती की सीमा बीस हजार रुपये से बढ़ाकर तीस हजार रुपये कर दी गई है।

23.4 इसके अलावा, अति वरिष्ठ नागरिक अक्सर स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं और इसलिए धारा 80डी के तहत कर लाभ नहीं ले पाते हैं। तदनुसार, अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में, धारा 80डी में और संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि चिकित्सा व्यय के लिए किए गए 30,000 रुपये तक के किसी भी भुगतान को, अति वरिष्ठ नागरिक के संबंध में, धारा 80डी के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी, यदि ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बीमा को चालू रखने के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है। हालाँकि, किसी भी अति वरिष्ठ नागरिक को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और उसके परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय के संबंध में उपलब्ध कुल कटौती तीस हज़ार रुपये तक सीमित होगी।

उदाहरण:

(*i*) व्यक्ति और उसके परिवार के लिए	रु.
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	21,000
(*ii*) माता-पिता के लिए	
माँ का स्वास्थ्य बीमा:	18,000
पिता (अति वरिष्ठ नागरिक) पर चिकित्सा व्यय	25,000
धारा 80डी के तहत कटौती योग्य	21000 रुपये + 30000 रुपये = 51,000 रुपये

'अति वरिष्ठ नागरिक' से तात्पर्य भारत में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है, जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।

23.5 ***प्रयोज्यता:-*** *ये* संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

24. विकलांग और गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए धारा 80डीडी और 80यू के तहत कटौती की सीमा बढ़ाना

24.1 आयकर अधिनियम की धारा 80डीडी के प्रावधानों में, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, *अन्य बातों के साथ-साथ,* ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ को कटौती का प्रावधान था, जो भारत में निवासी है, और जिसने निम्नलिखित व्यय किए हैं-

(ए) उक्त धारा के अंतर्गत परिभाषित विकलांगता वाले व्यक्ति के आश्रित के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए व्यय ; या

(*बी*) आश्रित के भरण-पोषण हेतु किसी योजना के संबंध में एलआईसी या किसी अन्य बीमाकर्ता को कोई राशि का भुगतान किया गया हो ।

24.2 इस धारा में पचास हजार रुपए की कटौती का प्रावधान है यदि आश्रित विकलांगता से ग्रस्त है और एक लाख रुपए की कटौती का प्रावधान है यदि आश्रित गंभीर विकलांगता से ग्रस्त है (जैसा कि उक्त धारा के तहत परिभाषित है)।

24.3 आयकर अधिनियम की धारा 80 यू के प्रावधानों में, अधिनियम द्वारा संशोधन से पूर्व, *अन्य बातों के साथ-साथ,* किसी व्यक्ति, निवासी के रूप में, जिसे पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिव्यांग व्यक्ति (जैसा कि उक्त धारा के तहत परिभाषित किया गया है) होने का प्रमाण-पत्र दिया गया था, कटौती का प्रावधान था।

24.4 उक्त धारा में पचास हजार रुपए की कटौती का प्रावधान है यदि व्यक्ति विकलांगता से ग्रस्त है और एक लाख रुपए की कटौती का प्रावधान है यदि व्यक्ति गंभीर विकलांगता से ग्रस्त है (जैसा कि उक्त धारा के तहत परिभाषित किया गया है)।

24.5 वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा दिव्यांगजनों के संबंध में धारा 80डीडी और धारा 80यू के अंतर्गत सीमा पचास हजार रुपये निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा गंभीर दिव्यांगजनों के संबंध में धारा 80डीडी और धारा 80यू के अंतर्गत सीमा को अंतिम बार पचहत्तर हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया था।

24.6 चिकित्सा देखभाल की बढ़ती लागत और दिव्यांग व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, धारा 80डीडी और धारा 80यू में संशोधन किया गया है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति के संबंध में कटौती की सीमा पचास हजार रुपये से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रुपये कर दी गई है।

24.7 धारा 80डीडी और धारा 80यू में आगे संशोधन किया गया है, जिससे गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति के संबंध में कटौती की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख पच्चीस हजार रुपये कर दी गई है।

24.8 ***प्रयोज्यता*** : - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

25. धारा 80DDB के तहत कटौती की सीमा बढ़ाना

25.1 आयकर अधिनियम की धारा 80डीडीबी में निहित प्रावधानों के तहत, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, भारत में निवासी करदाता को कुछ पुरानी और लंबी बीमारियों जैसे कैंसर, पूर्ण विकसित एड्स, थैलेसीमिया , हीमोफीलिया आदि के चिकित्सा उपचार के लिए वास्तव में भुगतान की गई राशि के रूप में अधिकतम चालीस हजार रुपये की कटौती की अनुमति है। यह कटौती साठ हजार रुपये तक की अनुमति है, जहां व्यय वरिष्ठ नागरिक के संबंध में है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो संबंधित पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।

25.2 उपरोक्त कटौती किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी आश्रित पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए उपलब्ध है। यह हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को भी अपने सदस्यों पर किए गए ऐसे व्यय के लिए उपलब्ध है। किसी व्यक्ति के मामले में आश्रित का अर्थ है उस व्यक्ति का जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, भाई या बहन, और HUF के मामले में HUF का कोई सदस्य जो अपने भरण-पोषण और भरण-पोषण के लिए उस व्यक्ति या HUF पर पूरी तरह या मुख्य रूप से आश्रित हो।

25.3 अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले धारा 80DDB के प्रावधानों के तहत, सरकारी अस्पताल में कार्यरत न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट , इम्यूनोलॉजिस्ट या ऐसे ही किसी अन्य विशेषज्ञ से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक था। यह तर्क दिया गया था कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर से प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता, उपरोक्त कटौती का दावा करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अनुचित कठिनाई का कारण बनती है। कई स्थानों पर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा की उपरोक्त शाखाओं में विशेषज्ञता वाले डॉक्टर नहीं होते हैं। इसलिए, करदाता के लिए सरकारी अस्पताल से प्रमाणपत्र प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

25.4 उपर्युक्त के मद्देनजर, धारा 80डीडीबी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि करदाता को इस कटौती का लाभ उठाने के लिए किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से पर्चा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

25.5 धारा 80DDB में और संशोधन करके "अति वरिष्ठ नागरिक" के चिकित्सा उपचार पर होने वाले व्यय के लिए 80,000 रुपये तक की कटौती की उच्च सीमा प्रदान की गई है। "अति वरिष्ठ नागरिक" की परिभाषा भारत में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जो संबंधित पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।

25.6 ***प्रयोज्यता*** : - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

26. नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष से सौ प्रतिशत कटौती

26.1 आयकर अधिनियम की धारा 80जी के प्रावधानों के तहत, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, किसी करदाता को कुछ निधियों और धर्मार्थ संस्थाओं को उसके द्वारा किए गए दान के संबंध में उसकी कुल आय से कटौती की अनुमति थी। यह कटौती राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक उद्देश्य, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान आदि, के लिए गठित कुछ निधियों और संस्थाओं को दिए गए दान की राशि के सौ प्रतिशत की दर से दी जाती है।

26.2 राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग नियंत्रण निधि, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1989 में बनाई गई एक निधि है। चूंकि राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग नियंत्रण निधि भी राष्ट्रीय महत्व की निधि है, इसलिए उक्त राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग नियंत्रण निधि में किए गए दान के संबंध में शत-प्रतिशत कटौती प्रदान करने के लिए धारा 80जी में संशोधन किया गया है।

26.3 ***प्रयोज्यता*** : - यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

27. स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा कोष के लिए कर लाभ

27.1 आयकर अधिनियम की धारा 80जी के प्रावधानों के तहत, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, कुछ निधियों और धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान के संबंध में किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति थी। यह कटौती दान की गई राशि के पचास प्रतिशत की दर से दी जाती है, सिवाय राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक उद्देश्य के लिए गठित कुछ निधियों और संस्थाओं को दिए गए दान के मामले में, जहाँ यह सौ प्रतिशत की दर से दी जाती है, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष, अफ्रीका (सार्वजनिक अंशदान-भारत) कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन आदि।

27.2 स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा स्कूल परिसरों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार हेतु संसाधन जुटाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा "स्वच्छ भारत कोष" की स्थापना की गई है। इसी प्रकार, गंगा नदी के पुनरुद्धार हेतु स्वैच्छिक योगदान आकर्षित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ गंगा कोष की स्थापना की गई है।

27.3 स्वच्छता सुविधाओं में सुधार और गंगा नदी के पुनरुद्धार के राष्ट्रीय प्रयास में जनभागीदारी को प्रोत्साहित और बढ़ाने के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम की धारा 80जी में संशोधन किया गया है ताकि दोनों निधियों में दान को प्रोत्साहित किया जा सके । इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी दानकर्ता द्वारा स्वच्छ भारत कोष में किया गया दान और निवासी दानकर्ताओं द्वारा स्वच्छ गंगा कोष में किया गया दान, कुल आय की गणना में शत-प्रतिशत कटौती के लिए पात्र होगा। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में इस मद में खर्च की गई कोई भी राशि, दानकर्ता की कुल आय से कटौती के लिए पात्र नहीं होगी।

27.4 आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) के प्रावधानों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष; प्रधानमंत्री लोक कला संवर्धन कोष; प्रधानमंत्री छात्र सहायता कोष; राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान जैसी कुछ धर्मार्थ निधियों या संस्थाओं की आय पर कर से छूट का प्रावधान है। स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा कोष के महत्व को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा कोष की आय को आयकर से छूट देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) में भी संशोधन किया गया है।

27.5 प्रयोज्यता : -*ये* संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2015-16 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

28. नए कामगारों के रोजगार के लिए कटौती

28.1 आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के प्रावधानों में, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, *अन्य बातों के साथ-साथ,* किसी कारखाने में माल के निर्माण से लाभ अर्जित करने वाली भारतीय कंपनी को कटौती का प्रावधान था। अनुमत कटौती की राशि, करदाता द्वारा ऐसे कारखाने में पिछले वर्ष में नियोजित नए नियमित कर्मचारियों को भुगतान की गई अतिरिक्त मजदूरी के तीस प्रतिशत के बराबर है, जिसमें उस पिछले वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष भी शामिल है जिसमें ऐसा रोजगार प्रदान किया गया था।

28.2 उप-धारा (2) का खंड (*क*), *अन्य बातों के साथ-साथ,* यह प्रावधान करता है कि यदि कारखाना किसी अन्य विद्यमान इकाई से अलग किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है या किसी अन्य कंपनी के साथ विलय के परिणामस्वरूप करदाता कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, तो उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी। धारा के स्पष्टीकरण में "अतिरिक्त मजदूरी" को पिछले वर्ष के दौरान नियोजित सौ से *अधिक श्रमिकों को नए नियमित श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी के रूप में परिभाषित किया गया है।*

28.3 रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, धारा 80JJAA में संशोधन किया गया है ताकि यह लाभ केवल कॉर्पोरेट करदाताओं तक सीमित न रहकर, विनिर्माण इकाइयाँ रखने वाले सभी करदाताओं को भी मिल सके। इसके अलावा, छोटी इकाइयों को भी इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, धारा 80JJAA के अंतर्गत लाभ उन इकाइयों तक भी बढ़ा दिया गया है जिनमें 100 के बजाय 50 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।

28.4 तदनुसार, धारा 80जेजेएए की उप-धारा (1) और (2) में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 80जेजेएए के स्पष्टीकरण के खंड (i) में संशोधन किया गया है ताकि "अतिरिक्त मजदूरी" का अर्थ पिछले वर्ष के दौरान नियोजित पचास से अधिक नए नियमित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी हो।

28.5 प्रयोज्यता : - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

29. निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के लिए सीमा बढ़ाना

29.1 आयकर अधिनियम की धारा 92BA के प्रावधानों के अनुसार, करदाता के मामले में "निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन" का अर्थ ऐसे किसी भी निर्दिष्ट लेनदेन से है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन न हो, जहाँ करदाता द्वारा पिछले वर्ष में किए गए ऐसे लेनदेनों का कुल योग उक्त धारा में निर्धारित राशि से अधिक हो। अधिनियम में संशोधन से पहले, यह सीमा पाँच करोड़ रुपये थी।

29.2 पांच करोड़ रुपये की कम सीमा के कारण छोटे व्यवसायों के मामले में अनुपालन लागत के मुद्दे को हल करने के लिए, उक्त धारा 92बीए को संशोधित

किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पिछले वर्ष में करदाता द्वारा किए गए निर्दिष्ट लेनदेन की कुल राशि बीस करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए ताकि ऐसे लेनदेन को 'निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन' माना जा सके।

29.3 प्रयोज्यता: - यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

30. सामान्य कर परिहार रोधी नियम ("जीएएआर") से संबंधित प्रावधानों का स्थगन

30.1 वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा लागू सामान्य कर-परिहार-रोधी नियम (GAAR) के प्रावधान आयकर अधिनियम के अध्याय XA (धारा 95 से 102 तक) और धारा 144BA में निहित हैं। अध्याय XA, GAAR के मूल प्रावधान प्रदान करता है, जबकि धारा 144BA, GAAR को लागू करने और GAAR प्रावधानों के लागू होने के परिणामस्वरूप मूल्यांकन आदेश पारित करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करती है।

30.2 जैसा कि आयकर अधिनियम में संशोधन से पहले प्रावधान किया गया था, GAAR के प्रावधान 1.04.2016 से प्रभावी होने थे। इसलिए, ये प्रावधान वित्तीय वर्ष 2015-16 (कर निर्धारण वर्ष 2016-17) और उसके बाद के वर्षों की आय पर लागू होते।

30.3 GAAR प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। GAAR के कुछ पहलुओं को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई थीं। इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया गया कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के अंतर्गत आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS) परियोजना जारी है और भारत इस परियोजना में एक सक्रिय भागीदार है। BEPS के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट और इससे निपटने के उपायों से संबंधित सिफारिशों की प्रतीक्षा है। इसलिए, यह उचित होगा कि BEPS और आक्रामक कर परिहार से निपटने के लिए एक व्यापक व्यवस्था के हिस्से के रूप में GAAR प्रावधानों को लागू किया जाए।

30.4 तदनुसार, आयकर अधिनियम में संशोधन करके GAAR के कार्यान्वयन को दो वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है और GAAR के प्रावधानों को वित्तीय वर्ष 2017-18 (कर निर्धारण वर्ष 2018-19) और उसके बाद के वर्षों की आय पर लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में संबंधित नियमों में संशोधन करके 31.03.2017 तक किए गए निवेशों को GAAR की प्रयोज्यता से सुरक्षित रखा जाएगा।

30.5 ***प्रयोज्यता*** : - यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा।

31. गैर-निवासियों के मामले में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क के रूप में आय पर कर की दर में कमी

31.1 आयकर अधिनियम की धारा 115ए के प्रावधानों के अनुसार, किसी अनिवासी करदाता के मामले में, जहाँ कुल आय में 31.03.1976 के बाद सरकार या किसी भारतीय प्रतिष्ठान से ऐसे अनिवासी द्वारा प्राप्त रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं (एफटीएस) के लिए शुल्क के रूप में कोई आय शामिल है, और जो भारत में अनिवासी के स्थायी प्रतिष्ठान, यदि कोई हो, से प्रभावी रूप से संबंधित नहीं है, तो ऐसी आय की कुल राशि पर उसमें निर्धारित दर से कर लगाया जाएगा। वित्त अधिनियम, 2013 में यह दर 25% निर्धारित की गई थी।

31.2 25% की उच्च कर दर के कारण छोटी संस्थाओं के समक्ष आने वाली कठिनाई को कम करने के लिए, आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिससे गैर-निवासियों को किए गए रॉयल्टी और एफटीएस भुगतान पर धारा 115ए के तहत कर की दर को घटाकर 10% कर दिया गया है।

31.3 प्रयोज्यता *:* - यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

32. ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों (जीडीआर) से संबंधित संशोधन

32.1 डिपॉजिटरी रसीद योजना, 2014 को आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) द्वारा अधिसूचना एफ.सं.9/1/2013-ईसीबी दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। यह योजना "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और साधारण शेयर (डिपॉजिटरी रसीद तंत्र के माध्यम से) जारी करने की योजना, 1993" का स्थान लेती है।

32.2 आयकर अधिनियम की धारा 115AC के अंतर्गत डिपॉजिटरी रसीदों से उत्पन्न आय पर कराधान योजना, अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, पूर्ववर्ती योजना के अनुरूप थी, जो इस उद्देश्य के लिए जारी की गई कंपनी के अंतर्निहित शेयरों (अर्थात प्रायोजित GDR) या जारीकर्ता कंपनी के FCCB के आधार पर ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (GDR) जारी करने तक सीमित थी और जहाँ कंपनी या तो एक सूचीबद्ध कंपनी थी या साथ ही सूचीबद्ध होने वाली थी। इसके अलावा, ऐसे GDR का धारक केवल एक अनिवासी था। इसके अलावा, धारा 47(viia) भारत के बाहर एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को GDR के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ से छूट प्रदान करती थी।

32.3 नई डिपॉजिटरी योजना के अनुसार, सूचीबद्ध, गैर-सूचीबद्ध या निजी या सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियों के विरुद्ध, अंतर्निहित प्रतिभूतियों, जो ऋण उपकरण, शेयर या यूनिट आदि हो सकती हैं, डिपॉजिटरी रसीदें (डीआर) जारी की जा सकती हैं ; इसके अतिरिक्त, प्रायोजित निर्गम और गैर-प्रायोजित जमा और अधिग्रहण, दोनों की अनुमति है। डीआर को निवासी और अनिवासी दोनों ही स्वतंत्र रूप से धारण और हस्तांतरित कर सकते हैं।

32.4 इसके अलावा, डीआर को अंतर्निहित शेयरों में बदलने की प्रक्रिया में विदेशी बाजार में डीआर रखने वाला अनिवासी अपने विदेशी ब्रोकर को डीआर को रद्द करने और अंतर्निहित शेयरों को जारी करने के संबंध में निर्देश देता है। इसके बाद विदेशी ब्रोकर डीआर को रद्द करने के लिए विदेशी डिपॉजिटरी को सौंपता है और उसे अंतर्निहित शेयरों को भारत में विदेशी निवेशक द्वारा रखे गए डीमैट खाते में जमा करने का निर्देश देता है। इसके बाद विदेशी डिपॉजिटरी डीआर को रद्द कर देती है और भारत में अपने स्थानीय कस्टोडियन को अंतर्निहित शेयरों को भारत में विशेष डीमैट खाते में जमा करने और जमा करने का निर्देश जारी करती है। भारत में स्थानीय कस्टोडियन शेयरों को निर्दिष्ट 'डीआर प्रकार' डीमैट खाते में जमा करता है और प्रक्रिया के पूरा होने की सूचना विदेशी डिपॉजिटरी को देता है। विदेशी निवेशक अंतर्निहित शेयरों को रखने या उन्हें भारत में बेचने का विकल्प चुन सकता है (या तो सेबी पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से एक्सचेंज पर या निजी व्यवस्था के माध्यम से)।

32.5 चूंकि आयकर अधिनियम के तहत कर लाभ केवल प्रायोजित जीडीआर और सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में प्रदान किए जाने का इरादा था, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 115एसीए में जीडीआर की परिभाषा को संशोधित कर केवल उन उपकरणों यानी डिपॉजिटरी रसीदों के लिए लागू किया गया है जो अनिवासी निवेशकों को जारी किए जाते हैं।

(*मैं*) भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी हो ; या

(*ii*) जारीकर्ता कंपनी के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड।

32.6 आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (42ए) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पूंजीगत परिसंपत्ति के मामले में, जो किसी कंपनी का शेयर या शेयर है, जिसे गैर-निवासी करदाता द्वारा ऐसे करदाता द्वारा धारित ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों के मोचन पर अर्जित किया जाता है, धारण की अवधि उस तारीख से मानी जाएगी जिस दिन ऐसे मोचन का अनुरोध किया गया था।

32.7 आयकर अधिनियम में धारा 49 (2एबीबी) को शामिल किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां किसी कंपनी के शेयर के रूप में पूंजीगत परिसंपत्ति को गैर-निवासी करदाता द्वारा उसके द्वारा धारित ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट (जीडीआर) के मोचन पर अधिग्रहित किया जाता है, तो शेयर के अधिग्रहण की लागत भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर उस शेयर की प्रचलित कीमत होगी, जिस तारीख को मोचन के लिए अनुरोध किया गया था।

32.8 ऊपर उल्लिखित जीडीआर को अंतर्निहित शेयरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 49(2एबीबी) के प्रयोजनों के लिए "जिस तारीख को मोचन के लिए अनुरोध किया गया था", वह तारीख होगी जिस दिन भारत में स्थानीय संरक्षक द्वारा विदेशी डिपॉजिटरी से निर्देश प्राप्त किया जाता है, जिसमें गैर-निवासी करदाता के पक्ष में अंतर्निहित शेयरों को जारी करने का अनुरोध किया जाता है ।

32.9 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत विशेष उपचार के लिए अर्हता प्राप्त जीडीआर, डिपॉजिटरी रसीदों का एक उपसमूह हैं जिन्हें डिपॉजिटरी योजना, 2014 के अंतर्गत जारी किया जा सकता है। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 115 एसी, धारा 47 और धारा 49 (2एबीबी) के अंतर्गत लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे जब जीडीआर, जारीकर्ता कंपनी के साधारण शेयरों के विरुद्ध जारी किया गया हो, जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी हो ('प्रायोजित' निर्गम)। इन धाराओं का लाभ किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रायोजित निर्गम के अलावा अन्य किसी प्रकार से जारी डिपॉजिटरी रसीदों के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा। तदनुसार:-

मैं । भारत के बाहर अनिवासी निवेशकों के बीच ऐसे डिपॉजिटरी रसीदी (प्रायोजित निर्गम के अलावा) के हस्तांतरण पर होने वाले लाभ को पूंजीगत लाभ से छूट नहीं दी जाएगी;

ii . इन डीआर को अंतर्निहित शेयरों में परिवर्तित करने पर, धारा 49 (2एबीबी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे और डीआर के रूपांतरण पर ऐसे अंतर्निहित शेयरों के अधिग्रहण की लागत वह लागत होगी जिस पर निवेशक द्वारा डीआर का अधिग्रहण किया गया था।

32.10 प्रयोज्यता *ये* संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे ।

33. धारा 115जेबी के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना

33.1 आयकर अधिनियम की धारा 115JB में अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले निहित प्रावधान यह प्रदान करते थे कि किसी कंपनी के मामले में, यदि 1 अप्रैल, 2012 को या उसके बाद शुरू होने वाले आकलन वर्ष से संबंधित किसी पिछले वर्ष के संबंध में आयकर अधिनियम के तहत गणना की गई कुल आय पर देय कर उसके बही लाभ के अठारह और डेढ़ प्रतिशत से कम है, तो ऐसे बही लाभ को करदाता की कुल आय माना जाएगा और संबंधित पिछले वर्ष के लिए देय कर उसके बही लाभ का अठारह और डेढ़ प्रतिशत होगा। इस कर को न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) कहा जाता है। धारा 115JB की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण यह प्रदान करता है कि अभिव्यक्ति "बही लाभ" का अर्थ शुद्ध लाभ है जैसा कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि खाते में दिखाया गया है, या कंपनी को नियंत्रित करने वाले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार

33.2 आयकर अधिनियम की धारा 86 में प्रावधान है कि कुछ परिस्थितियों में, एओपी की आय में एओपी के किसी सदस्य के हिस्से पर कोई आयकर देय नहीं होता है। हालाँकि, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले धारा 115JB के प्रावधानों के तहत, एओपी की सदस्य कंपनी ऐसे हिस्से पर भी MAT के लिए

उत्तरदायी होती है, क्योंकि सदस्य की MAT देयता की गणना करते समय ऐसी आय को बही लाभ से बाहर नहीं रखा जाता है। किसी फर्म के भागीदार के मामले में, अधिनियम की धारा 10(2A) के अनुसार, फर्म के लाभ में भागीदार का हिस्सा कर-मुक्त होता है और ऐसे लाभ पर भागीदार द्वारा कोई MAT देय नहीं होता है।

33.3 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, धारा 115JB में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि AOP की आय में AOP के सदस्य का हिस्सा, जिस पर अधिनियम की धारा 86 के प्रावधानों के अनुसार कोई आयकर देय नहीं है, अधिनियम की धारा 115JB के अंतर्गत सदस्य की MAT देयता की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी आय (जिसे MAT देयता से बाहर रखा जाना है) के अनुरूप लाभ-हानि खाते में डेबिट किए गए व्यय, यदि कोई हों, को भी MAT की गणना के प्रयोजनार्थ बही लाभ में वापस जोड़ा जाएगा।

33.4 धारा 115JB के प्रावधानों में यह भी संशोधन किया गया है कि (i) प्रतिभूतियों के लेन-देन से होने वाले पूंजीगत लाभ; या (ii) अध्याय XII में निर्दिष्ट दरों पर कर योग्य तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, रॉयल्टी या शुल्क से होने वाली आय, जो किसी विदेशी कंपनी को प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है, MAT के लिए उत्तरदायी नहीं होगी यदि ऐसी आय लाभ और हानि खाते में जमा की जाती है और आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार देय आयकर धारा 115JB में निर्दिष्ट दर से कम है। ऐसी आय (जिसे MAT देयता से बाहर रखा जाना है) के अनुरूप लाभ-हानि खाते में डेबिट किए गए व्यय, यदि कोई हों, को भी MAT की गणना के प्रयोजनार्थ बही लाभ में वापस जोड़ा जाएगा।

33.5 वित्त (सं.2) अधिनियम, 2014 ने व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाइयों के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन के शेयर के आदान-प्रदान के संबंध में कर तटस्थता / आस्थगन प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 47 में खंड (*xvii*) डाला, हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 115JB के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) देयता की कोई तटस्थता / आस्थगन प्रदान नहीं किया गया है। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित लेखा मानक - 13 के प्रावधानों के अनुपालन में एक शेयरधारक द्वारा उचित मूल्य पर इकाइयों के साथ शेयरों के आदान-प्रदान की रिकॉर्डिंग के कारण एमएटी के तहत देयता उत्पन्न हो सकती है। उचित मूल्य पर उक्त विनिमय की रिकॉर्डिंग के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 115JB के तहत एमएटी की वसूली के प्रयोजनों के लिए कंपनी के पुस्तक लाभ में काल्पनिक लाभ या हानि को शामिल किया जा सकता है। एमएटी लगाने के लिए इन काल्पनिक राशियों, विशेषकर काल्पनिक लाभ को पुस्तक लाभ में शामिल करने से कंपनी के लिए नकदी प्रवाह की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

33.5.1 एमएटी प्रयोजनों के लिए कर स्थगन/तटस्थता प्रदान करने के लिए, व्यापारिक ट्रस्ट की इकाइयों के साथ शेयर के उक्त विनिमय के चरण में, आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के प्रावधानों को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 47 के खंड (xvii) में निर्दिष्ट उस ट्रस्ट द्वारा आवंटित इकाइयों के बदले में एक व्यापारिक ट्रस्ट को एक विशेष प्रयोजन वाहन के शेयर के रूप में पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर काल्पनिक लाभ या हानि को आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के तहत एमएटी लगाने के प्रयोजनों के लिए बही लाभ की गणना के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

33.5.2 यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त इकाइयों की वहन राशि में किसी भी परिवर्तन से होने वाले काल्पनिक लाभ या हानि को भी एमएटी लगाने के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा। विनिमय किए गए शेयरों की लागत या विनिमय के समय ऐसे शेयरों की वहन राशि, जहाँ ऐसे शेयरों को लाभ या हानि खाते के माध्यम से लागत के अलावा किसी अन्य मूल्य पर रखा जाता है, जैसी भी स्थिति हो, को ध्यान में रखते हुए इकाइयों के हस्तांतरण पर वास्तविक लाभ या हानि को आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के अंतर्गत एमएटी लगाने के प्रयोजनों के लिए इकाइयों के हस्तांतरण के वर्ष के बही लाभ में शामिल किया जाएगा। इन संशोधनों को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया गया है:-

> कंपनी 'A' के पास स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के 100 शेयर हैं, जिनका मूल्य 1 अप्रैल, 2015 तक कंपनी की पुस्तकों में ₹2000 दर्ज है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, इन 100 शेयरों का व्यापार ट्रस्ट (BT) की 100 इकाइयों के साथ विनिमय किया गया और इन्हें ₹3000 के उचित मूल्य पर दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1000 का अनुमानित लाभ हुआ। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में, इकाइयों की वहन राशि ₹2500 दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹500 की अनुमानित हानि हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, इन इकाइयों को ₹4000 में बेचा गया।
>
> उपरोक्त उदाहरण में, 1000 रुपये का काल्पनिक लाभ वित्तीय वर्ष 2015-16 के बही लाभ से बाहर रखा जाएगा। इसी प्रकार, 500 रुपये की काल्पनिक हानि वित्तीय वर्ष 2016-17 के बही लाभ से बाहर रखी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के बही लाभ की गणना के लिए, शेयरों की वहन लागत (2000 रुपये) और इकाई के वास्तविक विक्रय मूल्य (4000 रुपये) को ध्यान में रखते हुए गणना की गई 2000 रुपये की वास्तविक लाभ राशि को आयकर अधिनियम की धारा 115JB के अंतर्गत MAT लगाने के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2017-18 के बही लाभ में शामिल किया जाएगा।

33.6 प्रयोज्यता : - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

34. रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए कराधान व्यवस्था

34.1 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 ने व्यावसायिक ट्रस्टों के संबंध में एक विशेष कराधान व्यवस्था लागू करने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन किया था। अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 2(13ए) में परिभाषित व्यावसायिक ट्रस्टों में एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और एक अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) शामिल थे, जो इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बनाए गए विनियमों के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

34.2 आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं में निहित व्यवसायिक ट्रस्ट और उनके निवेशकों के लिए उक्त कर व्यवस्था में *अन्य बातों के साथ-साथ यह* प्रावधान है कि:-

(*मैं*) किसी व्यापारिक ट्रस्ट की सूचीबद्ध इकाइयां, जब किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार की जाती हैं, तो प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) के लिए उत्तरदायी होंगी, और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट दी जाएगी तथा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 15% की दर से कर लगेगा।

(*ii*) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में शेयरों के आदान-प्रदान के समय प्रायोजक को होने वाले पूंजीगत लाभ के मामले में, गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते जिसके माध्यम से आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों को व्यापार ट्रस्टों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार ट्रस्ट की इकाइयों के साथ रखा जाता है, लाभ का कराधान स्थगित कर दिया जाता है।

(*iii*) ऐसे लाभ पर कर प्रायोजक द्वारा इकाइयों के निपटान के समय लगाया जाएगा।

(*iv*) तथापि, व्यवसायिक ट्रस्ट के अन्य यूनिट धारकों के लिए उपलब्ध अधिमान्य पूंजीगत लाभ व्यवस्था (एसटीटी लगाने के परिणामस्वरूप) इन यूनिटों के संबंध में उनके हस्तांतरण के समय प्रायोजक के लिए उपलब्ध नहीं है।

(*वी*) पूंजीगत लाभ की गणना के लिए, इन इकाइयों की लागत को प्रायोजक के लिए शेयरों की लागत माना जाता है। ऐसी इकाइयों की धारण अवधि की गणना में शेयरों की धारण अवधि को भी शामिल किया जाता है।

(*छठी*) यह पास-थ्रू, एसपीवी से व्यवसायिक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय के संबंध में प्रदान किया जाता है, अर्थात, ट्रस्ट के हाथों में ऐसी ब्याज आय पर कोई कराधान नहीं होता है और एसपीवी के स्तर पर कोई रोक कर नहीं लगाया जाता है।

(*सात*) तथापि, अनिवासी यूनिट धारकों को वितरित आय के ब्याज घटक के भुगतान के मामले में 5 प्रतिशत की दर से कर रोकना, तथा निवासी यूनिट धारक को वितरित आय के ब्याज घटक के भुगतान के संबंध में 10 प्रतिशत की दर से कर रोकना ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित है।

(*आठ*) ट्रस्ट द्वारा प्राप्त लाभांश एसपीवी के स्तर पर लाभांश वितरण कर के अधीन है और ट्रस्ट के हाथों में छूट प्राप्त है, और ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारकों को वितरित आय का लाभांश घटक भी छूट प्राप्त है।

34.3 व्यावसायिक ट्रस्ट के प्रायोजक को प्रदान किए गए पूंजीगत लाभ के आस्थगन ने ऐसे प्रायोजक को एसपीवी के शेयरों की प्रत्यक्ष सूची के मुकाबले एक नुकसानदेह कर स्थिति में डाल दिया था। यदि एसपीवी के शेयर रखने वाला प्रायोजक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से बाहर निकलने का फैसला करता है, तो एसटीटी के लेवी के अधीन शेयरों के हस्तांतरण पर होने वाले पूंजीगत लाभ से संबंधित रियायती कर व्यवस्था का लाभ उसके लिए उपलब्ध है। ऐसे मामलों में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) पर कर 15% लगाया जाता है और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) अधिनियम की धारा 10(38) के तहत छूट प्राप्त है। हालांकि, रियायती व्यवस्था का लाभ उस समय प्रायोजक के लिए उपलब्ध नहीं था जब उसने स्टॉक एक्सचेंज में व्यावसायिक ट्रस्ट की सूची के समय प्रारंभिक प्रस्ताव के माध्यम से एसपीवी में अपनी शेयरधारिता के बदले में प्राप्त व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाइयों को बेच दिया।

34.4 समता प्रदान करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि,-

(*मैं*) प्रायोजक को इकाइयों की सूचीकरण पर आरंभिक प्रस्ताव के तहत इकाइयों की बिक्री पर वही कर उपचार मिलेगा जो उसे आईपीओ के माध्यम से अंतर्निहित शेयरधारिता को बेचने पर मिलता।

(*ii*) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय VII में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एसटीटी, व्यवसाय ट्रस्ट की ऐसी इकाइयों की बिक्री पर लगाया जाएगा, जो व्यवसाय ट्रस्ट की इकाइयों की सूचीकरण के समय प्रारंभिक प्रस्ताव के तहत एसपीवी के शेयरों के बदले में अर्जित की जाती हैं, उसी तरह जैसे आईपीओ के तहत गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बिक्री के मामले में लगाया जाता है।

(*iii*) अधिनियम की धारा 10(38) के अंतर्गत एसटीसीजी पर 15% की दर से कर की रियायती कर व्यवस्था और एलटीसीजी पर छूट का लाभ एसटीटी के अधीन एसपीवी के शेयरों के बदले प्राप्त इकाइयों की बिक्री पर प्रायोजक को उपलब्ध होगा।

(*iv*) बिजनेस ट्रस्ट की इकाइयों के साथ एसपीवी के शेयरों के आदान-प्रदान के समय एमएटी आस्थगन का भी प्रावधान किया गया है (पैरा 33.5 देखें)।

34.5 इसके अलावा, यदि कोई व्यावसायिक ट्रस्ट REIT है, तो आय मुख्यतः किराये की आय की प्रकृति की होती है। यह किराये की आय REIT द्वारा सीधे धारित या किसी SPV के माध्यम से धारित परिसंपत्तियों से उत्पन्न होती है। जबकि SPV के स्तर पर प्राप्त किराये की आय ब्याज या लाभांश के रूप में REIT को हस्तांतरित कर दी जाती है, REIT द्वारा सीधे प्राप्त किराये की आय पर REIT स्तर पर कर लगाया जाता था और उसे कोई पास-थ्रू लाभ नहीं मिलता था।

34.6 आरईआईटी को सीधे उसके द्वारा धारित अचल संपत्ति से प्राप्त किराये की आय को पास-थ्रू प्रदान करने के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि: -

(*मैं*) किसी व्यवसायिक ट्रस्ट की कोई भी आय, जो एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है, ऐसे व्यवसायिक ट्रस्ट के सीधे स्वामित्व वाली किसी भी रियल एस्टेट परिसंपत्ति को किराए पर देने या पट्टे पर देने या किराये पर देने के माध्यम से छूट प्राप्त होगी;

(*ii*) आरईआईटी से यूनिट धारक द्वारा प्राप्त वितरित आय या उसका कोई भाग, जो कि ऐसे आरईआईटी के सीधे स्वामित्व वाली किसी अचल संपत्ति को किराए पर देने या पट्टे पर देने या किराये पर देने के रूप में आय की प्रकृति का है, ऐसे यूनिट धारक की आय माना जाएगा और उस पर कर लगाया जाएगा।

(*iii*) आरईआईटी, पारित होने की अनुमति प्राप्त किराये की आय पर टीडीएस लागू करेगा । निवासी इकाई धारक के मामले में, 10% की दर से कर काटा जाएगा, और अनिवासी इकाई धारक को वितरण के मामले में, कर की कटौती उस दर पर की जाएगी जो कर योग्य किसी भी राशि के अनिवासी को भुगतान पर कर कटौती के लिए लागू होती है।

(*iv*) आयकर अधिनियम की धारा 194-1 के तहत कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां किराए के रूप में आय किसी व्यवसायिक ट्रस्ट, जो एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है, को जमा की जाती है या भुगतान की जाती है, ऐसे आरईआईटी द्वारा सीधे आयोजित किसी भी रियल एस्टेट परिसंपत्ति के संबंध में।

34.7 प्रयोज्यता: - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

35. श्रेणी-I और श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधियों को पास-थ्रू दर्जा

35.1 आयकर अधिनियम की धारा 10(23एफबी) के प्रावधानों के अनुसार, किसी वेंचर कैपिटल कंपनी (वीसीसी) या वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) की किसी वेंचर कैपिटल उपक्रम (वीसीयू) में निवेश से प्राप्त कोई भी आय उसकी कुल आय का हिस्सा नहीं होगी। उक्त अधिनियम की धारा 115यू के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा वीसीसी या वीसीएफ में किए गए निवेश से अर्जित या प्राप्त आय पर चालू वर्ष के आधार पर उसी प्रकार कर लगेगा, जैसे उस व्यक्ति ने वीसीयू में प्रत्यक्ष निवेश किया हो।

35.2 ये धाराएं केवल उन फंडों को कर पास-थ्रू (अर्थात वीसीएफ/वीसीसी के बजाय निवेशकों के हाथों में आय कर योग्य है) प्रदान करती हैं, जिन्हें कंपनी या ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जो (*i*) 21.05.2012 से पहले सेबी (वेंचर कैपिटल फंड्स) विनियम, 1996 के तहत वीसीएफ के रूप में पंजीकृत हैं, या (*ii*) सेबी (एआईएफ) विनियम, 2012 द्वारा 21.05.2012 से विनियमित श्रेणी-I वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के तहत उप-श्रेणियों में से एक होने के नाते वेंचर कैपिटल फंड के रूप में पंजीकृत हैं। यह पास-थ्रू केवल उस आय के संबंध में उपलब्ध है जो फंड को वीसीयू (वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग) में निवेश से उत्पन्न होती है, एक कंपनी होने के नाते जो सेबी (वीसीएफ) विनियम, 1996 या सेबी (एआईएफ) विनियम, 2012 (एआईएफ विनियम) में प्रदान की गई शर्तों को पूरा करती है।

35.3 एआईएफ विनियमों के तहत, विभिन्न प्रकार के एआईएफ को तीन अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: श्रेणी I, II और III एआईएफ। श्रेणी I में एआईएफ शामिल हैं जो स्टार्ट-अप या प्रारंभिक चरण के उपक्रमों या सामाजिक उपक्रमों या एसएमई या बुनियादी ढांचे या अन्य क्षेत्रों या क्षेत्रों में निवेश करते हैं जिन्हें सरकार या नियामक सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनीय मानते हैं। श्रेणी II एआईएफ निजी इक्विटी फंड या डेट फंड सहित फंड हैं जो श्रेणी I और III में नहीं आते हैं और जो दिन-प्रतिदिन की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लीवरेज या उधार नहीं लेते हैं। श्रेणी III एआईएफ ऐसे फंड हैं जो विविध या जटिल व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करते हैं और सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध डेरिवेटिव में निवेश के माध्यम से लीवरेज को नियोजित कर सकते हैं। फंड को ट्रस्ट, कंपनी, सीमित देयता भागीदारी और किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

35.4 निष्क्रिय निवेश करने वाले पूल्ड निवेश माध्यमों (हेज फंडों को छोड़कर) को कुछ कर क्षेत्राधिकारों में पास-थ्रू की अनुमति दी गई है। श्रेणी-I और श्रेणी-II के एआईएफ (जिन्हें आगे निवेश निधि कहा जाएगा) के कराधान को युक्तिसंगत बनाने के लिए, एक विशेष कर व्यवस्था प्रदान की गई है। ऐसे निवेश कोष और उनके निवेशकों की आय पर कराधान नई व्यवस्था के अनुसार होगा, जो ऐसे फंडों पर लागू होती है, चाहे वे ट्रस्ट, कंपनी या सीमित देयता फर्म आदि के रूप में स्थापित हों। विशेष व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :-

(*मैं*) किसी व्यक्ति की, जो निवेश निधि का इकाई धारक है, निवेश निधि में किए गए निवेशों से प्राप्त आय उसी प्रकार आयकर के अधीन होगी, जैसे कि वह उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाली या प्रोद्भूत होने वाली आय होती, यदि निवेश निधि द्वारा किए गए निवेश सीधे उसके

द्वारा किए गए होते।

(*ii*) व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति से प्राप्त आय को छोड़कर, निवेश निधि से प्राप्त आय कर-मुक्त होगी। निवेश निधि के मामले में, व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ और प्राप्ति के रूप में प्राप्त आय कर-योग्य होगी।

(*iii*) निवेशक के हाथ में होने वाली आय, जो निवेश निधि स्तर पर व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति के रूप में होने वाली आय के समान प्रकृति की है, छूट प्राप्त होगी।

(*iv*) जहां निवेश निधि स्तर पर कर योग्य आय के अलावा कोई अन्य आय, निवेश निधि द्वारा यूनिट धारक को देय है, वहां निधि अक्सर प्रतिशत की दर से आयकर काट लेगी।

(*वी*) निवेश निधि द्वारा भुगतान या जमा की गई आय यूनिट धारक के हाथों में उसी प्रकृति और उसी अनुपात की मानी जाएगी जैसे कि वह निवेश निधि द्वारा प्राप्त की गई थी, या निवेश निधि के लिए अर्जित या उत्पन्न हुई थी।

(*छठी*) यदि किसी वर्ष में निधि स्तर पर हानि होती है, चाहे वह चालू हानि हो या वह हानि जो समायोजित की जानी बाकी थी, तो हानि को निवेशकों को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे आयकर अधिनियम के अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार अगले वर्ष की आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए निधि स्तर पर ले जाया जाएगा।

(*सात*) अध्याय XII-डी (लाभांश वितरण कर) या अध्याय XII-ई (वितरित आय पर कर) के प्रावधान किसी निवेश निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को भुगतान की गई आय पर लागू नहीं होंगे।

(*आठ*) निवेश निधि द्वारा प्राप्त आय को 25 जून, 2015 की अधिसूचना एस.0.1703 (ई) के तहत टीडीएस आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

(*9*) , योजना के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित आयकर प्राधिकरण और निवेशकों को आय के विभिन्न घटकों आदि का विवरण भी उपलब्ध कराएगी।

35.5 इसके अलावा, मौजूदा पास-थ्रू व्यवस्था वीसीएफ/वीसीसी पर लागू रहेगी, जो सेबी (वीसीएफ) विनियम, 1996 के तहत पंजीकृत हैं। शेष वीसीएफ, जो श्रेणी-I एआईएफ का हिस्सा हैं, नई पास-थ्रू व्यवस्था के अधीन होंगे।

35.6 नई व्यवस्था के प्रावधानों के अनुप्रयोग को ज्ञापन में वित्त विधेयक, 2015 के प्रावधानों को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

35.7 प्रयोज्यता *:* - ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

36. आयकर अधिनियम की धारा 10 (23सी) में निर्दिष्ट कुछ विश्वविद्यालयों और अस्पतालों द्वारा आय विवरणी प्रस्तुत करना

36.1 आयकर अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के तहत, खंड (23सी) के उप-खंड (iiiएबी) और (iiiएसी) के तहत छूट, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, ऐसे विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य संस्थान को उपलब्ध है जो पूरी तरह या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

36.2 उक्त अधिनियम की धारा 139 के मौजूदा प्रावधानों के तहत, सभी संस्थाओं जिनकी आय धारा 10 के खंड (23सी) के तहत छूट प्राप्त है, उक्त खंड के उपखंड (iiiab) और (iiiac) में संदर्भित संस्थाओं के अलावा, अनिवार्य रूप से अपनी आय का रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।

36.3 आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23सी) के खंड (iiiएबी) और (iii एसी) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को अनिवार्य रूप से अपनी आय का रिटर्न दाखिल करना होगा।

36.4 प्रयोज्यता *:* -यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

37. आयकर रिटर्न विदेशी परिसंपत्ति के 'लाभार्थी' या 'लाभार्थी' द्वारा दाखिल किया जाना है

37.1 आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) उन करदाताओं की श्रेणी निर्दिष्ट करती है जिन्हें अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के चौथे परंतुक में यह प्रावधान है कि कोई निवासी, जिसे आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसके पास पिछले वर्ष के दौरान भारत के बाहर स्थित कोई परिसंपत्ति (किसी संस्था में कोई वित्तीय हित सहित) है या भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है, उसे नियत तिथि को या उससे पहले अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

37.2 2015 की बजट घोषणा में कहा गया था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को परिसंपत्तियों के लाभार्थी स्वामी पर भी लागू किया जाएगा। अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन से पहले, यदि किसी व्यक्ति द्वारा परिसंपत्ति लाभार्थी स्वामी के रूप में धारण की जाती है या वह विदेशी परिसंपत्ति का लाभार्थी है, तो आयकर रिटर्न दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में मामलों में विदेशी परिसंपत्तियाँ ट्रस्टों/संस्थाओं के नाम पर रखी जाती हैं, जहाँ करदाता लाभार्थी स्वामी या लाभार्थी होता है। परिणामस्वरूप, वह आयकर रिटर्न दाखिल करने और विदेशी परिसंपत्ति का खुलासा करने की

आवश्यकता से बच जाता है।

37.3 तदनुसार, धारा 139 में संशोधन करके विदेशी परिसंपत्ति के लाभार्थी स्वामी या लाभार्थी द्वारा आयकर विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। संशोधन में 'लाभार्थी स्वामी' शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से भी परिभाषित किया गया है जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के तत्काल या भविष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए परिसंपत्ति के लिए प्रतिफल प्रदान किया हो। 'लाभार्थी' शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसने पिछले वर्ष के दौरान परिसंपत्ति से लाभ प्राप्त किया हो और ऐसी परिसंपत्ति के लिए प्रतिफल ऐसे लाभार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया हो।

37.4 यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत के बाहर स्थित किसी परिसंपत्ति (किसी इकाई में किसी वित्तीय हित सहित) के लाभार्थी को आय का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जहां ऐसी परिसंपत्ति से उत्पन्न होने वाली आय, यदि कोई हो, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी स्वामी की आय में शामिल की जा सकती है।

37.5 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

38. पुनर्मूल्यांकन हेतु नोटिस जारी करने हेतु अनुमोदन व्यवस्था का सरलीकरण

38.1 आयकर अधिनियम की धारा 151, धारा 148 के तहत कर निर्धारण से बची आय के पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने से पहले कुछ प्राधिकारियों से मंजूरी लेने का प्रावधान करती है। कुछ निर्दिष्ट परिस्थितियों में, कर निर्धारण अधिकारी को धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन किए जाने से पहले, धारा 151 में विभिन्न मंजूरी देने वाले प्राधिकारियों को इस आधार पर निर्दिष्ट किया गया था- (i) क्या धारा 143 या धारा 147 की उप-धारा (3) के तहत जांच पहले की गई है या नहीं, (ii) क्या संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष के भीतर या बाद में नोटिस जारी करने का प्रस्ताव है, और (iii) नोटिस जारी करने का प्रस्ताव करने वाले कर निर्धारण अधिकारी का पद।

38.2 सरलता प्रदान करने के लिए, धारा 151 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 148 के तहत कोई भी नोटिस संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन के बिना प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष तक और प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के अनुमोदन के बिना प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष से अधिक समय तक किसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।

38.3 प्रयोज्यता : यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी हो गया है।

39. उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की आय का आकलन जिसके मामले में तलाशी शुरू की गई है या खाता बही, अन्य दस्तावेज या संपत्ति की मांग की गई है।

39.1 आयकर अधिनियम की धारा 153सी उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की आय के आकलन से संबंधित है जिसके मामले में तलाशी ली गई है या जिसकी मांग की गई है। अधिनियम द्वारा संशोधन किए जाने से पूर्व, धारा 153सी की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों में यह प्रावधान था कि आयकर अधिनियम की धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां मूल्यांकन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि जब्त या अधिग्रहीत कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या खाता बही या दस्तावेज आयकर अधिनियम की धारा 153ए में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हैं, तो जब्त या अधिग्रहीत खाता बही या दस्तावेज या परिसंपत्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मूल्यांकन अधिकारी को सौंप दी जाएंगी और वह मूल्यांकन अधिकारी ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा और नोटिस जारी करेगा और धारा 153ए के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करेगा।

39.2 किसी दस्तावेज के संबंध में "से संबंधित" शब्दों की व्याख्या के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गए हैं, उदाहरण के लिए जब किसी व्यक्ति से जब्त किया गया दस्तावेज मूल दस्तावेज की प्रतिलिपि है। तदनुसार, धारा 153सी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां मूल्यांकन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोई धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज आयकर अधिनियम की धारा 153ए में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है, या जब्त या अधिग्रहीत कोई खाता बही या दस्तावेज उससे संबंधित है, या उसमें निहित कोई जानकारी उससे संबंधित है, तो जब्त या अधिग्रहीत खाता बही या दस्तावेज या परिसंपत्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मूल्यांकन अधिकारी को सौंप दी जाएंगी और वह मूल्यांकन अधिकारी ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा और नोटिस जारी करेगा और धारा 153ए के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करेगा।

39.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी हो गया है।

40. जब विधि का समरूप प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो तो राजस्व द्वारा अपील की प्रक्रिया

40.1 आयकर अधिनियम की धारा 158ए में यह प्रावधान है कि किसी कर निर्धारण वर्ष में उसके मामले में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारी या किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष यह दावा प्रस्तुत कर सकता है कि वर्तमान मामले में उत्पन्न विधि का प्रश्न, किसी अन्य कर निर्धारण

वर्ष में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष उसके मामले में पहले से लंबित विधि के प्रश्न के समरूप है और यदि कर निर्धारण अधिकारी या कोई अपीलीय प्राधिकारी उस पूर्ववर्ती वर्ष में विधि के प्रश्न पर अंतिम निर्णय को वर्तमान वर्ष में लागू करने के लिए सहमत हो जाता है, तो वह उच्चतर अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष वर्तमान वर्ष के लिए उसी विधि के प्रश्न को पुनः नहीं उठाएगा।

40.2 वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा किए गए संशोधनों से पहले, आयकर अधिनियम में ऐसे कोई समानांतर प्रावधान नहीं थे जो राजस्व विभाग को आगामी वर्षों में अपील दायर न करने का अधिकार देते हों, जहाँ विभाग किसी पूर्ववर्ती वर्ष के समान विधिक प्रश्न पर अपील कर रहा हो। परिणामस्वरूप, राजस्व विभाग द्वारा उसी विधिक प्रश्न पर वर्षों तक अपील दायर की जाती रही, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से उस पर निर्णय नहीं हो जाता, जिससे मुकदमेबाजी बढ़ती गई।

40.3 तदनुसार, एक नई धारा 158एए जोड़ी गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि जहां किसी कर निर्धारण वर्ष (प्रासंगिक मामला) के लिए करदाता के मामले में उत्पन्न होने वाला कोई विधि प्रश्न, किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में उत्पन्न होने वाले विधि प्रश्न के समरूप है, जो उच्चतम न्यायालय में लंबित है, वहां राजस्व द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दायर अपील या विशेष अनुमति याचिका में, आयुक्त या प्रधान आयुक्त, कर निर्धारण अधिकारी को धारा 253 (राजस्व द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के सामान्य प्रावधान) की उपधारा (2) या उपधारा (2ए) के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का निर्देश देने के बजाय, कर निर्धारण अधिकारी को आयुक्त (अपील) के आदेश की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन करने का निर्देश दे सकते हैं, जिसमें यह कहा गया हो कि संबंधित मामले में उत्पन्न होने वाले विधि प्रश्न पर अपील तब दायर की जा सकती है, जब पहले मामले में विधि प्रश्न पर निर्णय अंतिम हो जाता है।

40.4 आयुक्त या प्रधान आयुक्त ऐसा निर्देश तभी देंगे जब करदाता से इस आशय की स्वीकृति प्राप्त हो कि दूसरे मामले में विधि का प्रश्न संबंधित मामले में उठने वाले प्रश्न के समान ही है। हालाँकि, यदि ऐसी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो आयुक्त या प्रधान आयुक्त, यदि उन्हें आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति है, तो वे कर निर्धारण अधिकारी को अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के सामान्य प्रावधानों के अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का निर्देश दे सकते हैं।

40.5 यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां आयुक्त (अपील) का आदेश अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम निर्णय के अनुरूप नहीं है (यदि उच्चतम न्यायालय पहले मामले का निर्णय विभाग के पक्ष में करता है), तो आयुक्त या प्रधान आयुक्त कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दे सकते हैं कि वह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण में उस तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील करें, जिस दिन अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय का आदेश आयुक्त या प्रधान आयुक्त को सूचित किया जाता है और उक्त धारा 158एए में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, अध्याय XX के भाग बी के अन्य सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

40.6 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी हो गया है।

41. कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफएस) के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तंत्र का सरलीकरण

41.1 कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952) के अंतर्गत, कुछ निर्दिष्ट नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफएस) का अनुपालन करना आवश्यक है। हालाँकि, इन नियोक्ताओं को कुछ शर्तों को पूरा करने पर अपनी निजी भविष्य निधि योजना (पीपीएफएस) स्थापित करने और उसका प्रबंधन करने की भी अनुमति है। ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 या पीपीएफएस के अंतर्गत बनाई गई योजना के अंतर्गत स्थापित भविष्य निधि, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त है और आयकर अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है , आयकर अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (आरपीएफ) कहलाती है। आरपीएफ से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची (अनुसूची IV-A) के भाग A में निहित हैं।

41.2 आयकर अधिनियम की अनुसूची IV-ए के नियम 8 के मौजूदा प्रावधानों के तहत, किसी कर्मचारी द्वारा आरपीएफ से संचित शेष राशि की निकासी कराधान से मुक्त है। हालांकि, समय से पहले निकासी को हतोत्साहित करने और दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि यदि कर्मचारी पांच साल की निरंतर सेवा से पहले निकासी करता है (खराब स्वास्थ्य, व्यवसाय बंद होने आदि के कारण समाप्ति के मामलों को छोड़कर) और नए नियोक्ता द्वारा बनाए गए किसी भी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में संचित शेष राशि को स्थानांतरित करने का विकल्प नहीं चुनता है तो ऐसी निकासी कर योग्य होगी। उक्त अनुसूची का नियम 9 इस तरह की समय से पहले निकासी के संबंध में कर्मचारी की कर देयता निर्धारित करने के लिए गणना तंत्र प्रदान करता है। इन निकासी के संबंध में कर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूची IV-ए का नियम 10 यह प्रावधान करता है कि आरपीएफ के ट्रस्टी, भुगतान के समय, अनुसूची IV-ए के नियम 9 में गणना के अनुसार कर काटेंगे।

41.3 आयकर अधिनियम की अनुसूची IV-ए का नियम 9 यह प्रावधान करता है कि निकाली गई राशि पर कर की गणना उन वर्षों की कर देयता की पुनः गणना करके की जानी चाहिए, जिनके लिए आरपीएफ में योगदान किया गया है और इसे गैर-मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान के रूप में माना जाना चाहिए। पीपीएफएस के ट्रस्टी, आम तौर पर नियोक्ता समूह का हिस्सा होने के नाते, अधिनियम की अनुसूची-IV-ए के नियम 9 के तहत कर देयता की राशि की गणना के प्रयोजनों के लिए समय से पहले निकासी करने वाले कर्मचारी की कर योग्यता के बारे में जानकारी तक पहुंच रखते हैं या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि,

कभी-कभी ईपीएफएस के ट्रस्टियों के लिए आयकर अधिनियम की अनुसूची-IV-ए के नियम 9 के तहत कर देयता की राशि की गणना के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी की कर योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होता है, जैसे कि कर योग्य आय की वर्ष-वार राशि और देय कर।

41.4 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ईपीएफ़एस से समयपूर्व कर योग्य निकासी पर 10% की दर से कर कटौती हेतु आयकर अधिनियम में एक नई धारा 192A जोड़ी गई है। हालाँकि, पीपीएफ़एस, अर्थात् ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त और आयकर अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी भविष्य निधि से समयपूर्व निकासी पर कर की कटौती , आयकर अधिनियम की धारा 192 की उप-धारा (4) के साथ पठित अनुसूची IV-A के नियम 10 के अनुसार जारी रहेगी।

41.5 इसके अलावा, कर योग्य सीमा से कम आय वाले कर्मचारियों के अनुपालन भार को कम करने के लिए, इस नई जोड़ी गई धारा के लागू होने के लिए 30,000/- रुपये की भुगतान सीमा निर्धारित की गई है। कर कटौती की प्रयोज्यता के लिए यह सीमा निर्धारित करने के बावजूद, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ कर्मचारियों की कुल आय पर देय कर, समयपूर्व निकासी की राशि को शामिल करने के बाद भी शून्य हो सकता है।

41.6 इन श्रेणियों के कर्मचारियों के अनुपालन भार को कम करने के लिए, यह भी प्रावधान किया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 197ए के अंतर्गत कर न काटने हेतु स्व-घोषणा दाखिल करने की सुविधा समयपूर्व निकासी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगी। अर्थात्, कोई भी कर्मचारी फॉर्म संख्या 15जी में यह घोषणा कर सकता है कि ईपीएफएस से कर योग्य समयपूर्व निकासी सहित उसकी कुल आय कर-मुक्त अधिकतम राशि से अधिक नहीं है और ऐसी घोषणा प्रस्तुत करने पर, ईपीएफएस के ट्रस्टी द्वारा ऐसे कर्मचारी को भुगतान करते समय कोई कर नहीं काटा जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 197ए के अंतर्गत कर न काटने हेतु फॉर्म संख्या 15एच में स्व-घोषणा दाखिल करने की इसी प्रकार की सुविधा समयपूर्व निकासी प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक कर्मचारियों को भी प्रदान की गई है।

41.7 समय से पहले निकासी करने वाले कुछ कर्मचारी उच्च स्लैब दरों (20% या 30%) पर कर का भुगतान कर सकते हैं। इसलिए, टीडीएस के *मुकाबले वास्तविक कर देयता में कमी* का भुगतान इन कर्मचारियों द्वारा या तो अपने नए नियोक्ता से शेष कर में कटौती करने का अनुरोध करके या अग्रिम कर / स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। इन कर्मचारियों द्वारा शेष कर का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, उनके द्वारा ईपीएफएस को वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना एक पूर्वापेक्षा है। आयकर अधिनियम की धारा 206AA के मौजूदा प्रावधानों में पैन प्रस्तुत न करने की स्थिति में 20% की दर से कर की कटौती का प्रावधान है, जहां स्रोत पर कर की कटौती की दर निर्दिष्ट है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं जो उच्चतम स्लैब दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इन कर्मचारियों से शेष कर का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए

41.8 प्रयोज्यता: - ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

42. ब्याज पर कर कटौती से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण (प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा)

42.1 आयकर अधिनियम की धारा 194 ए(1) सहपठित धारा 194ए(3)(*i*) एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर) पर कर कटौती का प्रावधान करती है, अर्थात बैंकों, बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समिति (सहकारी बैंक) और डाकघर द्वारा ब्याज भुगतान पर 10,000 रुपये और अन्य व्यक्तियों द्वारा ब्याज भुगतान पर 5,000 रुपये। इसके अलावा, धारा 194ए की उप-धारा (3) *अन्य बातों के साथ-साथ* सहकारी समिति द्वारा निम्नलिखित ब्याज भुगतानों के संबंध में कर कटौती से छूट का भी प्रावधान करती है:

(*मैं*) किसी सहकारी समिति द्वारा अपने किसी सदस्य या किसी अन्य सहकारी समिति को ब्याज का भुगतान। [आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(v)]

(*ii*) प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक ऋण समिति या सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा जमाराशियों पर ब्याज भुगतान। [आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(viia)(*a)]*

(*iii*) अधिनियम की धारा 194ए(3)(viia)(a) में उल्लिखित के अलावा बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समिति द्वारा सावधि जमा के अलावा अन्य जमाओं पर ब्याज भुगतान। [आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(viia)(b)]

42.2 अतः, धारा 194 ए(1) के प्रावधानों को धारा 194ए(3)(i)(ख) और 194ए(3)(viia)(ख) के प्रावधानों के साथ पठित, सहकारी बैंकों को सावधि जमा पर ब्याज भुगतान से कर कटौती करनी होगी, यदि ऐसे भुगतान की राशि 10,000/- रुपये की निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो। हालाँकि, आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(*v*) के प्रावधानों के अनुसार, सभी सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले ब्याज भुगतान से कर कटौती से सामान्य छूट प्रदान की जाती है, इसलिए सहकारी बैंकों ने अपने जमाकर्ताओं को विभिन्न श्रेणियों का सदस्य बनाकर इस छूट का लाभ उठाने का प्रयास किया।

42.3 इससे यह विवाद उत्पन्न हो गया है कि क्या सहकारी बैंक, जिनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 194ए(1), धारा 194ए(3)(i)(b) और धारा 194ए(3)(viia)(b) के रूप में कर कटौती के विशिष्ट प्रावधान मौजूद हैं, सदस्यों को ब्याज के भुगतान पर कर की कटौती से सभी सहकारी समितियों को प्रदान की गई सामान्य छूट का लाभ ले सकते हैं। मामला न्यायिक मंचों पर ले जाया गया है और कुछ मामलों में यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि आयकर

अधिनियम की धारा 194ए(3)(viia)(b) के प्रावधान कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए सहकारी बैंकों के सदस्यों और गैर-सदस्यों के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं, इसलिए, सहकारी बैंकों को समय जमा पर ब्याज के भुगतान पर कर में कटौती करने की आवश्यकता होती है और वे आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(*v*) *के तहत प्रदान की गई सामान्य छूट का तर्क देकर इससे बच नहीं सकते हैं।* ऐसा इसलिए है क्योंकि सहकारी बैंकों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(i)(बी) और 194ए(3)(viia)(बी) के तहत प्रदान की गई कर कटौती का विशिष्ट प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(वी) के तहत सदस्यों को ब्याज भुगतान से कर की कटौती न करने के लिए सभी सहकारी समितियों को प्रदान की गई सामान्य छूट को रद्द कर देता है।

42.4 चूंकि सहकारी बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वित्त अधिनियम, 2006 और वित्त अधिनियम, 2007 ने सहकारी बैंकों के लिए एक कराधान व्यवस्था प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया, जो अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए समान है। इसलिए, कर की कटौती के मामले में सहकारी बैंकों को अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अलग तरीके से व्यवहार करने और उन्हें कम संख्या में सदस्यों के लाभ के लिए गठित छोटी क्रेडिट सहकारी समितियों के लिए छूट का लाभ उठाने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सहकारी बैंकों द्वारा अपने सदस्यों को सावधि जमा पर ब्याज के भुगतान से कर की कटौती को अनिवार्य करने वाले विशिष्ट प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में संदेह पैदा किया गया है, यह दावा करके कि सदस्य जमाकर्ताओं को ब्याज के भुगतान के लिए सामान्य छूट भी लागू है।

42.5 इसके मद्देनजर, आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(v) के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(*v*) के तहत सहकारी समिति द्वारा सदस्यों को दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान से कर कटौती से प्रदान की गई छूट सहकारी बैंकों द्वारा अपने सदस्यों को सावधि जमा पर ब्याज के भुगतान पर लागू नहीं होगी। चूंकि यह संशोधन 1 जून 2015 की संभावित तिथि से प्रभावी है, इसलिए सहकारी बैंक को 1 जून, 2015 को या उसके बाद अपने सदस्यों की सावधि जमा पर ब्याज के भुगतान से कर काटना आवश्यक होगा। इसलिए, किसी सहकारी बैंक को 1 जून, 2015 से पहले अपने सदस्यों द्वारा भुगतान या जमा की गई सावधि जमा पर ब्याज के भुगतान से कर काटने की आवश्यकता नहीं थी।

42.6 हालाँकि, आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(viia)(*a*) के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक ऋण समिति या सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक को जमा राशि पर दिए गए ब्याज के संबंध में कर कटौती से प्रदान की गई मौजूदा छूट लागू रहेगी। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 194 ए(3) के उक्त खंड (viia)(a) में निर्दिष्ट इन सहकारी ऋण समितियों/बैंकों को उक्त संशोधन के बाद भी जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज भुगतान पर कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी।

42.7 इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(v) के तहत सहकारी समिति द्वारा किसी अन्य सहकारी समिति को दिए गए ब्याज पर कर की कटौती से दी गई मौजूदा छूट सहकारी बैंक पर लागू होती रहेगी और इसलिए, सहकारी बैंक को सहकारी समिति होने के नाते जमाकर्ता को समय जमा पर ब्याज के भुगतान से कर की कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी।

42.8 बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक द्वारा ब्याज के भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का मौजूदा प्रावधान केवल 1 जुलाई, 1995 को या उसके बाद किए गए सावधि जमा पर ब्याज भुगतान पर लागू होता है। आयकर अधिनियम की धारा 194ए में प्रदत्त "सावधि जमा" की परिभाषा आवर्ती जमा को इसके दायरे से बाहर रखती है। इसलिए, बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक द्वारा आवर्ती जमा पर ब्याज का भुगतान टीडीएस के अधीन नहीं था। आवर्ती जमा भी एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और इसलिए यह सावधि जमा के समान है। इसके मद्देनजर, आयकर अधिनियम की धारा 194ए की उप-धारा (3) के खंड (xi) के नीचे स्पष्टीकरण 1 में प्रदत्त 'सावधि जमा' की परिभाषा को संशोधित किया गया है ताकि आयकर अधिनियम की धारा 194ए के तहत कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए आवर्ती जमा को इसके दायरे में शामिल किया जा सके। हालांकि, छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवर्ती जमा पर ब्याज भुगतान के मामले में कर की कटौती न करने की मौजूदा सीमा 10,000 रुपये भी लागू होगी।

42.9 आयकर अधिनियम की धारा 194ए की उपधारा (3) के खंड (i) के प्रावधान में यह प्रावधान है कि बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समिति या सार्वजनिक कंपनी द्वारा कर की कटौती के प्रयोजन के लिए ब्याज आय की गणना इन संस्थाओं की एक शाखा के संदर्भ में की जाएगी। चूंकि वर्तमान में, इनमें से अधिकांश संस्थाएं कम्प्यूटरीकृत हैं और ब्याज जमा करने के लिए कोर बैंकिंग समाधानों का पालन करती हैं, इसलिए कोर बैंकिंग समाधानों को अपनाने वाली संस्थाओं द्वारा ब्याज की शाखावार गणना जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(*i*) में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति या सार्वजनिक कंपनी के मामले में, जिसने कोर बैंकिंग समाधान अपनाया है, आयकर अधिनियम की धारा 194ए के तहत कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए ब्याज आय की गणना बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति या सार्वजनिक कंपनी द्वारा जमा या भुगतान की गई आय के संदर्भ में की जाएगी।

42.10 आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(*ix*) *के अंतर्गत, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि पर जमा या भुगतान किए गए ब्याज से कर की कटौती करना आवश्यक नहीं है, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किए गए ऐसे ब्याज की राशि 50,000/- रुपये से अधिक नहीं है। वित्त (सं.2) अधिनियम, 2009 ने आयकर अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों में संशोधन किया और आयकर अधिनियम की धारा 145ए को प्रतिस्थापित किया, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान किया जा सके कि क्षतिपूर्ति या संवर्धित क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज आय उस वर्ष की आय मानी

जाएगी जिसमें इसे प्राप्त किया गया है। हालाँकि, आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3)(ix) के प्रावधानों में क्षतिपूर्ति पर भुगतान या जमा किए गए ब्याज, जो भी पहले हो, से कर की कटौती का प्रावधान था। आयकर अधिनियम की धारा 145ए(बी) आयकर अधिनियम की धारा 145 में निहित लेखांकन पद्धति के लिए एक अपवाद प्रदान करती है और केवल प्राप्ति के आधार पर मुआवजे पर ब्याज के कराधान का प्रावधान करती है। इसलिए, व्यापारिक/उपार्जन आधार पर ऐसे ब्याज पर कर की कटौती से अनुचित कठिनाई और बेमेल उत्पन्न होता है। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 194ए(3) के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि पर ब्याज भुगतान से आयकर अधिनियम की धारा 194ए के तहत कर की कटौती केवल भुगतान के समय ही की जाएगी, यदि ऐसे भुगतान की राशि या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे भुगतानों की कुल राशि 50,000/- रुपये से अधिक हो।

42.11 प्रयोज्यता: - ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे ।

43. ट्रांसपोर्टरों को किए गए भुगतान से कर कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण

43.1 आयकर अधिनियम की धारा 194सी के प्रावधानों के तहत, ठेकेदारों को किया गया भुगतान, यदि प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है, तो 1% की दर से टीडीएस के अधीन है और अन्य प्राप्तकर्ता के मामले में, यदि ऐसा भुगतान 30,000 रुपये से अधिक है या एक वित्तीय वर्ष में ऐसे भुगतानों का कुल योग 75,000 रुपये से अधिक है, तो 2% की दर से टीडीएस के अधीन है। 1 अक्टूबर 2009 से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 194सी के तहत ऐसे व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टर को टीडीएस से छूट का प्रावधान था, जिसके पास पिछले वर्ष में किसी भी समय दो से अधिक मालवाहक गाड़ियाँ नहीं थीं।

43.2 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 ने 1.10.2009 से आयकर अधिनियम की धारा 194सी को प्रतिस्थापित कर दिया, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान था कि यदि ठेकेदार भुगतानकर्ता को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रदान करता है, तो मालवाहक वाहन चलाने, किराए पर लेने और पट्टे पर देने के दौरान ठेकेदार को किए गए भुगतानों से कर की कटौती नहीं की जाएगी। वित्त (सं. 2) विधेयक, 2009 के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन से संकेत मिलता है कि इसका उद्देश्य केवल छोटे परिवहन संचालकों (जैसा कि अधिनियम की धारा 44एई में परिभाषित है) को स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करने पर टीडीएस के दायरे से छूट देना था। इस प्रकार, इसका उद्देश्य छोटे ट्रांसपोर्टरों पर अनुपालन का बोझ कम करना था। तथापि, आयकर अधिनियम की धारा 194सी की उपधारा (6) की भाषा वांछित मंशा को व्यक्त नहीं करती थी और परिणामस्वरूप सभी ट्रांसपोर्टर, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, अपना पैन प्रस्तुत करके आयकर अधिनियम की धारा 194सी की उपधारा (6) के मौजूदा प्रावधानों के तहत टीडीएस से छूट का दावा कर रहे थे।

43.3 चूंकि सभी ट्रांसपोर्टरों को, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, टीडीएस के दायरे से भुगतान से छूट देने का कोई औचित्य नहीं है, आयकर अधिनियम की धारा 194सी(6) के प्रावधानों को संशोधित किया गया है ताकि स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 194सी की उपधारा (6) के तहत कर की कटौती न करने की छूट केवल परिवहन शुल्क के रूप में भुगतान पर लागू होगी (चाहे वह परिवहन के व्यवसाय में लगे व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया हो या अन्यथा) जो उस ठेकेदार को किया जाता है जो परिवहन के व्यवसाय में लगा है अर्थात माल गाड़ी चलाना, किराए पर लेना या पट्टे पर देना और जो आयकर अधिनियम की धारा 44एई के प्रावधानों के अनुसार आय की गणना करने के लिए पात्र है (अर्थात ऐसा व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 10 से अधिक माल गाड़ियों का मालिक नहीं है) और जिसने ऐसी राशि का भुगतान करने वाले व्यक्ति को अपने पैन के साथ इस आशय की घोषणा भी प्रस्तुत की है।

43.4 इसके अतिरिक्त, टीडीएस से यह छूट केवल ट्रांसपोर्टर के स्वामित्व वाले मालवाहक वाहनों के संचालन, किराये पर लेने या पट्टे पर लेने के लिए प्राप्त परिवहन शुल्क के संबंध में ही लागू है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसे मालवाहक वाहनों के संचालन, किराये पर लेने या पट्टे पर लेने के संबंध में भुगतान प्राप्त करता है जो उसके स्वामित्व में नहीं हैं, तो वह इन भुगतानों के संबंध में टीडीएस से छूट का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

43.5 ट्रांसपोर्टर द्वारा दस से अधिक मालगाड़ियों के स्वामित्व न रखने की शर्त उस तिथि को पूरी की जानी आवश्यक है जिस दिन राशि जमा की जाती है या भुगतान किया जाता है, जो भी पहले हो। यदि ट्रांसपोर्टर के पास राशि जमा या भुगतान की तिथि को दस मालगाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन पिछले वर्ष में बाद में वह दस मालगाड़ियों का मालिक बन जाता है, तो भुगतानकर्ता को पिछले वर्ष की उस अवधि के दौरान ट्रांसपोर्टर को किए गए भुगतान से कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी जब उसके पास दस से अधिक मालगाड़ियाँ नहीं थीं। हालाँकि, कर पिछले वर्ष के उस भाग के दौरान किए गए भुगतान से काटा जाना आवश्यक होगा जिसके दौरान ट्रांसपोर्टर के पास दस से अधिक मालगाड़ियाँ थीं।

43.6 इसके अतिरिक्त, धारा 194सी की उपधारा (5) के प्रावधान के प्रयोजनों के लिए जमा या भुगतान की गई कुल राशि का निर्धारण करने के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी भुगतानों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें उस वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान जमा या भुगतान की गई राशि भी शामिल है, जिसके दौरान ट्रांसपोर्टर के पास दस से अधिक मालवाहक गाड़ियाँ नहीं थीं। हालाँकि, चूँकि धारा 194 सी(6) के प्रावधानों को 1 जून, 2015 से संशोधित किया गया था, इसलिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल भुगतानों का निर्धारण करने के लिए , केवल 1 जून, 2015 को या उसके बाद किए गए भुगतानों को ही ध्यान में रखा जाएगा। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया गया है :-

T नामक एक व्यक्ति के पास 1 अप्रैल, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 तक पाँच मालगाड़ियाँ थीं। 1 नवंबर, 2015 को उसने 6 और मालगाड़ियाँ खरीदीं। 1 जनवरी, 2016 को उसने 8 मालगाड़ियाँ बेचीं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 'P' ने T को परिवहन शुल्क का निम्नलिखित भुगतान किया:

15 अप्रैल, 2015	- 35,000 रुपये
15 जुलाई, 2015	- 40,000 रुपये
15 नवंबर, 2015	- 20,000 रुपये
15 दिसंबर, 2015	- 20,000 रुपये
15 फरवरी, 2016	- 50,000 रुपये

यदि टी आयकर अधिनियम की धारा 194सी(6) के पूर्व-संशोधित प्रावधानों के अनुसार अपना पैन प्रस्तुत करता है, तो 15 अप्रैल, 2015 को किए गए भुगतान पर कोई कर कटौती योग्य नहीं है। यदि टी आयकर अधिनियम की धारा 194सी(6) के संशोधित प्रावधान की आवश्यकता के अनुसार अपने पैन के साथ यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान उसके पास 10 से अधिक मालवाहक गाड़ियां नहीं हैं, तो 15 जुलाई, 2015 को किए गए भुगतान से कोई कर कटौती योग्य नहीं है । 15 नवंबर, 2015 को किए गए भुगतान से भी कर कटौती योग्य नहीं है क्योंकि भुगतान 30,000 रुपये से अधिक नहीं है और 1 जून, 2015 [अर्थात धारा 194 सी(6) के संशोधित प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि] से 15 नवंबर, 2015 की अवधि के दौरान भुगतानों का कुल योग 75,000 रुपये से अधिक नहीं है जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 194 सी(5) के प्रावधान में निर्दिष्ट है। 15 दिसंबर, 2015 को किए गए भुगतान से 1% अर्थात 200 रुपये की दर से कर कटौती योग्य है क्योंकि उस तिथि को टी के पास 10 से अधिक मालवाहक वाहन हैं और 1 जून, 2015 से 15 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान किए गए भुगतानों का कुल योग 75,000 रुपये की सीमा से अधिक है। 15 फ़रवरी, 2016 को किए गए भुगतान से भी कर कटौती योग्य है, भले ही T के पास 15 फ़रवरी, 2016 को 10 से ज़्यादा मालगाड़ियाँ न हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि T के पास वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 10 से ज़्यादा मालगाड़ियाँ थीं और भुगतान व्यक्तिगत और समग्र भुगतान, दोनों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक था। इसके मद्देनज़र, T, 15 दिसंबर, 2015 और 15 फ़रवरी, 2016 को किए गए भुगतानों के संबंध में धारा 194C (6) के प्रावधानों के अनुसार पैन के साथ घोषणा प्रस्तुत करके आयकर अधिनियम की धारा 194C (6) के तहत छूट का दावा करने के लिए पात्र नहीं है।

43.7 इसके अतिरिक्त, कर की कटौती के बिना भुगतान प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194 सी(6) के तहत आदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा के प्रारूप में एकरूपता सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, घोषणा प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप निर्दिष्ट किया गया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 सी (6) के तहत घोषणा

सं..... (भुगतानकर्ता द्वारा प्रदान किया जाना है) तारीख .....

से: (भुगतानकर्ता का नाम और पता)

प्रति: (भुगतानकर्ता का नाम एवं पता)

पंजीकरण संख्या ..... वाले मालवाहक वाहनों द्वारा माल के परिवहन के लिए रु..... की राशि का भाड़ा/परिवहन शुल्क आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194सी के तहत कर की कटौती के बिना मेरे खाते में भुगतान या जमा किया जा सकता है। मैं/हम, ...की हैसियत से .....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे/हमारे पास दस से अधिक मालवाहक वाहन नहीं हैं और 1 अप्रैल .....से .....तक की अवधि के दौरान किसी भी समय मेरे पास दस से अधिक मालवाहक वाहन नहीं थे । मेरा स्थायी खाता संख्या (पैन) है। मैं एतद्द्वारा अपने पैन कार्ड की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करता/करती हूँ।

.....

जगह: घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर"

43.8 यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि ट्रांसपोर्टर को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को आयकर नियम, 1962 के नियम 31ए(4)(*vi*) के *प्रावधान के अनुसार कर कटौती के विवरण (फॉर्म 26क्यू) में आयकर अधिनियम की धारा 194* सी(6) के अनुपालन में कर की कटौती के बिना ट्रांसपोर्टर को किए गए भुगतान का विवरण देना आवश्यक है। इस जानकारी को प्रस्तुत न करने या अपूर्ण प्रस्तुत करने पर कटौतीकर्ता को आयकर अधिनियम की धारा 271एच के प्रावधान के अनुसार जुर्माना देना होगा।

43.9 प्रयोज्यता: - यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा।

44. आयकर अधिनियम की धारा 194LD के तहत रियायती कर दर की पात्र अवधि का विस्तार

44.1 आयकर अधिनियम की धारा 194LD के प्रावधानों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) और अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFI) को

सरकारी प्रतिभूतियों और रुपये में मूल्यवर्गित कॉर्पोरेट बॉन्ड में उनके निवेश पर देय ब्याज के मामले में 5 प्रतिशत की कम दर से कर कटौती का प्रावधान है, बशर्ते कि ब्याज दर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दर से अधिक न हो। अधिनियम में संशोधन से पहले, यह लाभ 1 जून, 2013 को या उसके बाद लेकिन 1 जून, 2015 से पहले किसी भी समय देय ब्याज पर उपलब्ध था।

44.2 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के संबंध में धारा 194एलसी के अंतर्गत उपलब्ध कर की कम दर के लाभ के लिए पात्रता अवधि की सीमा तिथि को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 द्वारा 30 जून, 2015 से बढ़ाकर 30 जून, 2017 कर दिया गया था।

44.3 तदनुसार, धारा 194एलडी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 194एलडी के अंतर्गत ब्याज भुगतान पर 5% कर कटौती की रियायती दर अब 30 जून, 2017 तक देय ब्याज पर उपलब्ध होगी।

44.4 ***प्रयोज्यता*** : - यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा।

45. जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत किए गए भुगतान के लिए फॉर्म 15जी/15एच दाखिल करने की सुविधा

45.1 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा आयकर अधिनियम में धारा 194DA को 1.10.2014 से शामिल किया गया ताकि जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत किए गए कर-योग्य भुगतानों पर 2% की दर से स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान किया जा सके। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की कुल राशि ₹1,00,000 से कम है, तो कोई कटौती नहीं की जाएगी।

45.2 इस धारा के अंतर्गत कर कटौती की उच्च सीमा प्रदान करने के बावजूद, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ प्राप्तकर्ता की कुल आय, जिसमें जीवन बीमा के अंतर्गत किया गया भुगतान भी शामिल है, पर देय कर शून्य होगा। आयकर अधिनियम की धारा 197A के मौजूदा प्रावधानों में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह भी प्रावधान है कि यदि किसी भुगतान का प्राप्तकर्ता, जिस पर कर कटौती योग्य है, भुगतानकर्ता को निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 5G/15H में स्व-घोषणा प्रस्तुत करता है कि संबंधित पिछले वर्ष की उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा, तो कर नहीं काटा जाएगा।

45.3 उन प्राप्तकर्ताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए जिनकी अनुमानित कुल आय पर कर देयता शून्य है, आयकर अधिनियम की धारा 197ए के प्रावधानों को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 194डीए में संदर्भित भुगतानों के प्राप्तकर्ता भी आयकर अधिनियम की धारा 197ए के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए फॉर्म संख्या 15जी/15एच में स्व-घोषणा दाखिल करने के पात्र होंगे।

45.4 प्रयोज्यता: - यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा।

कटौतीकर्ताओं के लिए टैन प्राप्त करने की आवश्यकता में ढील

46.1 आयकर अधिनियम की धारा 203ए के प्रावधानों के अंतर्गत, कर काटने वाले (कटौतीकर्ता) या कर संग्रह करने वाले प्रत्येक व्यक्ति (संग्राहक) को कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) प्राप्त करना और आयकर विभाग को कर कटौती/संग्रह की सूचना देने के लिए उसे उद्धृत करना आवश्यक है। हालाँकि, वर्तमान में, आयकर अधिनियम की धारा 194-आईए के अंतर्गत किसी निवासी हस्तांतरक से अचल संपत्ति (ग्रामीण कृषि भूमि को छोड़कर) के अधिग्रहण के लिए एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक के भुगतान से काटे गए कर की सूचना देने के लिए, कटौतीकर्ता को टीएएन प्राप्त करने और उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है और उसे अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) उद्धृत करके काटे गए कर की सूचना देने की अनुमति है।

46.2 टैन प्राप्त करने से उन व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए अनुपालन का बोझ बढ़ जाता है, जो आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। टीडीएस की रिपोर्टिंग के लिए टैन का उल्लेख करना एक प्रक्रियात्मक मामला है और कुछ मामलों में पैन का उल्लेख करके भी यही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, खासकर उन लेनदेन के लिए जो एक बार के लेनदेन होने की संभावना है जैसे किसी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा अनिवासी हस्तांतरक से अचल संपत्ति के अधिग्रहण का एकल लेनदेन जिस पर आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत कर कटौती योग्य है। इस प्रकार के कटौतीकर्ताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए , आयकर अधिनियम की धारा 203ए के प्रावधानों को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 203ए के तहत टैन प्राप्त करने और उद्धृत करने की आवश्यकता अधिसूचित कटौतीकर्ताओं या संग्रहकर्ताओं पर लागू नहीं होगी।

46.3 प्रयोज्यता: - यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा।

47. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण

47.1 आयकर अधिनियम के अध्याय XVII-B के तहत, किसी व्यक्ति को कुछ निर्दिष्ट भुगतानों पर निर्दिष्ट दर पर कर काटना आवश्यक है यदि भुगतान निर्दिष्ट सीमा से अधिक है। कर काटने वाले व्यक्ति (' कटौतीकर्ता ') को निर्धारित नियत तारीख तक तिमाही के दौरान किए गए कर की कटौती के विवरण सहित एक त्रैमासिक स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विवरण दाखिल करना आवश्यक है। इसी तरह, आयकर अधिनियम के अध्याय XVII-BB के तहत, एक व्यक्ति को निर्दिष्ट दरों पर कुछ निर्दिष्ट प्राप्तियों पर कर एकत्र करना आवश्यक है। कर एकत्र करने वाले व्यक्ति ('संग्रहकर्ता') को भी निर्धारित नियत तारीख तक तिमाही के

दौरान किए गए कर संग्रह के विवरण सहित एक त्रैमासिक स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) विवरण दाखिल करना आवश्यक है।

47.2 टीडीएस/टीसीएस विवरण प्रस्तुत करने में देरी के विरुद्ध प्रभावी रोकथाम हेतु, वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा आयकर अधिनियम में धारा 234ई सम्मिलित की गई ताकि टीडीएस/टीसीएस विवरण प्रस्तुत करने में देरी पर शुल्क लगाने का प्रावधान किया जा सके। आयकर अधिनियम की धारा 234ई के अंतर्गत शुल्क लगाना, कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता द्वारा टीडीएस/टीसीएस विवरण समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में अनुपालन में सुधार लाने का एक प्रभावी साधन साबित हुआ है।

47.3 वित्त (सं.2) अधिनियम, 2009 द्वारा आयकर अधिनियम में धारा 200ए जोड़ी गई, जो कटौतीकर्ता को देय या वापसी योग्य राशि निर्धारित करने के लिए टीडीएस विवरणों के प्रसंस्करण का प्रावधान करती है। हालाँकि, चूँकि आयकर अधिनियम में धारा 200ए के शामिल होने के बाद धारा 243ई जोड़ी गई थी, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 200ए के मौजूदा प्रावधानों में टीडीएस विवरणों के प्रसंस्करण के समय आयकर अधिनियम की धारा 234ई के तहत देय शुल्क के निर्धारण का प्रावधान नहीं था। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 200ए के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि आयकर अधिनियम की धारा 200ए के तहत टीडीएस विवरण के प्रसंस्करण के समय आयकर अधिनियम की धारा 234ई के तहत देय शुल्क की गणना की जा सके।

47.4 वर्तमान में, आयकर अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा (3) के प्रावधान कटौतीकर्ता को टीडीएस सुधार विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाते हैं और फलस्वरूप, आयकर अधिनियम की धारा 200ए, *अन्य बातों के साथ-साथ,* टीडीएस सुधार विवरण के प्रसंस्करण का प्रावधान करती है। हालाँकि, आयकर अधिनियम में संग्रहकर्ता को पहले से प्रस्तुत टीसीएस विवरण के संबंध में सुधार विवरण दाखिल करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 206सी के प्रावधान में संशोधन किया गया है ताकि संग्रहकर्ता को टीसीएस सुधार विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति मिल सके।

47.5 आयकर अधिनियम में टीडीएस विवरणों के प्रसंस्करण हेतु विस्तृत प्रावधान हैं, हालाँकि, टीसीएस विवरणों के प्रसंस्करण हेतु कोई प्रावधान पहले मौजूद नहीं था। चूँकि टीसीएस विवरणों की प्रक्रिया टीडीएस विवरणों के समान है, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 200ए में निहित टीडीएस विवरणों के प्रसंस्करण हेतु मौजूदा प्रावधान के अनुरूप टीसीएस विवरणों के प्रसंस्करण को सक्षम बनाने के लिए आयकर अधिनियम में एक नई धारा 206सीबी जोड़ी गई है। इस नई जोड़ी गई धारा में टीसीएस विवरण देर से प्रस्तुत करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234ई के अंतर्गत देय शुल्क की गणना हेतु भी व्यवस्था शामिल है।

47.6 आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत, टीडीएस विवरण की प्रोसेसिंग के बाद, देय या वापसी योग्य राशि निर्दिष्ट करते हुए एक सूचना तैयार की जाती है। यह सूचना (i) आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार के अधीन है; (ii) आयकर अधिनियम की धारा 246ए के अंतर्गत अपील योग्य है; और (iii) आयकर अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत मांग की सूचना मानी जाएगी। चूँकि टीसीएस विवरण की प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न सूचना टीडीएस विवरण की प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न सूचना के समान होती है, इसलिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों में यह प्रावधान करने के लिए आगे संशोधन किया गया है कि टीसीएस विवरण की प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न सूचना भी—

(*मैं*) आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार के अधीन;

(*ii*) आयकर अधिनियम की धारा 246ए के तहत अपील योग्य; और

(*iii*) आयकर अधिनियम की धारा 156 के तहत मांग की सूचना के रूप में समझा जाएगा।

47.7 चूँकि टीसीएस विवरण के प्रस्तावित प्रसंस्करण के बाद उत्पन्न सूचना को आयकर अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत माँग सूचना माना जाएगा, इसलिए सूचना में निर्दिष्ट कर का भुगतान न करने पर आयकर अधिनियम की धारा 220(2) के प्रावधानों के अनुसार ब्याज लगाया जाएगा। हालाँकि, आयकर अधिनियम की धारा 206सी(7) में जारी की जाने वाली सूचना में निर्दिष्ट कर का भुगतान न करने पर ब्याज लगाने का भी प्रावधान है। आयकर अधिनियम की धारा 206सी (7) और धारा 220(2) दोनों के तहत चूक की समान अवधि के लिए समान राशि पर ब्याज वसूलने की संभावना को दूर करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 220 के प्रावधानों को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां संशोधित प्रावधान के तहत जारी सूचना में निर्दिष्ट कर राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 206सी (7) के तहत किसी भी अवधि के लिए ब्याज वसूला जाता है, तो उसी अवधि के लिए उसी राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 220(2) के तहत कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा।

47.8 टीडीएस और टीसीएस के भुगतान की मौजूदा योजना के तहत, सरकारी कटौतीकर्ताओं /संग्राहकों को चालान प्रस्तुत किए बिना उनके द्वारा काटे गए/एकत्रित कर का भुगतान अर्थात बुक एंट्री के माध्यम से करने की अनुमति है। बुक एंट्री के माध्यम से काटे गए/एकत्रित कर के भुगतान के लिए, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) टीडीएस/टीसीएस राशि की सूचना वेतन एवं लेखा अधिकारी या कोषागार अधिकारी या चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (पीएओ/टीओ/सीडीडीओ) को देता है, जो बुक एंट्री के माध्यम से टीडीएस/टीसीएस राशि को केंद्र सरकार के खाते में जमा करते हैं। सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा बुक एंट्री के माध्यम से भुगतान किए गए टीडीएस/टीसीएस के लिए कटौतीकर्ता को क्रेडिट प्रदान करने के लिए , आयकर नियम, 1962 के नियम 30 और नियम 37सीए में संशोधन करके पीएओ/टीओ/सीडीडीओ द्वारा क्रेडिट के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक प्रणाली 1 अप्रैल, 2010 से शुरू की गई है।

47.9 उक्त नियमों में प्रावधान है कि पीएओ/टीओ/सीडीडीओ, बुक एंट्री के माध्यम से किए गए टीडीएस/टीसीएस भुगतान का विवरण फॉर्म 24जी में दाखिल

करेंगे। बुक एंट्री के माध्यम से किए गए टीडीएस/टीसीएस भुगतान की रिपोर्टिंग की इस प्रणाली ने सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा टीडीएस/टीसीएस भुगतान की रिपोर्टिंग की व्यवस्था में कुछ हद तक सुधार किया है।

47.10 हालाँकि, आयकर अधिनियम में फॉर्म 24G प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान न होने के कारण, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में मामलों में, पीएओ/टीओ/सीडीडीओ ने निर्धारित समय में फॉर्म 24G दाखिल नहीं किया। फॉर्म 24G प्रस्तुत करने में देरी के परिणामस्वरूप डीडीओ द्वारा टीडीएस/टीसीएस विवरण प्रस्तुत करने में देरी होती है।

47.11 बुक प्रविष्टि के माध्यम से किए गए टीडीएस/टीसीएस के भुगतान की रिपोर्टिंग में सुधार करने और मौजूदा तंत्र को लागू करने योग्य बनाने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 200 और 206सी के प्रावधानों को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां कटौती किया गया कर [धारा 192(1ए) के तहत भुगतान सहित]/एकत्रित किया गया कर चालान प्रस्तुत किए बिना भुगतान किया गया है, पीएओ/टीओ/सीडीडीओ या किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसी राशि को केंद्र सरकार के खाते में जमा करने के लिए जिम्मेदार है, निर्धारित समय के भीतर निर्धारित आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को निर्धारित तरीके से उसका सत्यापन करके और निर्धारित विवरण प्रस्तुत करके निर्धारित अवधि के लिए एक निर्धारित विवरण प्रस्तुत करेगा।

47.12 अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 272ए के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

उक्त विवरण प्रस्तुत न करने की स्थिति में कटौती योग्य या संग्रहण योग्य राशि की सीमा तक **47.10 का जुर्माना लगाया जाएगा।**

47.13 आयकर अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत, आयकर अधिनियम के अंतर्गत "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (डीडीओ) को करदाता की आय का अनुमान लगाने या उक्त धारा के अंतर्गत कटौती योग्य कर की राशि की गणना करने के प्रयोजनार्थ आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुछ कटौती, छूट या भत्ते या कुछ हानि के समायोजन की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

47.14 कर्मचारी द्वारा दावा की गई कुछ कटौतियों/छूटों/भत्तों/नुकसान के मुआवज़े के साक्ष्य/प्रमाण/विवरण, जैसे कि मकान किराया भत्ता (एचआरए) की छूट का दावा करने के लिए किराए की रसीद, स्वयं के कब्जे वाली गृह संपत्ति से नुकसान का दावा करने के लिए ब्याज भुगतान का साक्ष्य आदि, आमतौर पर डीडीओ के पास उपलब्ध नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में, डीडीओ को कर्मचारियों द्वारा कटौतियों, छूटों आदि के अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य/विवरणों, यदि कोई हों, पर निर्भर रहना पड़ता है। चूँकि आयकर अधिनियम के प्रावधानों में डीडीओ द्वारा प्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य/दस्तावेजों की प्रकृति के संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं था, इसलिए इस मामले में डीडीओ के दृष्टिकोण में एकरूपता नहीं थी।

47.15 इस मामले में एकरूपता और निश्चितता लाने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 192(1) के तहत करदाता की आय का अनुमान लगाने या कटौती योग्य कर की गणना करने के प्रयोजनों के लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित दावे (हानि के सेट-ऑफ के दावे सहित) के साक्ष्य या प्रमाण या विवरण करदाता से प्राप्त करेगा।

47.16 आयकर अधिनियम की धारा 195 की उप-धारा (6) के मौजूदा प्रावधानों में, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, यह प्रावधान था कि आयकर अधिनियम की धारा 195(1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निर्धारित जानकारी प्रस्तुत करेगा। आयकर अधिनियम की धारा 195(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अनिवासी, कंपनी न होने पर, या किसी विदेशी कंपनी को कोई ब्याज (आयकर अधिनियम की धारा 194एलबी या 194एलसी या 194एलडी में निर्दिष्ट ब्याज के अलावा) या कर योग्य कोई राशि (वेतन आय नहीं) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लागू दरों पर कर की कटौती करेगा।

47.17 धन प्रेषणों के संबंध में सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था, कर योग्य धन प्रेषणों से उचित दर पर कर की कटौती सुनिश्चित करने के साथ-साथ, उन धन प्रेषणों की पहचान करने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करती है जिन पर कर कटौती योग्य था, लेकिन भुगतानकर्ता कर कटौती करने में विफल रहा है। इसलिए, केवल उन धन प्रेषणों के संबंध में सूचना प्राप्त करना, जिन्हें प्रेषक ने कर योग्य घोषित किया है, विदेशी धन प्रेषणों के लिए सूचना प्राप्त करने के मुख्य सिद्धांतों में से एक, अर्थात् उन कर योग्य धन प्रेषणों की पहचान करना, जिन पर कर कटौती योग्य था, लेकिन कटौती नहीं की गई, विफल हो जाता है।

47.18 इसे ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को कोई राशि, चाहे वह कर योग्य हो या नहीं, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निर्धारित राशि की जानकारी निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा, अनिवासी को धन प्रेषण के संबंध में निर्धारित जानकारी प्रस्तुत न करने/गलत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं था।

47.19 अनिवासी को धन प्रेषण के संबंध में सटीक जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 271-1 जोड़ी गई है, जो यह प्रावधान करती है कि आयकर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (6) के अंतर्गत सूचना न देने या गलत जानकारी देने की स्थिति में एक लाख रुपये

का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम की धारा 273बी के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि यह साबित हो जाता है कि आयकर अधिनियम की *धारा* 195 की उपधारा (6) के अंतर्गत सूचना न देने या गलत जानकारी देने का उचित कारण था, तो इस नए प्रावधान के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

47.20 प्रयोज्यता:- ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

48. पुनर्मूल्यांकन के मामले में अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज और जहां धारा 245सी के तहत निपटान आयोग के समक्ष अतिरिक्त आय का खुलासा किया जाता है

48.1 आयकर अधिनियम की धारा 234बी की उपधारा (3) में निहित प्रावधानों में, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, यह प्रावधान था कि जहां धारा 147 या धारा 153ए के तहत पुनर्मूल्यांकन पर कुल आय में वृद्धि होती है, वहां करदाता धारा 143 की उपधारा (1) के तहत कुल आय के निर्धारण की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए या नियमित मूल्यांकन पर कुल आय में वृद्धि की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा और आयकर अधिनियम की धारा 147 या धारा 153ए के तहत पुनर्मूल्यांकन की तारीख को समाप्त होगा।

48.2 धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज इस सिद्धांत पर लगाया जाता है कि धारा 143(1) के अंतर्गत निर्धारित कुल आय या मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या निपटान आवेदन में घोषित कुल आय पर निर्धारित कर की राशि ही शुरू से ही करदाता की वास्तविक देयता थी और उसी राशि के आधार पर निर्धारित देय तिथि के भीतर अग्रिम कर का भुगतान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 234बी के खंड (3) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की जानी है, वह अगले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगी और धारा 147 या धारा 153ए के अंतर्गत कुल आय के निर्धारण की तिथि को समाप्त होगी।

48.3 अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, उप-धारा (4) में निहित प्रावधान यह था कि जहाँ धारा 245डी की उप-धारा (4) के अंतर्गत निपटान आयोग के आदेश पर, उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के अंतर्गत देय ब्याज राशि में वृद्धि या कमी की जाती है, वहाँ ब्याज तदनुसार बढ़ाया या घटाया जाएगा। हालाँकि, यदि धारा 245सी के अंतर्गत निपटान आयोग के समक्ष आयकर की अतिरिक्त राशि घोषित करते हुए आवेदन दायर किया जाता है, तो धारा 234बी में उस अतिरिक्त राशि पर ब्याज लगाने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

48.4 तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 234बी में एक नई उपधारा [2ए] जोड़ी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 245सी की उपधारा (1) के तहत आवेदन किया गया है, वहां करदाता ऐसे निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होने वाली और ऐसे आवेदन करने की तिथि को समाप्त होने वाली अवधि में शामिल प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए उस उपधारा में निर्दिष्ट आयकर की अतिरिक्त राशि पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

48.5 यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 245डी की उपधारा (4) के तहत निपटान आयोग के आदेश के परिणामस्वरूप, धारा 245सी की उपधारा (1) के तहत आवेदन में प्रकट की गई कुल आय की राशि में वृद्धि होती है, तो करदाता ऐसे निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और ऐसे आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में शामिल प्रत्येक महीने या महीने के हिस्से के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिस राशि से ऐसे आदेश के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर धारा 245सी की उपधारा (1) के तहत दायर आवेदन में प्रकट की गई कुल आय पर कर से अधिक है।

48.6 आयकर अधिनियम की धारा 245डी की उप-धारा (6बी) में प्रावधान है कि निपटान आयोग, अभिलेखों में स्पष्ट किसी गलती को सुधारने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 245डी की उप-धारा (4) के अंतर्गत अपने द्वारा पारित किसी आदेश में संशोधन कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आयोग द्वारा निर्धारित कुल आय में वृद्धि या कमी हो सकती है। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 234बी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां धारा 245डी की उप-धारा [6बी] के अंतर्गत सुधार आदेश के परिणामस्वरूप, वह राशि जिस पर धारा 234बी की उप-धारा (2ए) के खंड (*बी*) के अंतर्गत देय ब्याज में वृद्धि या कमी होती है, वहां ब्याज भी तदनुसार बढ़ाया या घटाया जाएगा।

48.7 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी हो गए हैं।

49. निपटान आयोग

49.1 आयकर अधिनियम की धारा 245ए के प्रावधान के अनुसार, ऐसे मामले में निपटान हेतु आवेदन किया जा सकता है, जिसके लिए आवेदन की तिथि पर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण की कोई कार्यवाही लंबित हो। अधिनियम द्वारा संशोधन किए जाने से पहले, धारा 147 के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन के मामले में कर निर्धारण कार्यवाही, अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी होने की तिथि से शुरू होने के लिए परिभाषित की गई थी।

49.2 यह देखा गया है कि आय से बचने से संबंधित मामले में अक्सर एक से अधिक कर निर्धारण वर्ष शामिल होते हैं। इसलिए, अधिनियम में संशोधन से पहले, ऐसे मामले में करदाता केवल उस कर निर्धारण वर्ष के लिए निपटान आयोग में जाने के लिए पात्र था जिसके लिए धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया हो। अन्य सभी कर निर्धारण वर्षों के लिए, जहाँ आय से बचने का मामला है, *करदाता* ऐसे सभी कर निर्धारण वर्षों के लिए धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी

किए जाने के बाद ही निपटान आवेदन दायर करने के लिए पात्र था।

49.3 ऐसे सभी कर निर्धारण वर्षों में नोटिस जारी करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 245ए के खंड (बी) के स्पष्टीकरण के खंड (i) को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया जाता है, वहां करदाता अन्य कर निर्धारण वर्षों के लिए भी निपटान आयोग से संपर्क कर सकता है, भले ही ऐसे अन्य कर निर्धारण वर्षों के लिए धारा 148 के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसा नोटिस उस तारीख को जारी किया जा सकता था यदि ऐसे अन्य कर निर्धारण वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत या धारा 142 के तहत नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न प्रस्तुत किया गया हो।

49.4 आयकर अधिनियम की धारा 245ए के खंड (बी) के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में निहित प्रावधान, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, यह प्रदान करता था कि किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए कार्यवाही, उक्त स्पष्टीकरण के खंड (i) या खंड (iii) या खंड (iiia) में निर्दिष्ट मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के अलावा, मूल्यांकन वर्ष के पहले दिन से शुरू हुई मानी जाएगी और उस तारीख को समाप्त होगी जिस दिन मूल्यांकन किया गया था। आयकर अधिनियम की धारा 245ए के खंड (बी) के स्पष्टीकरण के खंड (iv) को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए कार्यवाही, उक्त स्पष्टीकरण के खंड (i) या खंड (iii) या खंड (iiia) में निर्दिष्ट कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के अलावा, उस तारीख से शुरू हुई मानी जाएगी, जिस दिन धारा 139 के तहत उस कर निर्धारण वर्ष की आय की रिटर्न प्रस्तुत की जाती है या धारा 142 के तहत नोटिस के जवाब में और उस तारीख को समाप्त हुई है जिस दिन कर निर्धारण किया जाता है या प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति पर, ऐसे मामले में जहां कोई कर निर्धारण नहीं किया जाता है।

49.5 आयकर अधिनियम की धारा 245डी की उप-धारा (6बी) में निहित प्रावधान, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, यह प्रावधान करता था कि निपटान आयोग उप-धारा (4) के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश को, आदेश की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर संशोधित कर सकता है। जहाँ करदाता या आयुक्त सीमा अवधि के अंत में संशोधन के लिए आवेदन करते हैं, वहाँ अतिरिक्त समय का कोई प्रावधान नहीं था।

49.6 तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 245डी की उपधारा (6बी) को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि निपटान आयोग, रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी गलती को सुधारने के उद्देश्य से, उपधारा (4) के तहत उसके द्वारा पारित किसी आदेश को, आदेश पारित किए जाने के महीने के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर किसी भी समय संशोधित कर सकता है या, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या आवेदक द्वारा आदेश पारित किए जाने के महीने के अंत से छह महीने की अवधि के अंत से पहले किए गए आवेदन पर, आवेदन किए जाने के महीने के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर किसी भी समय संशोधित कर सकता है।

49.7 आयकर अधिनियम की धारा 245H की उप-धारा (1) में, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, निहित प्रावधान यह था कि यदि निपटान आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि धारा 245C के अंतर्गत निपटान हेतु आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति ने निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही में उसके साथ सहयोग किया है और अपनी आय तथा जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त हुई है, उसका पूर्ण एवं सत्य खुलासा किया है, तो वह ऐसे व्यक्ति को अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है। दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने का औचित्य प्रदान करने के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम की धारा 245H की उप-धारा (1) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी भी व्यक्ति को अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करते समय निपटान आयोग अपने द्वारा पारित आदेश में लिखित रूप में कारण दर्ज करेगा।

49.8 आयकर अधिनियम की धारा 245HA की उपधारा (1) में निहित प्रावधान, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, विभिन्न परिस्थितियों में कार्यवाही के उपशमन का प्रावधान करता था। आयकर अधिनियम की धारा 245HA की उपधारा (1) में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ धारा 245C के अंतर्गत किए गए किसी आवेदन के संबंध में, निपटान की शर्तों का प्रावधान किए बिना धारा 245D की उपधारा (4) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, वहाँ निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही उस दिन उपशमन हो जाएगी जिस दिन धारा 245D की उपधारा (4) के अंतर्गत ऐसा आदेश पारित किया गया था।

49.9 आयकर अधिनियम की धारा 245K में, अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, यह प्रावधान था कि कुछ स्थितियों में कोई व्यक्ति निपटान आयोग के समक्ष निपटान के लिए दोबारा आवेदन करने का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, निपटान के लिए दोबारा आवेदन करने पर रोक केवल उसी व्यक्ति पर लागू थी। इसलिए, एक व्यक्ति जो एक बार निपटान आयोग से संपर्क कर चुका है, वह बाद में अपने द्वारा नियंत्रित किसी संस्था के माध्यम से दोबारा संपर्क कर सकता है। इससे निपटान आयोग से केवल एक बार संपर्क करने के अवसर को प्रतिबंधित करने का उद्देश्य ही विफल हो गया।

49.10 तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 245K को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति जो उस व्यक्ति से 'संबंधित' है जिसने पहले ही एक बार निपटान आयोग से संपर्क किया है, वह बाद में भी निपटान आयोग से संपर्क नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति के संबंध में संबंधित व्यक्ति का अर्थ है, - (i) जहां ऐसा व्यक्ति एक व्यक्ति है, कोई भी कंपनी जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान शक्ति रखता हो, या कोई फर्म या व्यक्ति का संघ या व्यक्ति का निकाय जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी भी समय मुनाफे का पचास प्रतिशत से अधिक का हकदार हो, या कोई हिंदू अविभाजित परिवार जिसमें ऐसा व्यक्ति कर्ता हो ; (ii) जहां ऐसा व्यक्ति एक कंपनी है, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति द्वारा निपटान आयोग के समक्ष

आवेदन की तिथि से पहले किसी भी समय ऐसी कंपनी में पचास प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान शक्ति रखता हो; (iii) जहां ऐसा व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संघ या व्यष्टि निकाय है, वहां कोई व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति द्वारा समझौता आयोग के समक्ष आवेदन की तारीख से पूर्व किसी भी समय ऐसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या व्यष्टि निकाय के लाभों के पचास प्रतिशत से अधिक का हकदार था; (iv) जहां ऐसा व्यक्ति कोई हिंदू अविभाजित परिवार है, वहां उस हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता।

49.11 आयकर अधिनियम की धारा 132बी में, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, यह प्रावधान था कि धारा 132 के अंतर्गत जब्त या धारा 132ए के अंतर्गत अधिग्रहीत संपत्ति को आयकर अधिनियम, संपत्ति कर अधिनियम आदि के अंतर्गत विद्यमान देयता की राशि और मूल्यांकन पूरा होने पर निर्धारित देयता की राशि के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। यह देखा गया है कि कई मामलों में आवेदक निपटान आयोग से अनुरोध करते हैं कि वह आयुक्त को उनके मामलों में जब्त की गई नकदी को आवेदन में प्रकट की गई अतिरिक्त आय पर उत्पन्न कर देयता के विरुद्ध समायोजित करने का निर्देश दे। चूँकि ऐसी देयता कोई 'विद्यमान' देयता नहीं थी और विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, मूल्यांकन अधिकारी उसे समायोजित करने में असमर्थ था।

49.12 तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 132बी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 132 के तहत जब्त की गई या धारा 132ए के तहत अधिग्रहीत की गई परिसंपत्ति को आयकर अधिनियम की धारा 245सी की उपधारा (1) के तहत निपटान आयोग के समक्ष किए गए आवेदन पर उत्पन्न देयता की राशि के विरुद्ध भी समायोजित किया जा सकता है।

49.13 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

50. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) में विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता

50.1 आयकर अधिनियम की धारा 245-0 के प्रावधान, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, यह प्रावधान करते थे कि भारतीय विधिक सेवा का एक व्यक्ति विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा जो भारत सरकार का अतिरिक्त सचिव है।

50.2 पात्रता के दायरे को बढ़ाने के लिए, धारा 245-0 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि भारतीय विधि सेवा का कोई व्यक्ति जो भारत सरकार का अपर सचिव है या बनने के लिए योग्य है, विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा।

50.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी हो गया है।

51. धारा 10 के खंड (23सी) के उपखंड (vi) और (via) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य बनाए गए

51.1 आयकर की धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (vi) में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान की ओर से प्राप्त कोई भी आय, जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है न कि लाभ के उद्देश्य से और जिसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (via) में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अस्पताल या अन्य संस्थान की ओर से बीमारी या मानसिक दोष से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज या स्वास्थ्य लाभ के दौरान या चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के इलाज के लिए प्राप्त कोई भी आय, जो केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए है और लाभ के उद्देश्य से नहीं है, कर के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि ऐसा अस्पताल या संस्थान निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

51.2 आयकर की धारा 253 की उपधारा (1) में निहित प्रावधान उन आदेशों को निर्दिष्ट करते हैं जिनकी अपील आयकर *अपीलीय* ...

51.3 इसके अतिरिक्त, एक तुलनीय प्रावधान के अंतर्गत, आयकर अधिनियम की धारा 12AA के अंतर्गत किसी धर्मार्थ ट्रस्ट के पंजीकरण से इनकार करने संबंधी आदेश अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य है। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 10(23C) के उप-खंड (vi) या (via) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई करदाता अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

51.4 ***प्रयोज्यता:*** यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी हो गया है।

52. आईटीएटी की एकल सदस्यीय पीठ द्वारा तय किए जाने वाले मामलों की आय-सीमा बढ़ाना

52.1 आयकर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (3) में निहित प्रावधान, अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, उन मामलों में अपीलों के निपटान का प्रावधान करता था जहाँ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई करदाता की कुल आय पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं थी। एकल सदस्यीय पीठ के लिए पाँच लाख रुपये की कुल आय की यह सीमा अंतिम बार 1998 में संशोधित की गई थी।

52.2 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, जहां करदाता की कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है, आयकर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (3) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एकल सदस्यीय पीठ ऐसे मामले का निपटारा कर सकती है, जहां कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई करदाता की कुल आय पंद्रह लाख रुपये से अधिक नहीं है।

52.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी हो गया है।

53. ऐसे आदेश का पुनरीक्षण जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वह राजस्व के हितों के प्रतिकूल है

53.1 आयकर अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों में, अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, यह प्रावधान था कि यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त का मानना है कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश गलत है, क्योंकि यह राजस्व के हितों के लिए हानिकारक है, तो वह करदाता को सुनवाई का अवसर देने और जांच करने के बाद मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को संशोधित करने या मूल्यांकन को रद्द करने और नए सिरे से मूल्यांकन करने का निर्देश देने का आदेश पारित कर सकता है।

53.2 "त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह राजस्व के हितों के लिए हानिकारक है" अभिव्यक्ति की व्याख्या विवादास्पद रही है। इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 263 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश, राजस्व के हितों के लिए हानिकारक होने की स्थिति में, त्रुटिपूर्ण माना जाएगा, यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त की राय में,— (क) आदेश बिना किसी पूछताछ या सत्यापन के पारित किया जाता है, जो किया जाना चाहिए था; (ख) आदेश दावे की जाँच किए बिना कोई राहत प्रदान करते हुए पारित किया जाता है; (ग) आदेश धारा 119 के तहत बोर्ड द्वारा जारी किसी आदेश, निर्देश या अनुदेश के अनुसार नहीं किया गया है; या (घ) आदेश, करदाता या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी ऐसे निर्णय के अनुसार पारित नहीं किया गया है जो करदाता के लिए हानिकारक हो।

53.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी हो गया है।

54. कुछ ऋण, जमा और निर्दिष्ट राशियों को लेने या स्वीकार करने का तरीका और ऋण या जमा और निर्दिष्ट अग्रिमों की चुकौती का तरीका

54.1 आयकर अधिनियम की धारा 269SS में, अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण के अलावा किसी अन्य माध्यम से कोई ऋण या जमा राशि नहीं लेगा, यदि ऐसे ऋण या जमा की राशि बीस हज़ार रुपये या उससे अधिक है। हालाँकि, इस धारा में कुछ अपवाद भी दिए गए थे।

54.2 इसी प्रकार, अधिनियम द्वारा संशोधन से पूर्व आयकर अधिनियम की धारा 269टी में निहित प्रावधानों में यह प्रावधान था कि यदि ऋण या जमा की राशि बीस हजार रुपये या उससे अधिक है तो धारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किसी ऋण या जमा राशि का पुनर्भुगतान, खाता आदाता चेक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण के अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं किया जाएगा।

54.3 अचल संपत्ति के लेन-देन में नकदी के माध्यम से काले धन के सृजन को रोकने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 269एसएस में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में अग्रिम या अन्यथा कोई ऋण या जमा या कोई धनराशि स्वीकार नहीं करेगा, सिवाय खाता आदाता चेक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से, यदि ऐसे ऋण या जमा या ऐसी निर्दिष्ट राशि की राशि बीस हजार रुपये या उससे अधिक है।

54.4 आयकर अधिनियम की धारा 269टी में भी संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ लिए गए किसी भी ऋण या जमा राशि या प्राप्त किसी निर्दिष्ट अग्रिम राशि का भुगतान, अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं करेगा, यदि ऋण या जमा राशि या निर्दिष्ट अग्रिम राशि बीस हज़ार रुपये या उससे अधिक है। निर्दिष्ट अग्रिम राशि का अर्थ किसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में अग्रिम राशि के रूप में, चाहे वह हस्तांतरण हो या न हो, किसी भी नाम से जानी जाने वाली कोई भी राशि होगी।

54.5 धारा 269एसएस और 269टी के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान करने के लिए धारा 271डी और धारा 271ई में परिणामी संशोधन भी किए गए हैं।

54.6 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी हो गए हैं।

55. धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अंतर्गत आय छिपाने के लिए दंड के प्रयोजनों के लिए अपवंचित की जाने वाली कर की राशि

55.1 अधिनियम द्वारा संशोधन से पूर्व, अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (सी) में निहित प्रावधानों में यह प्रावधान था कि आय को छिपाने या आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर जुर्माना "अपवंचित किए जाने वाले कर की राशि" पर लगाया जाएगा, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित आय पर देय कर और उस कर के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उस स्थिति में देय होता, जब ऐसी कुल आय में से छिपाई गई आय की राशि घटा दी जाती।

55.2 आयकर अधिनियम की धारा 115JB या 115JC के प्रावधानों के अंतर्गत और आयकर अधिनियम की धारा 115JB या 115JC के प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधानों (जिन्हें आगे सामान्य प्रावधान कहा जाएगा) के अंतर्गत आय की गणना में आय छिपाने या आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर कर चोरी की जाने वाली राशि की गणना में समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों ने यह माना है कि आयकर अधिनियम की धारा 271 की उप-धारा

(1) के खंड (ग) के अंतर्गत जुर्माना उन मामलों में नहीं लगाया जा सकता जहाँ आय को सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत गणना की गई आय के संबंध में छिपाया गया हो और कर का भुगतान आयकर अधिनियम की धारा 115JB या 115JC के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया हो।

55.3 सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत उत्पन्न कर देयता के अतिरिक्त धारा 115JB या 115JC के प्रावधानों के अंतर्गत चुकाया गया कर, भविष्य की कर देयता के विरुद्ध सेट-ऑफ हेतु क्रेडिट के रूप में उपलब्ध है। सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय और उस पर कर देयता को कम दर्शाने के परिणामस्वरूप, करदाता को भविष्य के वर्षों में सेट-ऑफ हेतु इस तरह के क्रेडिट की बड़ी राशि उपलब्ध हो जाती है। इसलिए, जहाँ सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत संगणित आय को छिपाया गया है, वहाँ धारा 271 की उप-धारा (1) के खंड (*ग) के अंतर्गत जुर्माना लगाया जाना चाहिए, भले ही उस वर्ष के लिए* करदाता की कर देयता आयकर अधिनियम की धारा 115JB या 115JC के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित की गई हो।

55.4 तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 271 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जिस कर से चोरी की जानी है, वह सामान्य प्रावधानों के तहत चोरी किए जाने वाले कर और आयकर अधिनियम की धारा 115JB या 115JC के प्रावधानों के तहत चोरी किए जाने वाले कर का योग होगी। हालांकि, यदि किसी मुद्दे पर आय छिपाने की राशि को सामान्य प्रावधानों और धारा 115JB या 115JC के प्रावधानों दोनों के तहत माना जाता है तो ऐसी राशि को धारा 115JB या 115JC के प्रावधानों के तहत चोरी किए जाने वाले कर की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे मामले में जहां धारा 115JB या 115JC के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, धारा 115JB या 115JC के प्रावधानों के तहत चोरी किए जाने वाले कर की गणना को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

55.5 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

56. कुछ लेखाकारों द्वारा रिपोर्ट/प्रमाणपत्र न देना

56.1 आयकर अधिनियम में कई प्रावधान (जैसे धारा 44एबी, धारा 80-आईए, धारा 92ई, धारा 115जेबी, आदि) शामिल हैं, जो करदाताओं को कर योग्य आय की सही रिपोर्टिंग/गणना सुनिश्चित करने के लिए एक 'लेखाकार' द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्ट और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आदेश देते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 288(2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अर्थ में 'लेखाकार' को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में परिभाषित किया गया है (जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226(2) के तहत किसी भी राज्य के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों का लेखा परीक्षक नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति भी शामिल है)।

56.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) ने "मूल्यांकन कार्यवाहियों में तृतीय पक्ष (चार्टर्ड अकाउंटेंट) प्रमाणन की सराहना" (वर्ष 2014 की संख्या 32) पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के पैरा 3.9 में कहा गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 किसी भी व्यवसाय या उद्यम के वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक को अपनी राय व्यक्त करने से रोकता है जिसमें उसका, उसके रिश्तेदार, उसकी फर्म या फर्म में उसके साझेदार का पर्याप्त हित हो। हालाँकि, लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया है कि एक लेखा परीक्षक ने एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी के संबंध में फॉर्म 56F [आयकर अधिनियम की धारा 10A (5) के तहत लेखाकार की रिपोर्ट] में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें लेखा परीक्षक का भाई प्रबंध निदेशक था।

56.3 लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उप-धारा (3) में कुछ ऐसे व्यक्तियों की सूची दी गई है, जो लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। आयकर अधिनियम के तहत लेखा परीक्षा/प्रमाणन कार्य मुख्य रूप से राजस्व के हितों की रक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। एक लेखा परीक्षक जो स्वतंत्र नहीं है, वह राजस्व के हितों की रक्षा के अपने कार्य का सार्थक रूप से निर्वहन नहीं कर सकता है। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 288 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एक लेखा परीक्षक, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के पात्र नहीं है, उस कंपनी के संबंध में आयकर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत कोई भी लेखा परीक्षा करने या कोई रिपोर्ट/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा।

56.4 इसी तरह, गैर-कंपनी के संबंध में आयकर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत कोई भी ऑडिट करने या कोई रिपोर्ट/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अयोग्यता भी प्रदान की गई है। हालांकि, यह प्रदान किया गया है कि किसी करदाता के संबंध में कोई भी ऑडिट करने या कोई भी रिपोर्ट/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अयोग्यता, उस करदाता की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में आयकर अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आयकर कार्यवाही में भाग लेने के लिए एक एकाउंटेंट को अयोग्य नहीं बनाएगी । यह भी प्रदान किया गया है कि धोखाधड़ी से जुड़े अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति ऐसी सजा की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा। आयकर अधिनियम की धारा 288(2) के नीचे स्पष्टीकरण में 'एकाउंटेंट' की परिभाषा को भी कंपनी अधिनियम, 2013 में 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' की परिभाषा की तर्ज पर संशोधित किया गया है।

56.5 प्रयोज्यता: - ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे ।

57. बोर्ड को विदेशी कर क्रेडिट देने के नियमों को अधिसूचित करने में सक्षम बनाना

57.1 आयकर अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (1) भारतीय निवासियों को भारत में और साथ ही उस देश में, जिसके साथ दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) नहीं है, कर योग्य आय पर आयकर के संबंध में राहत प्रदान करती है। इस छूट के अंतर्गत, ऐसी दोहरी कर योग्य आय पर गणना की गई राशि की भारतीय आयकर से कटौती की जाती है, जो भारतीय कर दर या उक्त देश की कर दर, जो भी कम हो, पर लागू होती है। जिन देशों के साथ भारत ने धारा 90 या धारा 90ए के अंतर्गत दोहरे कराधान परिहार के प्रयोजनों के लिए समझौता किया है, वहाँ संबंधित डीटीएए के अनुसार दोहरी कर योग्य आय पर आयकर के संबंध में राहत उपलब्ध है।

57.2 वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम में भारत के बाहर किसी भी देश में भुगतान किए गए करों पर क्रेडिट प्रदान करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 295 की उप-धारा (2) में संशोधन किया गया है ताकि सीबीडीटी, आयकर अधिनियम के तहत देय आयकर के विरुद्ध धारा 90, धारा 90ए, या धारा 91 के तहत, भारत के बाहर किसी भी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में भुगतान किए गए किसी भी आयकर पर, जैसा भी मामला हो, राहत या कटौती प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित कर सके।

57.3 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी हो गए हैं।

58. संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत संपत्ति कर की वसूली का उन्मूलन

58.1 संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 ('डब्ल्यूटी अधिनियम') 01.04.1957 से प्रो. निकोलस काल्डोर की सिफारिश पर असमानताओं को कम करने और क्रॉस चेक के माध्यम से आयकर अधिनियम के प्रवर्तन में मदद करने के दोहरे प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पेश किया गया था। तदनुसार, शुद्ध-संपत्ति की गणना के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की सभी संपत्तियों को ध्यान में रखा गया था। राजा जे. चेल्लिया की अध्यक्षता वाली कर सुधार समिति की सिफारिश पर वित्त अधिनियम, 1992 के तहत 01.04.1993 से संपत्ति-कर की वसूली में पूरी तरह से संशोधन किया गया था। चेल्लिया समिति ने उन सभी वस्तुओं के संबंध में संपत्ति-कर को समाप्त करने की सिफारिश की थी, जिन्हें धन का अनुत्पादक रूप माना जा सकता है या अन्य वस्तुएं जिनके कब्जे को सामाजिक हित में वैध रूप से हतोत्साहित किया जा सकता है।

58.2 संपत्ति-कर अधिनियम के अनुसार, अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले, किसी व्यक्ति या एचयूएफ या कंपनी पर संपत्ति-कर लगाया जाता था, यदि ऐसे व्यक्ति की शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन तिथि, अर्थात पिछले वर्ष की अंतिम तिथि को 30 लाख रुपये से अधिक हो। कर योग्य शुद्ध संपत्ति की गणना के प्रयोजनार्थ, केवल कुछ निर्दिष्ट परिसंपत्तियों को ही ध्यान में रखा जाता है।

58.3 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान संपत्ति कर से वास्तविक संग्रह 788.67 करोड़ रुपये था और वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान केवल 844.12 करोड़ रुपये था। 2011-12 में संपत्ति कर निर्धारितियों की संख्या लगभग 1.15 लाख थी। यद्यपि संपत्ति कर से राजस्व की केवल नाममात्र राशि ही एकत्रित होती है, फिर भी इस कर ने करदाताओं पर अनुपालन बोझ के साथ-साथ विभाग पर प्रशासनिक बोझ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि करदाताओं को शुद्ध संपत्ति की गणना के लिए संपत्ति कर नियमों के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है और आभूषण जैसी कुछ परिसंपत्तियों के लिए , उन्हें पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

58.4 इसके अलावा, जिन संपत्तियों को संपत्ति कर लगाने के लिए निर्दिष्ट किया गया था, जैसे आभूषण , लग्ज़री कारें, आदि, अनुत्पादक होने के कारण, उनका पता लगाना मुश्किल है और इससे करदाताओं को संपत्ति कर के लिए उत्तरदायी संपत्तियों को कम करके दिखाने/कम मूल्यांकित करने का अवसर मिलता है। इसके कारण, पिछले कुछ वर्षों में संपत्ति कर संग्रह में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और इसके परिणामस्वरूप करदाताओं पर अनुपालन का असंगत बोझ और विभाग पर प्रशासनिक बोझ ही बढ़ा है।

58.5 अतः, संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत संपत्ति कर की वसूली 1 अप्रैल, 2016 से समाप्त कर दी गई है। यह भी प्रावधान किया गया है कि उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों पर कर लगाने का उद्देश्य, उच्च आय अर्जित करने वाले करदाताओं पर अधिभार लगाकर प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि अधिभार वसूलना और निगरानी करना आसान है और इससे करदाता पर अनुपालन का कोई बोझ नहीं पड़ता और विभाग पर प्रशासनिक बोझ भी नहीं पड़ता। इस संबंध में बढ़े हुए अधिभार की वसूली का विवरण "आयकर की दरें" शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, संपत्ति-कर रिटर्न में वर्तमान में प्रस्तुत की जाने वाली संपत्तियों से संबंधित जानकारी, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के लिए आयकर रिटर्न में उचित संशोधन करके प्राप्त की जाएगी।

58.6 प्रयोज्यता: - यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।